



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थल सेना और आयुध फैक्ट्रियाँ
2013 की संख्या 30
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थल सेना और आयुध फैक्ट्रियाँ
2013 की संख्या 30
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

पैराग्राफ		पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii
अध्याय - I भूमिका		
1.1	प्राक्कथन	1
1.2	लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1
1.3	एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण	2
1.4	लेखापरीक्षा का प्राधिकार	2
1.5	लेखापरीक्षा नियोजन एवं संचालन	3
1.6	महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	3
1.7	रक्षा संपदा प्रबन्धन में निरन्तर अनियमितता	4
1.8	लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया	5
1.9	पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही	5
1.10	वित्तीय पहलू/बजटीय प्रबंधन	6
1.11	अनुदान संख्या 22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान	7
1.12	थलसेना, आयुध निर्माणियाँ और अनुसंधान एवं विकास (पूँजीगत एवं राजस्व) से संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा-अनुदान संख्या 22,25,26 और 27	9
1.13	राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विश्लेषण	11
1.14	पूँजीगत व्यय का विश्लेषण	14
अध्याय - II रक्षा मंत्रालय		
2.1	रक्षा भूमि का अनुपयुक्त प्रबंधन	17
2.2	रेलवे से सेवा प्रभाषों की वसूली न करना	28
2.3	टैंक में वातानुकूलकों (ए सी) को समाविष्ट न करना	28
2.4	कार्य अनुसूच्य प्रगति के बिना असमकालिक भुगतान	32
2.5	आवश्यक नियंत्रण के अभाव में बकाया देय की वसूली न होना	33

अध्याय - III थलसेना		
3.1	एक अपंजीकृत एवं अनुभवहीन फर्म से पूर्व तकनीकी जांच के बिना निम्न स्तर के भंडारों की स्वीकृति	36
3.2	एक्स-रे जेनरेटर्स को नौ साल से अधिक समय तक स्टॉक में रखना	38
3.3	बैटरियों का अनुक्षण न करने के कारण हानि	39
3.4	भंडारों के पुनःपरिवहन पर परिहार्य व्यय	40
3.5	भवनों में अप्राधिकृत शक्तिवर्धक उपायों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त खर्च	42
3.6	रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग	44
3.7	लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियां, बचतें एवं लेखाओं में समायोजन किया जाना	46
अध्याय - IV कार्य एवं सैन्य अभियंता सेवाएँ		
4.1	सशर्त संविदा की स्वीकृति से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय	47
4.2	खराब योजना के परिणामस्वरूप कार्य का निलंबन और सरकारी सम्पत्ति का नुकसान	48
4.3	मीटर स्थापित न किये जाने के कारण परिहार्य अतिरिक्त खर्च	50
4.4	ठेकेदारों को वृद्धि प्रभार का अस्वीकार्य भुगतान	51
अध्याय - V रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन		
5.1	उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय	53
5.2	सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर की अवांछनीय अधिप्राप्ति	55
5.3	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अधिप्राप्तियों में नियमों का उल्लंघन	57
अध्याय - VI आयुध फैक्ट्री संगठन		
6.1	आयुध फैक्ट्री संगठन का कार्य निष्पादन	59
	भण्डार / मशीनरी की अधिप्राप्ति	
6.2	एक अवयव की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय	72
6.3	विदेशी आपूर्तिकर्ता को विनिमय दर अन्तर की मन्जूरी से अनुचित लाभ देना	73
6.4	निविदा पूछताछ एवं संविदा की शर्तों को हल्का करने से एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ मिला	74
	विनिर्माण	
6.5	खोखों के निराकरण के कारण हानि और परिणामस्वरूप भंडार का अवरोधन	77

6.6	7.62 मि.मी. के पीतल के कपों एवं गोला बारूद में अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण के परिणामस्वरूप हुए अस्वीकरण के कारण ₹ 7.42 करोड़ का नुकसान	79
6.7	पायलट नमूनों की अनुमति से पहले अधिकांश उत्पादन के कारण भंडार का अवरोधन	81
	विविध	
6.8	लेखापरीक्षा के संकेत पर वसूलियाँ	83
	परिशिष्ट-I	85
	परिशिष्ट-II	89
	परिशिष्ट-III	90
	परिशिष्ट-IV	91

प्रस्तावना

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत करने हेतु भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें थलसेना, आयुध निर्माणियों, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तथा सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित मामले जो रक्षा मंत्रालय के वित्तीय कार्य संपादन के लेखापरीक्षा से उदभूत हुए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। वर्ष 2011-12 के रक्षा सेवाओं के विनियोजन लेखों के लिए उदभूत मामलों को वर्ष 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1(वित्तीय लेखापरीक्षा) में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 27 पैराग्राफ सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हैं जैसा कि अध्याय II और उसके आगे विवेचित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले सम्मिलित किए गए हैं जो 2011-12 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए। पूर्ववर्ती वर्षों के ऐसे मामले जो पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे तथा 2011-12 की अवधि के परवर्ती मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गए, सम्मिलित किए गए हैं।

विहंगावलोकन

रक्षा भूमि का अनुपयुक्त प्रबंधन

रक्षा संपदाओं के खराब प्रबंधन के मामलों पर विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार बल दिए जाने तथा लोक लेखा समिति द्वारा संबद्ध नियमों एवं विनियमों के कड़े अनुपालन हेतु विनिर्दिष्ट निर्देशों के जारी किए जाने के बावजूद रक्षा भूमि के प्रबंधन में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, रक्षा भूमि के दुरुप्रयोग से सम्बन्धित अनियमितताएं, पट्टों के नवीनीकरण/समापन में असाधारण विलंब जिनमें किरायों के बकायों का अधिक मात्रा में संचयन सम्मिलित है, दूसरे विभागों द्वारा रक्षा भूमि का अनधिकृत अधिभोग आदि निरंतर चलते रहे।

(पैराग्राफ 2.1)

रेलवे से सेवा प्रभारों की वसूली न करना

छावनी अधिनियम 2006 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के बावजूद छावनी बोर्ड आगरा, अंबाला, नसीराबाद ,और दिल्ली 2007-08 से 2012-13 की अवधि के लिए रेलवे से ₹10.74 करोड़ सेवा प्रभार की वसूली करने में विफल रहे ।

(पैराग्राफ 2.2)

टैंक में वातानुकूलकों (ए.सी.) को समाविष्ट न करना

जांच दल की संस्तुतियों की उपेक्षा करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 2001 और 2007 में वातानुकूलकों के बिना ₹ 9083.36 करोड़ मूल्य के टैंक 'एक्स' की अधिप्राप्ति की, जिससे टैंक 'एक्स' संवेदनशील संघटकों के अवक्रमण के लिए सुभेद्य हो गया। तथापि, वातानुकूलकों की खरीद की कार्यवाही 2002 में शुरू कर दी गई थी, जो कि अब तक नहीं हुई है।

(पैराग्राफ 2.3)

कार्य अनुरूप प्रगति के बिना असमकालिक भुगतान

मॉनीटरिंग सेल, जिसमें थल सेना और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सदस्य सम्मिलित थे, कार्य में अनुरूप प्रगति के साथ भुगतान को विवेकपूर्ण रूप से सुबद्ध करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को ब्याज रहित ₹ 110 करोड़ के अग्रिम का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप लगभग नौ वर्ष पूर्व ₹ 313.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान करने के बावजूद पोन्टून मिड स्ट्रीम ब्रिजों की आपूर्ति हेतु 2001 में दिया गया आदेश फलप्रद सिद्ध नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 2.4)

आवश्यक नियंत्रण के अभाव में बकाया देय की वसूली न होना

संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) से शान्ति रक्षण मिशनों से सम्बंधित वसूलियां प्राप्त करने के मामले में विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए) और रक्षा मंत्रालय के बीच दायित्व के सम्बन्ध में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप न केवल बहुत अधिक बकाया शेषों का संचयन हुआ, अपितु उससे बंद चार मिशनों से देय ₹ 73.84 करोड़ की प्रतिपूर्ति भी असंभाव्य हो गयी ।

(पैराग्राफ 2.5)

एक अपंजीकृत और अनुभवहीन फर्म से पूर्व तकनीकी जांच के बिना निम्न-स्तर के भंडारों की स्वीकृति

रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने प्रतिदर्श की उचित जांच एवं पूर्वानुमोदन के बिना एक अपंजीकृत विक्रेता से अप्रैल 2008 और अगस्त 2008 के बीच ₹ 2.54 करोड़ मूल्य के परम शीत ऋतु हेतु मास्क की अधिप्राप्ति की, जिसके कारण 92783 मास्क जिनका मूल्य ₹ 1.82 करोड़ था, अप्रयोग्य रह गए।

(पैराग्राफ 3.1)

एक्स-रे जेनरेटर्स को नौ वर्षों से अधिक समय तक स्टॉक में रखना

प्रति आई.ई.डी. उपकरण के रूप में प्रयोग किए जाने की तुरन्त आवश्यकता के आधार पर अधिप्राप्त ₹ 2.28 करोड़ मूल्य के 32 एक्स-रे जेनरेटर्स को प्रयोक्ता इकाइयों को जारी करने में रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय की विफलता के कारण उनका जीवनकाल भंडारण में ही समाप्त हो गया।

(पैराग्राफ 3.2)

बैटरियों का अनुरक्षण न करने के कारण हानि

सेना मुख्यालय/केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली छावनी द्वारा अधिप्राप्त निम्न अनुरक्षण से युक्त 37957 बैटरियों में से 6993 बैटरियां भंडारण के दौरान अपर्याप्त अनुरक्षण के कारण खराब हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.18 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.3)

भंडारों के पुनः परिवहन पर परिहार्य व्यय

‘परिवहन नमूना’ जिसमें आपूर्तिकर्ता द्वारा अंतिम परेषिती को भंडारों का प्रत्यक्ष परिवहन परिकल्पित था, का पालन करने में सेना मुख्यालय की विफलता के कारण ₹ 5.45 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जिसने उस उद्देश्य को ही विफल कर दिया जिसके लिए परिवहन नमूना परिकल्पित था।

(पैराग्राफ 3.4)

भवनों में अप्राधिकृत मजबूती करने के उपायों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त खर्च

भारतीय मानक 1893: 2002, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 और केन्द्रीय कमान निर्माण कार्य विनिर्देशन के उल्लंघन में सम्बन्धित सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों ने भूकंपीय अंचल II और III में भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त प्लिंथ क्षेत्र दरों को सम्मिलित करते हुए संस्वीकृतियां प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.5)

रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग

विनिर्दिष्ट सरकारी आदेशों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों के रहते हुए भी, स्थानीय कमांडरों ने अनुचित उद्देश्यों के लिए दिल्ली एवं पुणे छावनियों के सरकारी भवनों के पुनर्विनियोजन के द्वारा उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों का दुरुपयोग किया।

(पैराग्राफ 3.6)

लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियां, बचतें एवं लेखाओं में समायोजन

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के अनुवर्तन पर लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 68.94 करोड़ के शुद्ध प्रभाव युक्त वेतन एवं भत्तों, विद्युत, चुंगी और विविध प्रभारों से सम्बन्धित भुगतानाधिक्य की वसूली की, निर्माण कार्यों की संस्वीकृतियों को निरस्त किया तथा वार्षिक लेखाओं को संशोधित किया।

(पैराग्राफ 3.7)

सशर्त संविदा की स्वीकृति से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

सैन्य अभियंता सेवाओं के विनियमों के उल्लंघन में दिल्ली क्षेत्र के मुख्य अभियंता ने सरकारी अनुमति के बिना अनिश्चित दायित्व से युक्त एक सशर्त संविदा की, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 4.1)

खराब योजना के परिणामस्वरूप कार्य का निलंबन और सरकारी सम्पत्ति का नुकसान

थल सेना ने उपगमन सड़क के प्रावधान पर विचार किए बिना ₹ 9.04 करोड़ की भूमि का अधिग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3 करोड़ व्यय करने के बाद निर्माण कार्य को निलंबित करना पड़ा। इससे परिसंपत्तियों को ₹ 37 लाख की क्षति पहुंची तथा ₹ 1.87 करोड़ के निवारक निर्माण कार्यों की आवश्यकता हुई।

(पैराग्राफ 4.2)

मीटर स्थापित न किए जाने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विभाग से 33 के वी थोक विद्युत आपूर्ति हेतु उधमपुर के एम ई एस प्राप्ति केन्द्र में विद्युत मीटर स्थापित करने तथा बिजली की छूट का दावा करने में उधमपुर के मुख्य अभियंता की विफलता के कारण ₹ 8.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.3)

ठेकेदारों को वृद्धि प्रभार का अस्वीकार्य भुगतान

रक्षा निर्माण प्रक्रिया- 2007 के प्रावधानों के उल्लंघन में मुख्य अभियंताओं ने इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर मूल्य परिवर्तन खण्ड को निविदा प्रलेखों में सम्मिलित करते हुए संविदाएं कीं, जिसके कारण ठेकेदारों को अस्वीकार्य भुगतान किए गए।

(पैराग्राफ 4.4)

उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय

उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग ने ₹16.38 करोड़ की लागत पर चित्रा परियोजना के उन्नयन हेतु मेसर्स आई टी आई लिमिटेड, हैदराबाद को एकल निविदा के आधार पर आपूर्ति आदेश दिया। तथापि, मेसर्स आई टी आई लिमिटेड, ने ₹ 14.26 करोड़ की लागत पर मेसर्स रियल टैक सोल्यूशन, बंगलोर के माध्यम से बाह्यस्रोत द्वारा इस कार्य का निष्पादन कराया, जिसके कारण विभाग को ₹ 2.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

सी ए टी आई ए वी 6 सोफ्टवेयर की अवांछनीय अधिप्राप्ति

उपयुक्त व्यवहारिकता अध्ययन/आवश्यक विश्लेषण के बिना ₹11.05 करोड़ की लागत पर एकल निविदा के आधार पर उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा केन्द्रीय रूप से अधिप्राप्त सी ए टी आई ए वी 6 सी ए डी/सी ए एम सोफ्टवेयर के 12 लाइसेंसों में दस की अधिप्राप्ति अनावश्यक थी, क्योंकि दो वर्षों से अधिक के बाद भी, सोफ्टवेयर मार्च 2011 में उसकी अधिप्राप्ति से निरंतर अप्रयुक्त पड़ा रहा।

(पैराग्राफ 5.2)

डी आर डी ओ द्वारा अधिप्राप्तियों में नियमों का उल्लंघन

रक्षा मंत्रालय एवं विकास संगठन ने सेना से आदेश प्राप्त होने की प्रत्याशा में ₹ 52.58 करोड़ की लागत पर नाग मिसाइल के उत्पादन में अपेक्षित एक महत्वपूर्ण संघटक की अधिप्राप्ति की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.70 करोड़ सरकारी धन का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 5.3)

आयुध फैक्ट्री संगठन का सामान्य कार्य निष्पादन

आयुध फैक्ट्री संगठन, जिसके अधीन 41 आयुध फैक्ट्रियाँ (परियोजना चरण के अधीन दो आयुध फैक्ट्रियाँ सहित) है, कुल 96,547 की श्रमशक्ति के साथ, प्राथमिक रूप से देश के सशस्त्र सेनाओं के लिए, शस्त्र, गोलाबारूद, उपस्कर, वस्त्र आदि के उत्पादन में संलग्न है। वर्ष 2011-12 में कुल उत्पादन मूल्य ₹15933.44 करोड़ था जो कि वर्ष 2010-11 में ₹14012.11 करोड़ के उत्पादन मूल्य से 13.71 प्रतिशत अधिक था

भारत के लोक लेखाओं में “नवीनीकरण एवं आरक्षित” (आर/आर) निधि के अंतर्गत वर्ष के प्रारंभ में ₹490.45 करोड़ का पर्याप्त शेष होने के बावजूद ओ.एफ.बी. की ‘आर.आर. निधि में अन्तरण’ के अधीन ₹325.00 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ एवं संयंत्र एवं मशीनरी के क्रय हेतु वर्ष 2011-12 में केवल ₹ 311.42 करोड़ का आहरण करने पर भी शेष राशि ₹ 13.58 करोड़ को भारत के लोक लेखाओं में रखा।

वर्ष 2011-12 के दौरान आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने वर्ष 2010-11 की तुलना में ₹1385.01 करोड़ (12.05 प्रतिशत) की कुल प्राप्तियों में वृद्धि दर्ज की। तथापि, 31 मार्च 2012 तक मदों के वास्तविक निर्गम के बिना निर्गमों के लिए सशस्त्र सेनाओं तथा अन्य मांगकर्ताओं के नामें डालने के गलत चलन के कारण कुल प्राप्ति ₹ 1581.12 करोड़ तक बढ़ी। इसने परिणामस्वरूप उस वर्ष की अधिशेष राशि उसी सीमा तक बढ़ा दिया था।

वर्ष 2011-12 के दौरान 547 मदों में से जो माँगे विद्यमान थी एवं लक्ष्य निर्धारित थे, लक्ष्य प्राप्ति में 64 प्रतिशत (352 मदें) की कमी थी।

वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में निर्यात के लक्ष्य में 15.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 6.1)

एक अवयव की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

8 ए टेल यूनिट के कुल लेन-देन लागत से ओ.एफ.सी. के अधिक सामग्री लागत के बावजूद आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से गोलाबारूद फैक्ट्री किरकी/ आयुध फैक्ट्री देहू रोड द्वारा 8 ए टेल यूनिट की अधिप्राप्ति पर ₹ 24.79 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 6.2)

विदेशी आपूर्तिकर्ता को विनिमय अन्तर की मन्जूरी से अनुचित लाभ देना

रक्षा अधिप्राप्ति नियमपुस्तिका के उल्लंघन एवं रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन की प्राप्ति के बिना आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने विदेशी आपूर्तिकर्ता को विनिमय दर अन्तर के कारण ₹1.22 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान की मन्जूरी प्रदान करके अनुचित लाभ पहुँचाया।

(पैराग्राफ 6.3)

निविदा पूछताछ एवं संविदा की शर्तों को हल्का करने से एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करके आयुध फैक्ट्री बड़मल ने उत्पादित महीने के निर्धारण के बिना ₹ 2.58 करोड़ मूल्य की पी.सी. शीटों को स्वीकृत करके एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ दिया। इसके साथ-साथ पी.सी. शीटें आयुध फैक्ट्री चंदा को विलम्बित निर्गम करने के फलस्वरूप ₹ 0.67 करोड़ मूल्य की पी.सी. शीटों के संचय से उनकी शैल्फ लाईफ समाप्त हो गई।

(पैराग्राफ 6.4)

खाली शेलों की नामन्जुरी के कारण हानि एवं परिणामस्वरूप भंडार में अवरोधन

₹2.78 करोड़ मूल्य के खोखले काय (आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा उत्पादित) की एक खेप के नामन्जूर होने के कारण उजागर प्रणाली विज्ञान के प्रमाण का समाधान करने में उत्पादन एवं निरीक्षण अभिकरण विफल रहे। फलस्वरूप ₹10.28 करोड़ के भंडार अप्रयुक्त रहे।

(पैराग्राफ 6.5)

अपर्याप्त गुणवत्ता नियन्त्रण के कारण 7.62 मि.मी. के पीतल के कर्पों एवं गोला बारूद के अस्वीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.42 करोड़ का नुकसान हुआ

आयुध फैक्ट्री कटनी ने अभावपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण के कारण दोषपूर्ण निर्माण के साथ 7.62 मि.मी. के पीतल के कर्पों का आयुध फैक्ट्री वांरगावं को निर्गम किया, जो कि गोला बारूद के उत्पादन के लिए इनका प्रयोग करती है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.42 करोड़ मूल्य के पीतल के कर्पों तथा गोला बारूद का अस्वीकरण हुआ।

(पैराग्राफ 6.6)

पायलट नमूनों की अनुमति से पहले अधिकांश उत्पादन के कारण भंडार का अवरोधन

आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा पायलट खेपों के प्रमाण के सफल निष्पादन से पहले एक गोला बारूद के खाली शैलों के थोक उत्पादन के परिणामस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ का भंडार अवरोधित हुआ।

(पैराग्राफ 6.7)

लेखापरीक्षा के संकेत पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के संकेत पर 18 आयुध फैक्ट्रियों एवं महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन नई दिल्ली के तीन निरीक्षणालयों ने ₹ 2.09 करोड़ की वसूली की।

(पैराग्राफ 6.8)

अध्याय I : भूमिका

1.1 प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय और इसके निम्नलिखित संगठनों में वित्तीय लेन-देन के अनुपालन लेखापरीक्षा में उठे मामलों से संबंधित है:-

- थलसेना;
- अन्तर्सेवा संगठन;
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राथमिक रूप से थलसेना और आयुध फैक्ट्रियों को समर्पित उसकी प्रयोगशालाएं;
- रक्षा लेखा विभाग और
- आयुध फैक्ट्रियां ।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित संगठनों के व्यय, प्राप्ति, परिसम्पत्तियों और उत्तरदायित्वों के लेन-देन से संबंधित जाँच की ओर ध्यान आकृष्ट करवाती है जिससे यह पता लग सके कि भारत के संविधान, लागू नियमों, अधिनियमों और सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है ।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है । लेखापरीक्षा मानकों के लिए आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के विषय का स्तर लेन-देन की मात्रा और विस्तार के अनुरूप होना चाहिए । लेखापरीक्षा की जाँच के परिणाम से अपेक्षा है कि कार्यकारिणी उपचारात्मक कार्यवाही से ऐसी नीति और निर्देश बनाए जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन को सुधारा जा सके, इस प्रकार अच्छे प्रबंधन और उन्नत सामरिक तैयारी करने में सहायता मिलेगी ।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार की व्याख्या के अतिरिक्त विशिष्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश है इसके पश्चात उपरोक्त संगठनों के व्ययों पर संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है । तदनुपरांत अध्यायो में मंत्रालय और उपरोक्त संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से निकली विस्तृत उपलब्धियां और आपत्तियां प्रस्तुत है ।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

रक्षा मंत्रालय शीर्ष स्तर पर रक्षा संबंधी सभी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है । यह चार विभागों में विभाजित है, जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग । प्रत्येक विभाग का मुखिया एक सचिव होता है । रक्षा सचिव जो कि रक्षा विभाग का मुखिया होता है, अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ भी समन्वय करता है ।

थलसेना का प्राथमिक उत्तरदायित्व बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा करना है । यह प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक अशान्ति के समय भी

सिविल प्राधिकारियों की मदद करती है। इसलिए थलसेना के लिए आवश्यक है कि वह उचित तरीके से सज्जित, आधुनिक हो और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करे।

डीआरडीओ की प्राथमिकता अपनी प्रयोगशालाओं की शृंखला के माध्यम से भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास करना है। यह वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक, उपकरण, अभियांत्रिकी प्रणाली, मिसाइलों, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कम्प्यूटिंग, अनुरूपण और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है।

अन्तर्सेवा संगठन जैसे सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, सैन्य इंजीनियरी सेवाएं (एम.ई.एस.), रक्षा संपदा, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि रक्षा बलों के तीन संभागों थलसेना, नौसेना और वायुसेना के सेवार्थ है। ये सामान्य संसाधनों के विकास एवं रखरखाव के लिए इष्टतम लागत-प्रभावी सेवाएं देने के लिए उत्तरदायी हैं। ये सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसका प्रमुख महानिदेशक, आयुध सेवाएं होता है। उनतालिस आयुध फैक्ट्रियां सैन्य बलों के लिए आयुध भंडार के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है।

1.3 एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण

रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं की एक पूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय में पूर्ण एकीकृत वित्त विभाग के साथ सचिव (रक्षा वित्त) और उनके अधिकारीगण लोक निधि से हुए व्यय से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करते हैं। सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं को सभी स्तरों पर वित्तीय सलाह प्रदान करने और रक्षा व्यय के राजकोषीय नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है।

रक्षा सेवाओं के मुख्य लेखांकन अधिकारी होने के नाते सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा व लेखांकन हेतु भी उत्तरदायी है। यह दायित्व रक्षा लेखा विभाग, जिसका मुखिया महानियंत्रक रक्षा लेखा होता है, के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

हमारे लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 से लिया गया है। हम सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम के सेक्शन 13¹ के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रमुख छावनी बोर्ड इस अधिनियम के सेक्शन 14² के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के नियम और प्रणालियां “लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007” में निहित है

¹ (i) भारत की समेकित निधि से हुए सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखों से संबंधित लेन-देन (iii) सभी व्यापार, उत्पादन, लाभ एवं हानि लेखों और तुलन-पत्रों एवं अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा।

² भारत की समेकित निधि या किसी भी राज्य या किसी भी संघ शासित प्रदेश द्वारा निकायों या प्राधिकारियों को बड़ी मात्रा में अनुदान या ऋण के द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं, के प्राप्ति एवं व्ययों की लेखापरीक्षा

1.5 लेखापरीक्षा नियोजन एवं संचालन

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरे संगठन के जोखिम के मूल्यांकन और प्रत्येक यूनिट पर किए गए व्यय, कार्यकलाप की समीक्षा और जटिलता, दी गई वित्तीय शक्तियों का स्तर, संपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और स्टेकहोल्डर के बारे में मूल्यांकन से प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा पर निर्णय लिया जाता है। लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती है।

प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा समाप्त होने के पश्चात उसके परिणाम स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एल.टी.ए.आर.) के माध्यम से यूनिट प्रमुख को जारी किए जाते हैं। यूनिटों से लेखापरीक्षा जांच परिणाम का उत्तर एल.टी.ए.आर. प्राप्त होने के एक माह के भीतर देने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा टिप्पणियां या तो निपटा दी जाती हैं अथवा अनुपालन हेतु आगे कार्यवाही की सलाह प्रदान कर दी जाती है। इन एल.टी.ए.आर. में से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। 2011-12 के दौरान 11670³ लेखापरीक्षा-दिवस लगाकर 626⁴ यूनिटों/फार्मेशनों की लेखापरीक्षा की गई थी। हमारी लेखापरीक्षा योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिटों/फार्मेशनों, जिनमें जोखिम की संभावना ज्यादा हो, को उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों द्वारा कवर किया गया है।

1.6 महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

जहाँ तक रक्षा क्षेत्र की लेखापरीक्षा का संबंध है, रक्षा मंत्रालय तथा सेवा संगठनों द्वारा की जाने वाली पूंजीगत और राजस्व अधिप्राप्तियाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। लेखापरीक्षा अपने पुराने प्रतिवेदनों में अधिप्राप्ति प्रक्रिया की कमियों को इंगित करता रहा है एवं रक्षा मंत्रालय ने निहित प्रक्रिया में सुधार के लिए कई प्रकार के उपाय किये हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) एवं रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी.पी.एम.) का आवधिक पुनरीक्षण बेहतर कार्यप्रणाली को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में उन मामलों को उजागर किया है जोकि परिचालन संबंधी तैयारी में उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण माने गये हैं। रक्षा भूमि का गलत प्रबंधन, संविदा का खराब प्रबंधन, संविदाकारों अस्वीकार्य भुगतान करना, निम्न स्तर के भंडारों की अधिप्राप्ति, अधिक भुगतान आदि से संबंधित मामलों को भी यह प्रतिवेदन उजागर करता है, जिनक तुरंत समाधान करने की आवश्यकता हैं।

डी आर डी ओ ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए सेना से आदेश की प्रत्याशा में ₹ 52.58 करोड़ रुपये की लागत पर एक महत्वपूर्ण संघटक की अधिप्राप्ति की जिसके फलस्वरूप ₹ 34.70 करोड़ के सरकारी धन का अवरोधन हुआ। (पैराग्राफ 5.3)

³ कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, नई दिल्ली और कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान उपयोग किए गए पार्टी-दिवसों की संख्या

⁴ कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा नई दिल्ली और कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा की गई यूनिटों/फार्मेशनों की संख्या

सेना मुख्यालय/केन्द्रीय आयुध डिपो दिल्ली छावनी ने ₹ 21.32 करोड़ की लागत में अल्प अनुरक्षण से युक्त 37957 बैटरियों की अधिप्राप्ति की जिनके पुनरावेषण के लिए आवश्यक भण्डारण प्रक्रिया एवं प्रयाप्त संसाधन हेतु नियंत्रक डिपो को संवेदनशील नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 6993 बैटरियों के समयापूर्व दोषपूर्ण/ अप्रयोज्य होने के कारण ₹ 4.18 करोड़ की हानि हुई (पैराग्राफ 3.3)

सेना मुख्यालय वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान टायर एवं एकीकृत फील्ड शैल्टरों की खरीद में परिवहन नमूने को कार्यान्वित करने में विफल रहा क्योंकि आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसी इकाइयों को सीधे प्रेषित करने की बजाए केन्द्रीय आयुध डिपो मुंबई द्वारा विभिन्न यूनिटों को पुनः प्रेषण के कारण वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 5.45 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। (पैराग्राफ 3.4)

रक्षा निर्माण कार्य प्रक्रिया -2007 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मध्य,पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम कमानों में तीन मुख्य अभियंताओं ने संविदाओं में वृद्धि खण्ड को सम्मिलित किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹1.39 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया।(पैराग्राफ 4.4)

सेना मुख्यालय फर्म की क्षमता का सत्यापन एवं प्रतिदर्श के लिए निर्धारित प्रक्रिया को लागू करने में विफल रहा और एक अपंजीकृत एवं अनुभवहीन फर्म से ₹ 2.54 करोड़ मूल्य के मास्क फेस एक्सट्रीम कोल्ड वैदर (मास्क) की आपूर्ति हेतु संविदा स्वीकृत की। इस प्रकार खरीदे हुए मास्क निम्न स्तरीय पाये गए। (पैराग्राफ 3.1)

रक्षा मंत्रालय ने परीक्षण- दल की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए ₹ 9083.36 करोड़ मूल्य के वातानुकूलकों के बिना टैंक एक्स की खरीद के लिए संविदाएँ की। तथापि रक्षा मंत्रालय ने वातानुकूलकों की आवश्यकताओं को तत्काल स्वीकार किया। वातानुकूलकों की खरीद अभी तक बाकी है। (पैराग्राफ 2.3)

मुख्य अभियंता उधमपुर मण्डल द्वारा मीटर संस्थापित न करने के कारण जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विभाग ने सैन्य अभियंता सेवाओं से आंकलित खपत पर आवश्यकता से अधिक मूल्य वसूला जिसके फलस्वरूप मार्च 2008 से नवम्बर 2012 के बीच ₹ 8.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जो कि परिहार्य था।(पैराग्राफ 4.3)

आयुध फैक्ट्रीयों के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा एक संघटक की खरीद पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय, विनियम दर भिन्नता को स्वीकृत करते हुए विदेशी फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाना, खाली खोखों की अस्वीकृति के कारण हानि एवं परिणामस्वरूप तालिकाओं का अवरुद्ध होना, अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण के फलस्वरूप 7.62 मि.मी. पीतल के कपों और गोला-बारूद प्रयोगात्मक नमूने की अनुमति के बिना थोक निर्माण की बचत से तालिकाओं का अवरुद्ध होना और लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली पर टिप्पणी की। इसके अतिरिक्त आयुध निर्माणियों की 2011-12 की कार्य शैली के सामान्य निष्पादन के बारे में भी टिप्पणी की गई है।

1.7 रक्षा संपदा प्रबन्धन में निरन्तर अनियमितता

रक्षा सेवाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों में, रक्षा संपदा प्रबंधन पर 2010-11 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 35 समेत रक्षा भूमि के खराब प्रबंधन के मामले उजागर किये गये हैं। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में रक्षा संपदा के

असंतोषजनक प्रबंधन के उदाहरणों पर बार-बार बल दिए जाने के बावजूद इसमें कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा रक्षा भूमि का दुरुस्त्रयोग, समय पर पट्टे का नवीनीकरण न करने के कारण पूर्व-पट्टेदारों द्वारा भूमि का अनधिकृत अधिभोग और इससे राजस्व की हानि तथा रक्षा आवास का अनधिकृत प्रयोग आदि से संबंधित मामले निरंतर चलते रहे, यथा इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.1 एवं 3.6 में दिये गये हैं। इस संबंध में शीघ्रताशीघ्र सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.8 लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को जून 1960 में लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों जोकि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में रखने के लिए नामांकित किये गये हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजने के निर्देश दिये थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफ, संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों का ध्यान लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर खींचते हुए एवं अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने की प्रार्थना के साथ अग्रेषित कर दिया जाता है। इसे उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है क्योंकि इन पैराग्राफों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं, में शामिल किये जाने की संभावना होती है, अतः इस पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जोकि इस प्रतिवेदन में रखने के लिए प्रस्तावित किये गये थे, दिसम्बर 2012 और जुलाई 2013 के बीच संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित पत्रों द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय ने अध्याय II से V तक के 19 पैरा में से 12 पैरा के उत्तर नहीं भेजे। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन के अध्याय VI में शामिल 8 पैरा में से 7 पैरा (नवम्बर 2013) के उत्तर नहीं भेजे। तथापि, थलसेना मुख्यालय और आयुध फैक्ट्री बोर्ड की प्रतिक्रिया, जहाँ कहीं भी प्राप्त हुई, उन्हें उपयुक्त प्रकार से अध्याय II से VI के पैरा में शामिल कर दिया गया है।

1.9 पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किये गये सभी मामलों पर कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेहिता लागू करने के लिए लोक लेखा समिति की इच्छा थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत प्रकार से जाँच करने के बाद संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाएं।

नवम्बर 2013 तक थलसेना से संबंधित की गयी कार्यवाही टिप्पणी की समीक्षा इंगित करती है कि मार्च 2011 को समाप्त वर्ष तक के 89 पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी बकाया थी जिनमें से 13 पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय ने अभी तक प्रारम्भिक की गयी कार्यवाही टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की थी जैसाकि **परिशिष्ट-I** में दिखाया गया है, एवं 28 की गयी कार्यवाही टिप्पणियाँ 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है।

1.10 वित्तीय पहलू/बजटीय प्रबंधन

1.10.1 भूमिका

रक्षा मंत्रालय का बजटीय आवंटन अनुदानों की आठ मांगों के अधीन समविष्ट है, जिसमें छः अनुदान रक्षा सेवाओं के अनुमानों (डी एस ई) के अधीन और दो सिविल अनुदानों के अधीन सम्मिलित है।

- दो सिविल अनुदान जिसमें मांग संख्या 20, रक्षा सेवाएं (सिविल) एवं मांग संख्या 21- रक्षा पेंशन सम्मिलित हैं।
- रक्षा मंत्रालय के छः अनुदान निम्नवत् है:
मांग संख्या 22 रक्षा सेवाएं-थलसेना
मांग संख्या 23 रक्षा सेवाएं-नौ सेना
मांग संख्या 24 रक्षा सेवाएं- वायु सेना
मांग संख्या 25 रक्षा आयुध निर्माणियां
मांग संख्या 26 रक्षा सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)
मांग संख्या 27 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय - इसमें रक्षा मंत्रालय (सिविल) के अनुदानों हेतु मांगों के अंतर्गत आनेवाली को छोड़कर सभी सेवाएं और विभाग समाविष्ट हैं।
- सीमा सड़क संगठन के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त अनुदानों को मोटे तौर पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- ❖ **राजस्व व्यय:** इसमें वेतन एवं भत्ते, परिवहन , राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, आयुध निर्माणियों से आपूर्तियां, राशन, पेट्रोल, तेल व स्नेहक, पूर्ज आदि), राजस्व निर्माण कार्य (जिसमें भवनों का रखरखाव, जल और विद्युत प्रभार, किराये, दर एवं कर आदि) पर किया गया व्यय तथा विविध व्यय शामिल है।
- ❖ **पूंजीगत व्यय:** इसमें भूमि, नए हथियार और गोलाबारूद का अधिग्रहण, सेवाओं का आधुनिकरण, निर्माण कार्य, संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्कर, टैंक, नौसैनिक पोत, वायुयान और एरो इंजन, गोदीबाड़े, आदि पर किए गए व्यय आने हैं।

अनुदान के लिए विभिन्न मांगों के अंतर्गत सकल व्यय प्रावधान हेतु संसद⁵ की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। छः मांगों, अर्थात् मांग संख्या 22 से 27 तक के लिए रक्षा सेवाओं पर किए गए शुद्ध व्यय तक पहुँचने हेतु सकल व्यय से प्राप्तियों एवं वसूलियों जिसमें अधिशेष/ अप्रचलित भंडारों का विक्रय लाभ, राज्य सरकारों/ अन्य मंत्रालयों आदि को प्रदत्त सेवाओं के कारण प्राप्तियां जैसी मदें सम्मिलित हैं, तथा अन्य फुटकर मदों को घटाया जाता है।

1.10.2 अनुदान संख्या 20 रक्षा मंत्रालय का सिविल व्यय

मांग संख्या 20 के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए बजटीय प्रावधान तथा राजस्व और पूंजीगत व्यय समेत वास्तविक व्यय नीचे तालिका -1 में दर्शाया गया है:

⁵ स्रोत: स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट संख्या 20

तालिका -1 बजटीय आबंटन और वास्तविक व्यय: रक्षा मंत्रालय (सिविल)

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
13156.81	15072.84	14920.10

वर्ष 2011-12 के लिए ₹13296.32 करोड़ के सकल राजस्व व्यय के प्रमुख घटक कैंन्टीन भंडार विभाग (सी एस डी)(₹10322.32 करोड़), रक्षा लेखा विभाग (₹953.92 करोड़) , तटरक्षक संगठन (सी जी ओ) (₹ 925.84 करोड़), रक्षा संपदा संगठन (डी ई ओ) (₹159.94करोड़), जम्मू और कश्मीर लाइट इंफन्ट्री (जे एंड के एल आई)(₹733.82करोड़), आदि है। संशोधित अनुमान 2011-12 में ₹ 1623.78 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय में मुख्य आबंटन अन्य वित्तीय सेवाओं सीमाशुल्क विभाग (₹1575.38 करोड़), गृह एवं कार्यालय भवन (₹35.44 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (₹4.00 करोड़), सी एस डी द्वारा यूनित संचालित कैंन्टीनों के लिए विविध ऋण (₹ 2.32 करोड़) , के लिए पूंजीगत परिव्यय हैं।

1.10.3 अनुदान संख्या 21- रक्षा पेंशन

रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रक्षा पेंशन विभाग तीनों सेवाओं अर्थात थलसेना, नौसेना एवं वायुसेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारी सहित)तथा आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों आदि के संबंध में पेंशनी प्रभारों का प्रावधान करता है। वह सेवा पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का परिणत मूल्य, छुट्टी का नकदीकरण आदि का भुगतान करता है।

इस अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए बजटीय आबंटन और व्यय की स्थिति निम्नवत है:

तालिका-2 बजटीय आवंटन एवं वास्तविक व्यय रक्षा पेंशन

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
34000	34000	37568.56

1.11 अनुदान संख्या 22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान

1.11.1 सरसरी दृष्टि से


2007 -08 से 2011-12 की अवधि के लिए कुल रक्षा बजट, आवंटन और वास्तविक व्यय (दत्तमत और भारित)तालिका-3 एवं चार्ट -1 में निम्नवत दर्शाया गया है:

तालिका-3 कुल रक्षा बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
2007-08	99868.16	95094.29
2008-09	125414.04	118006.03
2009-10	148499.26	145781.04
2010-11	156126.83	158723.20
2011-12	178891.06	175897.94

चार्ट -1 बजट प्रावधान बनाम वास्तविक व्यय




- वास्तविक रक्षा संबंधी आंकड़ा 2007-08 और 2011-12 की अवधि के दौरान 84.97 प्रतिशत की कुल वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में वृद्धि 11 प्रतिशत है।

1.11.2 रक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय

2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए पूंजीगत और राजस्व व्यय (दत्तमत) नीचे चार्ट-2 में दर्शाया गया है

चार्ट -2 राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय



उपर्युक्त आंकड़ा दर्शाता है कि कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान 35 से 39 प्रतिशत के बीच रहा है।

1.12 थलसेना, आयुध निर्माणियां और अनुसंधान एवं विकास (पूंजीगत एवं राजस्व) से संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा - अनुदान संख्या 22,25,26, और 27⁶

2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी से संबंधित राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शानेवाला व्यय,(दत्तमत) का विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका -4 में दर्शाया गया है:

तालिका -4 थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी का व्यय (दत्तमत)

(₹ करोड़ में)

अनुदान का विवरण	व्यय का घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
थलसेना	वास्तविक	47393.09	59663.53	77512.29	80789.82	86776.05
	राजस्व	35481.29 (74.87%)	49052.51 (82.22%)	62716.64 (80.91%)	65001.96 (80.46%)	71832.66 (82.78%)
	पूंजीगत	11911.80 (25.13%)	10611.02 (17.78%)	14795.65 (19.09%)	15787.86 (19.54%)	14943.39 (17.22%)
आयुध निर्माणी	वास्तविक	1424.15	3309.13	3520.27	1527.00	1704.15
	राजस्व	1274.14 (89.47%)	2957.00 (89.36%)	3279.98 (93.17%)	1073.42 (70.30%)	1427.94 (83.79%)
	पूंजीगत	150.01 (10.53%)	352.13 (10.64%)	240.29 (6.83%)	453.58 (29.70%)	276.21 (16.21%)
आर एंड डी	वास्तविक	6137.13	7730.66	8507.87	10191.99	9932.29
	राजस्व	3190.61 (51.99%)	3873.55 (50.11%)	4355.57 (51.20%)	5230.88 (51.32%)	5321.24 (53.58%)
	पूंजीगत	2946.52 (48.01%)	3857.11 (49.89%)	4152.30 (48.81%)	4961.11 (48.68%)	4611.05 (46.43%)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिया हुआ अंक राजस्व/पूंजीगत व्यय को वास्तविक व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।


- 2011-12 के दौरान थलसेना के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 7.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 5.35 प्रतिशत की कमी और राजस्व व्यय में 10.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2011-12 दौरान आयुध निर्माणियों के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 11.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 39.10 प्रतिशत की कमी और राजस्व व्यय में 33.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2011-12 के दौरान आर एंड डी के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2.55 प्रतिशत की कमी हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 7.06 प्रतिशत की कमी और राजस्व व्यय में 1.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.12.1 थलसेना के कुल व्यय का विश्लेषण -पूंजीगत और राजस्व

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में थल सेना के कुल व्यय दोनों पूंजीगत और राजस्व की प्रवृत्ति नीचे चार्ट -3 में दर्शायी गई है:

⁶ अनुदान संख्या 23-नौसेना एवं अनुदान संख्या-24-वायुसेना-का विश्लेषण संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)वायु सेना एवं नौसेना के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है।

चार्ट-3 थलसेना का कुल व्यय- पूंजीगत और राजस्व




उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि कुल थलसेना व्यय के राजस्व घटक में 2007-08 में 75 प्रतिशत से 2011-12 में 83 प्रतिशत तक, 2007-08 से 2011-12 के दौरान 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पूंजीगत घटक में उसी अवधि के दौरान 25 प्रतिशत (2007-08) से 17 प्रतिशत (2011-12) में तदनुरूप कमी हुई है।

1.12.2 आयुध निर्माणी के व्यय का विश्लेषण - पूंजीगत और राजस्व

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में आयुध निर्माणी के कुल व्यय दोनों पूंजीगत और राजस्व की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-4 में दर्शायी गई है:

चार्ट -4 आयुध निर्माणी का कुल व्यय - पूंजीगत और राजस्व




चार्ट -4 दर्शाता है कि कुल आयुध निर्माणी व्यय के राजस्व घटक में 2007-08 में 89 प्रतिशत से 2011-12 में 84 प्रतिशत तक, 2007-08 से 2011-12 के दौरान 5 प्रतिशत की कमी हुई है, जबकि व्यय के पूंजीगत घटक में 11 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक प्रतिशतता में तदनुरूप वृद्धि हुई ।

1.12.3 अनुसंधान एवं विकास व्यय का विश्लेषण -पूँजीगत और राजस्व

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में अनुसंधान एवं विकास के कुल व्यय दोनों पूँजीगत और राजस्व की प्रवृत्ति नीचे चार्ट -5 में दर्शायी गई है:

चार्ट -5 आर एंड डी का कुल व्यय -पूँजीगत और राजस्व



चार्ट-5 दर्शाता है कि आर एंड डी पर किए गए राजस्व व्यय में 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान 2007-08 में 52 प्रतिशत से 2011-12 में 54 प्रतिशत तक 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पूँजीगत घटक में 48 प्रतिशत से 46 प्रतिशत में समान रूप में कमी हुई है।

1.13 राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विश्लेषण

1.13.1 थलसेना (दत्तमत)


2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय थलसेना के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत किया गया था, यथा नीचे तालिका -5 और चार्ट -6 में दर्शाया गया है:

तालिका -5 थलसेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-101 एवं 103)	भंडार (लघु शीर्ष-110)	निर्माण कार्य (लघु शीर्ष-111)	राष्ट्रीय राइफल्स (लघु शीर्ष-112)	असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-104)	अन्य व्यय (लघु शीर्ष- 800)
2007-08	15147.14	9488.60	3648.24	1603.25	1604.54	1165.81
2008-09	24656.04	10712.51	4282.97	2419.72	2353.11	1370.11
2009-10	36896.23	9404.65	4608.34	3047.58	3132.27	1380.31
2010-11	35445.39	12144.48	5308.35	3098.71	3051.42	1475.79
2011-12	39996.27	12442.20	5708.68	3585.38	3361.21	1644.18

चार्ट -6 थलसेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- व्यय में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि : 2007-08 से 2011-12 के दौरान थलसेना और सहायक सेनाओं के वेतन एवं भत्ते, असैनिकों के वेतन एवं भत्ते और राष्ट्रीय राइफल्स से संबंधित व्यय के लघु शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 164.05 प्रतिशत , 109.48 प्रतिशत और 113.6 प्रतिशत के हिसाब 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

1.13.2 आयुध निर्माणियां


2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय, आयुध निर्माणियों के पांच लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका- 6 और चार्ट- 7 में दर्शाया गया है:

तालिका -6 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भंडार लघु शीर्ष 110	निर्माण लघु शीर्ष 054	अन्य व्यय लघु शीर्ष 800	नवीनीकरण एवं आरक्षित निधि (आर एवं आर) लघु शीर्ष -797	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष -106
2007-08	4012.06	1985.14	445.76	230.0000	237.50
2008-09	4948.22	2858.54	483.05	271.0000	276.22
2009-10	5965.16	3566.03	506.74	280.0000	228.24
2010-11	5704.96	3499.75	582.66	600.0000	207.82
2011-12	6101.41	4415.33	649.75	325.0000	310.25

चार्ट -7 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- व्यय में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि: 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान लघु शीर्ष निर्माण -054 के अंतर्गत 122.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- भंडार, आर एवं आर निधि और नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष के अंतर्गत, व्यय में उसी अवधि के दौरान क्रमशः 52.07 प्रतिशत, 41.30 प्रतिशत और 30.63 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

1.13.3 अनुसंधान एवं विकास


2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय अनुसंधान एवं विकास के छः लघु शीर्षों के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका-7 और चार्ट-8 में दर्शाया गया है:

तालिका -7 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भंडार लघु शीर्ष-110	असैनिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष - 104	आर एंड डी लघु शीर्ष-004	निर्माण कार्य लघु शीर्ष-111	सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष - 101 एवं 103	अन्य व्यय लघु शीर्ष-800
2007-08	1301.18	661.19	677.58	325.77	83.17	68.78
2008-09	1395.99	1096.76	696.51	374.86	140.67	97.87
2009-10	1453.76	1525.66	562.81	411.80	220.34	101.31
2010-11	1665.91	1409.71	1218.25	492.17	201.61	144.02
2011-12	1774.18	1534.88	983.91	543.20	198.23	167.55

चार्ट -8 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यय में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि: 2007-08 से 2011-12 के दौरान असैनिकों के वेतन एवं भत्ते और सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 132.13 प्रतिशत और 138.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 'अन्य व्यय': 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान अन्य व्यय में 143.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान निर्माण कार्य, आर एंड डी - 004 और भंडार लघु शीर्षों के अंतर्गत व्यय में, दूसरी ओर, क्रमशः 66.74 प्रतिशत 45.20 प्रतिशत और 36.35 प्रतिशत की अनुरूप वृद्धि दिखाई दी।

1.14. पूंजीगत व्यय का विश्लेषण - मुख्य शीर्ष-4076 अनुदान संख्या-27 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

1.14.1 पूंजीगत व्यय के घटक: इस अनुदान के अंतर्गत आठ उप मुख्य शीर्ष हैं, उप मुख्य शीर्ष -01-थलसेना, उप मुख्य शीर्ष-02- नौसेना, उप मुख्य शीर्ष-03 वायु सेना, उप मुख्य शीर्ष-04- आयुध निर्माणियां, उप मुख्य शीर्ष 05- आर एंड डी, उप मुख्य शीर्ष-06 निरीक्षण संगठन, उप मुख्य शीर्ष-07- विशेष धातु एवं उत्तम मिश्रधातु परियोजनाएं तथा उप मुख्य शीर्ष -08 प्रौद्योगिकी विकास।

1.14.2 थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी (दत्तमत) के पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी अर्थात् उप मुख्य शीर्ष-01, 04 और 05 के पूंजीगत व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका -8 में दर्शाया गया है:

तालिका -8 कुल पूंजीगत व्यय (रक्षा सेवाएं) बनाम थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पूंजीगत परिव्यय	थलसेना का पूंजीगत व्यय	आयुध निर्माणियों का पूंजीगत व्यय	आर एंड डी का पूंजीगत व्यय
2007-08	37439.90	11911.80	150.01	2946.52
2008-09	40894.97	10611.02	352.13	3857.11
2009-10	51019.42	14795.65	240.29	4152.30
2010-11	62011.53	15787.86	453.58	4961.11
2011-12	67843.96	14943.39	276.21	4611.05

- **रक्षा सेवाओं का कुल पूंजीगत व्यय:** 2007-08 से 2011-12 के दौरान रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय में 81.21 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी के पूंजीगत व्यय में घटक-वार वृद्धि क्रमशः 25.25 प्रतिशत, 84.13 प्रतिशत और 56.49 प्रतिशत थी।
- **थलसेना का पूंजीगत व्यय:** रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय के प्रति थलसेना के पूंजीगत व्यय घटक में 2007-08 में 31.82 प्रतिशत से 2011-12 में 22.03 प्रतिशत तक 10 प्रतिशत की कमी हुई। 2011-12 के दौरान रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद थल सेना के पूंजीगत व्यय में पूर्व के वर्ष की तुलना में 5.35 प्रतिशत की कमी हुई है।
- **आयुध निर्माणी का पूंजीगत व्यय:** 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में कुल पूंजीगत व्यय के एक घटक के रूप में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 2007-08 में कुल पूंजीगत व्यय के 0.40 प्रतिशत से 2011-12 में 0.41 प्रतिशत में बढ़ा है। पूर्व के वर्ष की तुलना में आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में 2011-12 में 39 प्रतिशत की कमी दिखाई दी।
- **आर एंड डी का पूंजीगत व्यय:** कुल पूंजीगत व्यय की तुलना में आर एंड डी के पूंजीगत व्यय में लगभग 1 प्रतिशत, अर्थात् 7.87 प्रतिशत (2007-08) से 6.80 प्रतिशत (2011-12)में मामूली कमी दिखाई दी। पूर्व के वर्ष की तुलना में आर एंड डी का पूंजीगत व्यय 7.06 प्रतिशत कम हुआ है।

1.14.3 पूंजीगत व्यय (दत्तमत) में बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में बचत और 'आधिक्य'की प्रवृत्ति नीचे तालिका-9 में दर्शायी गई है:

तालिका -9 पूंजीगत व्यय में बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अनुदान (दत्तमत)	कुल व्यय	कुल पूंजीगत अनुदान के अधीन	
			बचत(-)	आधिक्य(+)
2007-08	41857.60	37439.91	4417.69 (10.55%)	-
2008-09	47976.10	40894.98	7081.12 (14.76%)	-
2009-10	54779.62	51019.42	3760.20 (6.86%)	-
2010-11	60776.21	62011.52	-	1235.31 (2.03%)
2011-12	69148.01	67843.97	1304.04 (1.89%)	-

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिया हुआ अंक बचत (-)/ आधिक्य (+) को कुल अनुदान (दत्तमत) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वर्ष 2010-11 को छोड़कर लगातार 'बचतें' हुई थी, जब 2.03 प्रतिशत का 'अधिक्य' था। इस अवधि के दौरान 'बचतें' 14.76 प्रतिशत और 1.89 प्रतिशत के बीच रही हैं।
- वर्ष 2011-12 के दौरान हुई रूपए 1304.04 करोड़ की बचत वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंतिम कार्य दिवस में समर्पण की गयी ₹ 3105.71 करोड़ (4.49 प्रतिशत) की निधियों के अतिरिक्त है।

अध्याय II : रक्षा मंत्रालय

2.1 रक्षा भूमि का अनुपयुक्त प्रबंधन

रक्षा संपदाओं के असंतोषजनक प्रबंधन के उदाहरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में बार-बार बल दिए जाने के बावजूद, उसमें कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं था। स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा रक्षा भूमि का दुरुपयोग, समय पर पट्टे का नवीनीकरण न करने के कारण पूर्व पट्टेदारों द्वारा भूमि पर अनधिकृत कब्जा और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि से संबंधित मामले निरंतर बने रहे।

प्रस्तावना

रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) सेवाओं एवं अन्य अभिकरणों की परिरक्षा में होने वाली भी रक्षा भूमि का स्वामी है। रक्षा संपदा महा निदेशक (डी जी डी ई), जो एक अंतरसेवा संगठन है, रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी है। डी जी डी ई की सहायता कमान स्तर पर प्रधान निदेशक/ निदेशक, रक्षा संपदा (पी डी डी ई / डी डी ई) द्वारा की जाती है। पी डी डी ई/ डी डी ई के अधीन मंडल स्तर पर रक्षा संपदा अधिकारी (डी ई ओ) हैं जो भूमि के अभिलेखों का रखरखाव करने तथा छावनी के अंदर और बाहर ऐसी भूमि का प्रबंधन, करने के लिए उत्तरदायी हैं।

रक्षा संपदाओं के कुप्रबंध तथा रक्षा भूमि के दुरुपयोग के मामले समय-समय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के प्रतिवेदनों यथा 2007 की प्रतिवेदन संख्या 4, 2008 की प्रतिवेदन संख्या सी ए 4, 2008-09 की प्रतिवेदन संख्या सी ए 17, 2010-11 की प्रतिवेदन संख्या सी ए 12 तथा 2010-11 को प्रतिवेदन संख्या पी ए 35 में प्रस्तुत किए गए हैं।

लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने पट्टों के निष्पादन/ नवीनीकरण में विलंब पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007 की प्रतिवेदन संख्या 4 के पैराग्राफ 2.1 की जांच करते समय रक्षा मंत्रालय से कड़े अनुपालन हेतु निम्नलिखित संस्तुतियां की थी:

- (i) एक कैलेंडर के माध्यम से पट्टा विलेखों के कार्यान्वयन और पट्टों के नवीनीकरण से संबंधित सही अभिलेखों का रखरखाव करने के लिए एक प्रभावकारी कार्यविधि तैयार की जाए;
- (ii) छः महीने से अधिक समय के लिए लंबित रक्षा भूमि के पट्टे के सभी मामलों की पहचान करना तथा उनको अंतिम रूप देने हेतु समय निश्चित करना;
- (iii) प्रत्येक पाँच वर्षों में दरों की यथोचित वृद्धि के अंतर्निहित खंड के साथ नियत तिथियों में पट्टों के नवीनीकरण हेतु एक नीति को अपनाना; तथा
- (iv) असामान्य विलंब/अकर्मण्यता/गलतियों के लिए संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराना।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने 2010-11 एवं 2011-12 के बीच रक्षा भूमि प्रबंधन की संवीक्षा यह निश्चित करने की दृष्टि से की कि:

- अधिकृत एवं वैध उद्देश्यों के लिए रक्षा भूमि का उपयोग किया जाता है,
- स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों (एल एम ए) तथा अन्य अधिवासियों द्वारा भूमि का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है,
- पट्टे के नवीनीकरण/ समाप्ति में कोई अनुचित विलंब नहीं है,
- पट्टेदारों से किराया एवं प्रीमियम की वसूली चालू दरों पर की जा रही है और कोई किराया बकाया नहीं है, तथा
- डी ई ओ द्वारा निजी/ सरकारी भूमि के सामयिक और सही अधिग्रहण/ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं।

हमने देखा कि विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार रक्षा संपदाओं के खराब प्रबंधन के मामलों पर विशेष बल दिए जाने तथा पी ए सी द्वारा संबद्ध नियमों एवं विनियमों के कड़े अनुपालन के लिए विशेष निर्देश जारी करने के बावजूद, रक्षा भूमि के प्रबंधन में कोई भी महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप, रक्षा भूमि का दुरुपयोग, पट्टों के नवीनीकरण/ समाप्ति में असामान्य विलंब, जिससे बकाया किरायों का विशाल संचय हुआ है, दूसरे विभागों द्वारा रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ों आदि से संबंधित अनियमितताएँ चलती रही, यथा निम्नलिखित मामलों में विस्तृत है:

लेखापरीक्षा परिणाम

क. रक्षा भूमि के पट्टों के नवीनीकरण में असामान्य विलंब के परिणामस्वरूप राजस्व की वसूली न होना

पट्टों के नवीनीकरण में अनुचित विलंबों से बचने हेतु, रक्षा संपदा अधिकारियों को प्रत्येक मामले में पट्टे की समाप्ति की तिथि से कम से कम एक वर्ष के पूर्व कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। नवीनीकरण कार्य पर विचार किए जाने से पहले किरायों के अद्यतन भुगतान की आवश्यकता के बारे में पट्टेदार को सलाह भी दी जाएगी। किंतु, इस विषय पर रक्षा मंत्रालय के स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद, जाँच परीक्षित छः मामलों में पट्टे के नवीनीकरण में हमने अनुचित विलंब देखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹829.71 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जो निम्नवत् है:

पट्टों के नवीनीकरण में असाधारण विलंब के कारण राजस्व की हानि दर्शानेवाली तालिका

मामला	स्टेशन	भूमि का क्षेत्रफल	पूर्व पट्टेदार का नाम	वर्ष जब से पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया	बकाया राजस्व राशि (₹करोड़ में)
1.	कोलकाता	153.416 एकड़	रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब	2007	814.00
2.	पूणे	1 एकड़ 36 वर्ग गज़	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	1966	5.39
3.	दिल्ली छावनी	5525 वर्ग फुट 12000 वर्ग फुट	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	1995	6.79
4.	दिल्ली छावनी	3011.07 वर्ग फुट	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	1992	1.48
5.	थाणे (मुम्बई)	4.983 एकड़	थाने स्पोर्टिंग क्लब कमेटी	2004	1.39
6.	नैनीताल	10290 वर्ग फुट	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	1989	0.66
	कुल				829.71

मामला 1

स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों के प्रशासन के अधीन कोलकाता मैदान में स्थित 153.416 एकड़ की रक्षा भूमि जनवरी 1932 से रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब (आर सी टी सी) को पट्टे पर दी गयी थी। इस पट्टे की अवधि को अंतिम बार दिसम्बर 2006 तक के लिए बढ़ाया गया था। 53 एकड़ भूमि के संबंध में वार्षिक किराया आर सी टी सी के सकल राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर पर तथा शेष 100.416 एकड़ भूमि के लिए प्रतिवर्ष ₹1000 प्रति एकड़ की दर पर इस शर्त पर नियत किया गया कि इस भूमि का अब से रक्षा प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाएगा।

दिसम्बर 2006 में पट्टे की समाप्ति पर, आर सी टी सी ने जनवरी 2007 से 30 वर्षों के लिए उसके नवीनीकरण हेतु अनुरोध किया (फरवरी/ अप्रैल 2007)। तथापि, डी जी डी ई ने मार्च 2011 में आर सी टी सी को जनवरी 2007 से दिसम्बर 2021 तक 15 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए पट्टा देने पर विचार करने हेतु रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव दिया, क्योंकि आर सी टी सी वाणिज्यिक क्रियाकलापों में लगा हुआ था तथा मनोरंजन कर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष ₹8 करोड़ का भुगतान कर रहा था। फलतः डी जी डी ई ने वाणिज्यिक दरों यथा डी ई ओ द्वारा परिकल्पित ₹31.80 करोड़ प्रतिवर्ष पट्टा किराया और ₹636.00 करोड़ का एक बारगी प्रीमियम पर 53 एकड़ भूमि के लिए संस्तुति की। शेष 100.416 एकड़ भूमि के लिए, ₹2000 प्रतिवर्ष प्रति एकड़ की दर से पट्टा किराया संस्तुत किया। पट्टे की संस्वीकृति हेतु मामला रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित किया गया। पट्टे का नवीनीकरण तथापि लंबित था (जुलाई 2012)।

इस प्रकार, पांच वर्ष और सात महीने से कोलकाता मैदान में रक्षा भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न करने के कारण अनधिकृत कब्जा बना हुआ है तथा आर सी टी सी से ₹814 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई है।

मामला 2

अगस्त 1966 में, रक्षा मंत्रालय ने वेल्लस्ली रोड, पूणे में थोक पेट्रोलियम प्रतिष्ठापन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आई ओ सी) को एक निर्धारित किराया/शुल्क पर भूमि के लाइसेंस हेतु संस्वीकृति प्रदान की। 07 सितंबर 1966 में आई ओ सी पूणे को एक एकड़ रक्षा भूमि और 36 वर्ग गज किराये की भूमि का हस्तांतरण किया गया।

शर्तों व निबंधनों तथा उस समय के किराये की राशि को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था, क्योंकि आई ओ सी के पक्ष में भूमि पट्टे पर देने को 1996 में पूर्व-भूस्वामी ने न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे अक्टूबर 2006 में अंततः खारिज कर दिया गया। इसी बीच, यद्यपि भूमि आई ओ सी के कब्जे में बनी रही, फिर भी डी ई ओ ने उसके लिए कोई पट्टा करार नहीं किया।

1966 से भूमि पर कब्जे के बावजूद, डी ई ओ ने प्रथम 5 वर्षों के लिए तदर्थ आधार पर केवल ₹4.20 लाख की वसूली की थी। मई 2011 में, पी डी डी ई, दक्षिण कमान पूणे ने डी जी डी ई को सूचित किया कि सितंबर 1966 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए आई ओ सी द्वारा उपयोग की जा रही 1 एकड़ भूमि के संबंध में आई ओ सी से देय किराये और प्रीमियम की राशि ₹5.39 करोड़ थी।

इस प्रकार, किराये के निर्धारण सहित शर्तों व निबंधनों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण आई ओ सी ने निर्धारित किराये का भुगतान किए बिना 1966 से रक्षा भूमि का अधिभोग किया था। आगे, अक्टूबर 2006 में न्यायालय द्वारा मामले को खारिज किए जाने के बाद भी डी ई ओ ने कोई पट्टा करार नहीं किया।

मामला 3

रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 1968 में ₹7072 के वार्षिक किराये एवं प्रीमियम, प्रत्येक पर मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) को 05 सितंबर 1973 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए धौला कुआँ, दिल्ली में 5525 वर्ग फुट भूमि पट्टे पर देने हेतु संस्वीकृति प्रदान की। यह पट्टा बाद में सितंबर 1977 तक बढ़ा दिया गया। अक्टूबर 1979 में रक्षा मंत्रालय ने किराये एवं प्रीमियम की दरों को बदले बिना 05 सितंबर 1977 से लेकर खाली करने की तिथि तक पट्टे का नवीनीकरण किया। साथ-साथ, रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 1979 में पेट्रोल पंप-सह-सर्विस स्टेशन के लिए ₹0.17 लाख के वार्षिक किराये और ₹0.84 लाख के प्रीमियम के भुगतान पर सितंबर 1977 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए एच पी सी एल को 17525 वर्ग फुट भूमि जिसमें समान भूमापन संख्या में से अतिरिक्त 12000 वर्ग फुट भूमि सम्मिलित है, पट्टे पर देने की संस्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय ने क्रमशः दिसंबर 1994 में ₹0.98 लाख के वार्षिक किराये तथा ₹4.91 लाख प्रीमियम तथा ₹3.85 लाख (किराया) एवं ₹19.24 लाख (प्रीमियम)के भुगतान पर पट्टे की अवधि पहले जनवरी 1990 तक और बाद में जनवरी 1995 तक बढ़ा दी।

किराये एवं प्रीमियम के संशोधन पर एच पी सी एल प्राधिकारियों ने बढ़ाए गए किराये को इस आधार पर रोककर रखने का अनुरोध किया (मार्च 2006) कि नयी दरें अत्यधिक हैं, जिससे उनकी लाभदायकता प्रभावित होती थी तथा एच पी सी एल ने जनवरी 1980 तक ₹0.17 लाख प्रतिवर्ष की पूर्व दरों पर भुगतान करना जारी रखा।

तथापि हमने देखा (नवंबर 2012) कि मार्च 2011 में, डी ई ओ दिल्ली छावनी ने एच पी सी एल को सूचित किया कि भूमि का पट्टा जनवरी 1995 में समाप्त हो गया था और तब से यह पेट्रोल पंप किसी पट्टे के अस्तित्व के बिना रक्षा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कार्य कर रहा था। डी ई ओ द्वारा अनुमानित किया गया कि फरवरी 1985 से जनवरी 1995 तक किराया और प्रीमियम तथा फरवरी 1995 से ब्याज के साथ क्षति किराये के बकाये के रूप में ₹6.79 करोड़ की राशि एच पी सी एल के प्रति शेष थी।

मामला 4

मई 1966 में रक्षा मंत्रालय ने मैसर्स बरमा शेल (अब मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है) को पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए नौ वर्षों की अवधि के लिए दिल्ली छावनी में 4561 वर्ग फुट रक्षा भूमि पट्टे पर देने हेतु संस्वीकृति प्रदान की।

जुलाई 1994 में, रक्षा मंत्रालय ने 14 नवंबर 1972 से 13 नवंबर 1992 तक 20 वर्ष की अवधि के लिए 4069 वर्ग फुट भूमि के पट्टे के नवीनीकरण के लिए कार्यांतर संस्वीकृति प्रदान की। फर्म ने 13 नवंबर 1992 तक की सभी देय राशि का भुगतान किया था। तत्पश्चात् नवीनीकरण के लिए कोई भी संस्वीकृति जारी नहीं की गई और मार्च 1997 में बी पी सी एल ने अगले 20 वर्ष के लिए पट्टे के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। स्टेशन मुख्यालय दिल्ली छावनी ने जुलाई 2002 में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मामले की जाँच करने के पश्चात्

प्रशासनिक सुरक्षा एवं आग के खतरे के कारण 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) प्रदान नहीं किया। अगस्त 2002 में, छावनी बोर्ड ने उक्त पट्टे के समापन संबंधी प्रस्ताव पी डी डी ई चंडीगढ़ को भेजा।

यह भूमि, तथापि, बी पी सी एल के कब्जे में थी तथा पट्टे के समापन के लिए कोई संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी (जुलाई 2012)। 14 नवंबर 1992 से 13 नवंबर 2012 तक की अवधि के लिए ₹1.48 करोड़ के पट्टा किराया एवं प्रीमियम की भी वसूली नहीं हुई।

मामला - 5

डी ई ओ मुम्बई के प्रबंधन के अधीन थाने में अवस्थित द्विभागीय थाने कैपिंग ग्राउंड के नाम से प्रचलित 24121 वर्ग गज़ (लगभग 4.983 एकड़) रक्षा भूमि थी। सिटी सर्वे (सी एस) न. 10-ए में 4 एकड़ की भूमि थाने स्पोर्टिंग क्लब कमेटी (क्लब) को 16 अक्टूबर 1960 से दस वर्ष के पट्टे पर दी गई थी। जुलाई 1996 में डी जी डी ई ने डी ई ओ, मुम्बई को सूचित किया कि क्लब के कब्जे में भूमि, रक्षा उपयोग हेतु अपेक्षित थी तथा रक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया था कि क्लब से भूमि का कब्जा ले लिया जाए। तथापि, डी जी डी ई ने अक्टूबर 1996 में विवादास्पद भूमि के नौसेना/वायुसेना अधिकारियों को आबंटन/हस्तांतरण के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्णय लिए जाने तक यथा स्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दिया। फरवरी 1998 में रक्षा मंत्रालय ने 24121 वर्ग गज़ भूमि में से 19380 वर्ग गज़ भूमि का हस्तांतरण नौसेना को तथा शेष 4741 वर्ग गज़ का वायुसेना को करने का निर्णय लिया।

रक्षा मंत्रालय ने क्लब को ₹1 के नाममात्र प्रीमियम और ₹12,000 के वार्षिक किराये पर 16 अक्टूबर 1989 से 15 अक्टूबर 1999 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए तथा ₹1 के प्रीमियम और ₹36,000 के वार्षिक किराये पर 15 अक्टूबर 2004 तक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए पट्टे के पूर्वव्यापी नवीनीकरण के लिए संस्वीकृति प्रदान की (अप्रैल 2004)। तथापि, जून 2004 में क्लब ने किराया घटाने का अनुरोध किया, क्योंकि मैदान का उपयोग खेल-कूद के लिए किया जाता था न कि किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप के लिए। डी ई ओ ने जुलाई 2004 में पी डी डी ई को सूचित किया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा नियत की गयी दर उचित थी, क्योंकि 1989 के लिए प्रभार्य वार्षिक पट्टा किराया ₹2.62 लाख तथा 1999 के लिए ₹17.44 लाख होगा।

डी ई ओ ने जून 2009 में डी जी डी ई को सूचित किया कि क्लब ने 15 अक्टूबर 2004 तक ₹3.00 लाख पट्टा किराये के रूप में भुगतान किया और इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष ₹36,000 की दर से 15 अक्टूबर 2006 तक दो वर्षों के लिए अंतरिम किराये के लिए ₹0.72 लाख जमा किया था। तथापि, मंत्रालय द्वारा 15 अक्टूबर 2004 के आगे पट्टा अवधि बढ़ाने हेतु संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी और क्लब 15 अक्टूबर 2004 से किसी संस्वीकृति के बिना भूमि का अधिभोग करता रहा। 1999 की बाजार दर को मानते हुए डी ई ओ मुम्बई द्वारा परिकल्पित पट्टे के वार्षिक किराये के कारण प्राप्त होने वाला राजस्व 16 अक्टूबर 2004 से 15 अक्टूबर 2012 तक की अवधि के लिए ₹1.40 करोड़ (1744200x8) तथा क्लब द्वारा दिए गए ₹0.72 लाख को लेने के पश्चात् राजस्व का बकाया ₹1.39 करोड़ होगा।

मामला - 6

अप्रैल 1979 में रक्षा मंत्रालय ने रानीखेत में 10290 वर्ग फुट की रक्षा भूमि कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड (के एम वी एन एल) को पट्टे पर देने के लिए संस्वीकृति प्रदान की। रक्षा मंत्रालय ने अंतिम बार दिसंबर 1989 में ₹4015 के वार्षिक किराये और ₹20075 के

प्रीमियम के भुगतान पर 18 जुलाई 1984 से 17 जुलाई 1989 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया। तथापि, इस भूमि का प्रबंधन सितंबर 1988 में डी ई ओ बरेली से छावनी बोर्ड (सी बी) रानीखेत को हस्तांतरित कर दिया। नवंबर 1991 में, सी बी रानीखेत ने के एम बी एन एल, नैनीताल से पट्टे का नवीनीकरण कराने के लिए कहा, क्योंकि वह 17 जुलाई 1989 में समाप्त हो चुका था।

हमने देखा (मई 2011) कि आगे के 13 वर्षों में अर्थात् 2002 तक सी बी रानीखेत द्वारा या तो पट्टे का नवीनीकरण करने या फिर भूमि का कब्जा वापस लेने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नवंबर 2004 में के एम वी एन एल ने जुलाई 1989 से जुलाई 2009 तक 20 वर्षों के लिए पट्टे के नवीनीकरण हेतु सी बी रानीखेत से अनुरोध किया जो सितंबर 2012 तक प्रतीक्षित था। जुलाई 1989 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए ₹4.08 लाख जुर्माने के अलावा किराये की मानक सारणी (एस टी आर) के अनुसार किराये और प्रीमियम के प्रति वसूली योग्य कुल राशि ₹62.34 लाख⁷ परिकलित की गई।

ख. दूसरे विभागों द्वारा रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्जा

हमने देखा (अक्टूबर 2009 एवं अप्रैल 2012) कि चेन्नै और पूणे में क्रमशः ₹9.29 करोड़ तथा ₹17.23 करोड़ मूल्य की 0.7829 एकड़ तथा 4.73 एकड़ रक्षा भूमि के दो प्लॉट सरकारी संस्वीकृति के बिना पच्चीस वर्ष तक (1988 से 2013 तक) रेलवे और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) के अधीन थे। किराये की देय राशि ₹8.63 करोड़ थी।

मामला -1

दक्षिण रेलवे, मद्रास (अब चेन्नै) ने मई 1985 में त्रिशूलम में ट्रेन पड़ाव स्टेशन के निर्माण करने हेतु 0.52 एकड़ रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए डी ई ओ मद्रास को प्रस्ताव भेजा। जुलाई 1985 में तमिलनाडु एवं कर्नाटक उप-क्षेत्र मुख्यालय ने रेलवे को सूचित करते हुए क्षेत्र मुख्यालय को अनापत्ति बतलायी। मंत्रालय की किसी औपचारिक संस्वीकृति के बिना रेलवे प्राधिकारियों ने भूमि का अधिभोग किया तथा निर्माण कार्य पूरा कर लिया। इसके बाद, सितंबर 1987 में निरीक्षण के दौरान डी ई ओ ने देखा कि रेलवे प्राधिकारियों ने 0.52 एकड़ भूमि, जिसके लिए 'अनापत्ति' जारी की गई थी, के बजाय 0.7829 एकड़ रक्षा भूमि पर कब्जा कर लिया था। अतिरिक्त रक्षा भूमि के अतिक्रमण के बारे में सूचना प्राप्त होने के बावजूद रेलवे प्राधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने में डी ई ओ विफल रहे।

यह भूमि रेलवे के अधिभोग में बनी रही, फिर भी संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए मामला आगे नहीं बढ़ाया गया। केवल अगस्त 1989 में तथा तत्पश्चात् नवंबर 1990 में ही डी जी डी ई ने सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु रेलवे द्वारा अनाधिकृत अधिभोग के लिए क्षतिमूल्य के साथ भूमि का बाजार मूल्य देने के लिए डी ई ओ से कहा। डी ई ओ ने रेलवे से वसूल किए जाने वाले भूमि का बाजार मूल्य और किराया/क्षतिमूल्य को दर्शाने वाला परिकलन पत्र प्रदान किया।

तथापि, 1991 से 2000 तक की अवधि के दौरान भूमि के हस्तांतरण के लिए सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने में कोई प्रगति नहीं थी। 10 वर्ष के अंतराल के बाद जून 2000 में तथा पुनः जून 2002 में डी डी ई ने आवश्यक संस्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने के

⁷ अप्रैल 1979 तथा दिसंबर 1989 में जारी रक्षा मंत्रालय की पट्टे की संस्वीकृतियों के अनुसार किराया ₹10.39 लाख और प्रीमियम ₹51.95 लाख रूपए किराये के पांच गुना है।

लिए डी जी डी ई को अनुस्मारक भेजा। इसके बावजूद, कोई प्रगति नहीं हुई तथा सरकारी संस्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2011)।

अक्टूबर 2009 में और पुनः अक्टूबर 2011 में हमने देखा कि रेलवे को रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए 1988 में प्रारंभ किए गए मामले को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अप्रैल 2013 में, रक्षा मंत्रालय लेखापरीक्षा के इन निष्कर्षों से सहमत हुआ कि यद्यपि अनेक अवसरों पर यह मामला उठाया गया था, फिर भी सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने में कोई प्रगति नहीं थी। इसके लिए जो कारण हैं वे डी जी डी ई के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। रक्षा मंत्रालय ने फिर सूचित किया कि इस अवधि के दौरान 0.7829 एकड़ जमीन की कीमत ₹7.58 लाख से ₹9.29 करोड़ तक बढ़ गई थी तथा रेलवे से किराये के रूप में ₹4.11 करोड़ की राशि देय थी।

इस प्रकार, रेलवे को रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु मामले का भली-भांति प्रक्रम करने में रक्षा संपदा संगठन की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप पिछले 25 वर्षों से भूमि की कीमत तथा किराये के भुगतान के बिना रेलवे द्वारा 0.7829 एकड़ रक्षा भूमि का अनाधिकृत अधिभोग किया गया।

मामला - 2

नवंबर 1995 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा अधिकारियों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ए-1⁸ भूमि के दुरुपयोग की ध्यानपूर्वक निगरानी करने तथा इस भूमि को बी-3⁹ प्रवर्ग में पुनः वर्गीकृत करने और वाणिज्यिक किराये एवं प्रीमियम पर उचित पट्टे का निष्पादन करने हेतु प्रस्ताव प्रारंभ करने के लिए निर्देश जारी किए।

भारतीय विमानपत्तन प्रधिकारण को वाहनों के पार्किंग के लिए वायु सेना स्टेशन, पूणे में सर्वे नं. 225 से पाँच एकड़ भूमि अल्पावधि पट्टे पर पांच वर्ष की अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष के हिसाब से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, का हस्तांतरण करने के लिए जून 2009 में प्रस्ताव किया गया।

डी ई ओ, पूणे ने अगस्त 2009 में भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत पर ₹91.05 लाख के वार्षिक किराये पर पांच वर्ष की अवधि के लिए इस भूमि को पट्टे पर देने हेतु सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए पी डी डी ई, दक्षिण कमान को यह प्रस्ताव अग्रेषित किया। तथापि, पूर्ण दस्तावेज न होने के कारण पी डी डी ई मामले को क्रियान्वित नहीं कर सका जिसके कारण मार्च 2013 तक सरकार की संस्वीकृति नहीं की जा सकी थी।

लेखापरीक्षा में (अप्रैल 2012) हमने देखा कि सरकारी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना ए ए आई ने यह भूमि आगे एक निजी ठेकेदार मैसर्स गरूड एवियेशन सर्विसेस को पार्किंग के लिए पट्टे पर दी थी जो पार्किंग शुल्क वसूल कर रहा था। तथापि, ए ए आई से कोई भी किराया वसूल तथा सरकारी खाते में जमा नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर डी ई ओ पूणे ने मई 2012 में यह मामला वायुसेना स्टेशन, पूणे की टिप्पणियों/स्पष्टीकरण के लिए उनके साथ उठाया, जो मार्च 2013 तक

⁸ ए1 भूमि ऐसी भूमि है, जो सशस्त्र सेनाओं के सक्रिय अधिभोग में है।

⁹ बी 3 भूमि ऐसी भूमि है, जो पट्टे आदि के अधीन निजी व्यक्तियों द्वारा अतिधारित है, जिसके तहत केंद्रीय सरकार अपने ही उन्नत भूमि का स्वामित्व अधिकार सुरक्षित रखती है।

प्रतीक्षित था। तथापि, डी ई ओ पूणे ने अक्टूबर 2012 में स्वीकार किया कि ए ए आई द्वारा पार्किंग के लिए इस भूमि का अवैध अधिभोग किया गया था।

स्टेशन निर्माण कार्य अधिकारी, पूणे ने लेखापरीक्षा को दिए उत्तर में कहा कि मार्च 2013 तक रक्षा भूमि के पट्टे के कारण ए ए आई से कोई अदायगी प्राप्त नहीं हुई थी तथा रक्षा भूमि के अनियमित अधिभोग के संबंध में मामला ए ए आई के साथ उठाया गया था।

इस प्रकार, वायु सेना स्टेशन, पूणे ने ए ए आई को ₹17.23 करोड़ मूल्य की 4.73 एकड़ रक्षा भूमि सरकारी संस्वीकृति के बिना पार्किंग क्षेत्र के रूप में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रदान की। डी ई ओ पूणे भी जमीन का प्रबंधन लेने में विफल रहा तथा किसी राजस्व की वसूली किए बिना वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2008 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए पट्टा किराये की गैर-वसूली के कारण सरकार को ₹4.52 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

ग. रक्षा भूमि का दुरुपयोग

1995 में रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित भू-नीति के अनुसार, प्रीमियम और किराये के रूप में समेकित छावनी निधि में उपयुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऑल्ड ग्रान्ट साइट्स जो लाइसेंसों की प्रकृति के हैं उन्हें सरकारी संस्वीकृति से पट्टे में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जब तक कि इनके पुनर्ग्रहण की इच्छा प्रकट न की गई हो। कोई भी क्रियाकलाप जैसे प्रयोजन में परिवर्तन, निर्माण के माध्यम से या अन्यथा कोई प्रविभाजन, अतिरिक्त मंजिल/मंजिलों का निर्माण, विद्यमान पिलिथ क्षेत्र या फर्श क्षेत्र का बढ़ाना, विद्यमान इमारत का विध्वंस या ओल्ड ग्रान्ट साइटों की खाली साइट में नयी इमारत बनवाना आदि तब तक संस्वीकृत नहीं किया जा सकता था, जब तक प्राप्तकर्ता पट्टा लेने का इच्छुक नहीं था। ऐसी स्थिति में, यह विचार करने के लिए प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किए जाने थे कि क्या पट्टा प्रदान किया जा सकता है और यदि ऐसा है तो किन शर्तों पर या उस भूमि अथवा उसके किसी भाग का पुनर्ग्रहण किया जाए, जब रक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

हमने ऐसे दो मामले देखे (अप्रैल 2012 तथा मई 2012) जहाँ ₹34.61 करोड़ मूल्य की 8.09 एकड़ बी-3 रक्षा भूमि, जो स्वतंत्रता पूर्व काल से वेल्लिंगटन क्लबों को पट्टे पर दी हुई थी, क्लबों के बंद किए जाने पर रक्षा संपदा अधिकारी (डी ई ओ) को नहीं लौटायी गयी। इसके बजाय, स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों (एल एम ए) ने एक मामले में आर्मी वाइक्स वेलफेयर एसोसिएशन (ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए) द्वारा बालिका छात्रावास के निर्माण करने की अनुमति दी तथा दूसरे मामले में बी-3 से ए-1 में भूमि के पुनर्वर्गीकरण के बिना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, यथा नीचे व्याख्या की गई है:-

मामला-1 पूणे में बालिका छात्रावास का निर्माण

डी ई ओ पूणे के प्रबंधन के अधीन जी एल आर सर्वे नं. 189 में 5.03 एकड़ बी-3 रक्षा भूमि ऑल्ड ग्रान्ट शर्तों के तहत 'लेडी वेल्लिंगटन सॉल्लिजयर्स क्लब' को पट्टे पर दी हुई थी तथा अधिभोग अधिकार के धारक क्लब के न्यासी अर्थात् पूणे उपक्षेत्र (पी एस ए) का कमांडर और पूणे के कलेक्टर थे। भूमि का स्वामित्व अधिकार भारत सरकार में निहित था। पट्टा करार के अनुसार, क्लब को बंद किए जाने पर भवन भारत सरकार को लौटाये जायेंगे।

उक्त भूमि पर बना बंगला राज्य पुलिस विभाग को पट्टे पर देने हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा जनवरी 1951 में जारी कार्योत्तर संस्वीकृति पर मार्च 1948 से राज्य पुलिस विभाग के कब्जे में था।

पुलिस विभाग द्वारा बंगला खाली किए जाने के बाद एच क्यू पी एस ए ने इस भूमि के एक हिस्से का चेशेयर होम में परिवर्तन किया (नवंबर 1984) तथा जून 1986 में 10 वर्ष की अवधि के लिए एक पट्टा करार किया, जिसके लिए सरकार की अनुमति डी ई ओ, पूणे के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

अगस्त 1996 में, आर्मी वाईव्स वेल्फेयर एसोशिएशन (ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए)¹⁰ के द्वारा एच क्यू पी एस ए के प्रबंधन के अधीन विद्यमान भवनों में बालिका छात्रावास बनवाया गया। जनवरी 2001 में, सेना मुख्यालय (ए एच क्यू) ने पूणे में ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए के तत्वावधान में बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया। एच क्यू पी एस ए द्वारा रेजिमेंटल निधियों के ज़रिए से उक्त परिसर में ₹1.97 करोड़ की लागत पर दो नये भवनों का निर्माण किया गया, जिनमें भवनों के साथ साइबर केफे, सी एस डी कैंटीन, पुस्ताकालय व्यायाम घर तथा अंतरंग खेल के लिए सुविधाएं समाविष्ट थीं। हमने देखा (अप्रैल 2012) की ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए अधिकारियों के बच्चों से ₹2000 प्रतिमाह, कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा जवानों के बच्चों से क्रमशः ₹1500 प्रतिमाह और ₹1000 प्रतिमाह शुल्क ले रहा था। इसके अलावा, छात्रावास में रहनेवाली बालिकाओं से ₹4000 प्रतिभूति तथा ₹1000 प्रवेश शुल्क भी वसूल किये जा रहे थे।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल/मई 2012), स्टेशन मुख्यालय, किरकी ने अगस्त 2012 में कहा कि बालिका छात्रावास एच क्यू पी एस ए की रेजिमेंटल संपत्ति है। स्टेशन मुख्यालय ने यह भी कहा कि रक्षा भूमि पर रेजिमेंटल संपत्ति के निर्माण के लिए डी ई ओ द्वारा कोई अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था और बालिका छात्रावास पूर्ण रूप से कल्याणोन्मुख था तथा वह किसी भी तरह से लाभ कमाने वाली वाणिज्यिक संस्था नहीं था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच क्यू पी एस ए ने रेजिमेंटल संपत्ति के रूप में रक्षा भूमि का अधिभोग किया और सरकारी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना रक्षा भूमि पर बालिका छात्रावास के रूप में उपयोग करने हेतु भवनों का निर्माण करने के लिए ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए को अनुमति प्रदान की। एच क्यू पी एस ए ने रक्षा मंत्रालय के अनुदेशों के घोर उल्लंघन कर ₹20.36 करोड़ रूपए की उत्कृष्ट रक्षा भूमि भी एक गैर-सरकारी संगठन ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए को दी गई।

मामला -2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन

डी ई ओ के प्रबंधन के अधीन पूणे छावनी में सर्वे नं. 329 में 3.06 एकड़ बी-3 रक्षा भूमि पर स्थित का बंगला नं. 34 कहनु रोड, जो 'वेल्लिंगटन क्लब' के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुख्य भवन, रसोई घर एवं नौकरों के अवास हैं, 1929 से स्थायित्व शर्तों पर वेल्लिंगटन सोल्जियर्स क्लब को पट्टे पर दिया गया था। पट्टा विलेख की शर्त (1)(बी) में उल्लेखित है कि पट्टादाता अर्थात् भारत सरकार की सहमति के बिना भूमि तथा उसपर बनवाये गये भवनों का उपयोग क्लब के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाना था। आगे, पट्टे की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में भूमि तथा भवन सरकार को प्रत्यावर्तन हो जायेंगे।

क्लब को बंद किए जाने के बाद, इन भवनों को पट्टा विलेख की शर्तों एवं इस विषय पर सरकार के आदेशों के स्पष्ट उल्लंघन कर एच क्यू पी एस ए की अनुमति से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अर्थात् सी एस डी कैंटीन, ए टी एम काउंटर, टक शॉप (फूड शॉप), वस्त्रालय, आइस क्रीम पार्लर इलैक्ट्रॉनिक शॉप आदि में परिवर्तित किया गया। हमने देखा कि डी ई ओ

¹⁰ ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए अगस्त 1996 में सोसाइटी पंजीयक के साथ एक गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है।

ने अप्रैल 2009 में एच क्यू पी सी ए से प्राधिकार तथा शर्तें व निबंधन मांगें, जिनके तहत बी-3 भूमि पर ए टी एम काउंटर एवं अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं की अनुमति दी गयी थी। डी ई ओ ने इन वाणिज्यिक स्थापनाओं से वसूल की गयी आय तथा सरकारी खाते में उसके प्रेषण का विवरण भी मांगा।

तथापि, एच क्यू पी एस ए ने कोई उत्तर नहीं दिया। डी ई ओ द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

इन स्थापनाओं से प्राप्त किराये के संबंध में नवंबर 2011 और जनवरी 2012 में हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर एच क्यू पी एस ए ने फरवरी 2012 में कहा कि बंगला नं. 34 के संबंध में बी-3 से ए-1 में भूमि के परिवर्तन के लिए दिसंबर में अधिकारी मंडल की बैठक बुलायी गयी और वेल्डिंगटन क्लब के साथ निष्पादित पट्टे के निरसन हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक मामला उठाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि ये भवन एम ई एस के अधिकार में नहीं है और किराया एवं संबद्ध प्रभारों की वसूली नहीं की जा रही थी जो दर्शाता है कि एच क्यू पी एस ए ने रेजिमेंटल स्रोतों के माध्यम से इन भवनों का निर्माण किया था।

इस प्रकार, एच.क्यू.पी.एस.ए. ने वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए ₹16.38 करोड़ मूल्य की 3.06 एकड़ बी-3 रक्षा भूमि का दुरुपयोग किया तथा यह रेजिमेंटल संपत्ति होने का दावा करते हुए लोक निधि में कोई राजस्व जमा नहीं किया। हमने यह भी देखा कि ए-1 में भूमि का पुनर्वर्गीकरण करने हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाते समय, उन्होंने बी-3 भूमि पर वाणिज्यिक स्थापनाओं के संचालन के संबंध में वस्तुस्थिति छिपायी थी।

इस प्रकार, पूणे के स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय के आदेशों की घोर अवहेलना कर ₹36.74 करोड़ मूल्य की 8.09 एकड़ रक्षा भूमि का दुरुपयोग किया।

घ. राज्य सरकार से हस्तांतरित 103.026 एकड़ भूमि की कमी

पूर्वी क्षेत्र में अनुमोदित बल प्रवर्धन तथा नये बलों के गठन की दृष्टि में, एच क्यू-2 पहाड़ी डिवीज़न ने अरुणाचल प्रदेश के खोनसा तिरप जिले में उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण को संस्तुत करने हेतु नवंबर 2009 में अधिकारी बोर्ड (बोर्ड) की बैठक बुलायी। छावनी नियम खंड-II के अध्याय 29 के अनुलग्नक 'बी' एवं 'डी' में निर्धारित अचल संपत्ति के अधिग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार डी ई ओ को उपयोगकर्ताओं से चयनित भूमि का स्थल नक्शा प्राप्त करने तथा अधिग्रहण के लिए चयनित भूमि का खसरा संख्याओं के विवरण के साथ प्रत्येक खसरा संख्या के अपने-अपने क्षेत्र को दर्शाते हुए उसे बोर्ड को प्रदान करने की आवश्यकता है। डी ई ओ के लिए यह भी आवश्यक है कि वह सरकारी संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव करने से पूर्व भूमि की शुद्धता तथा यथार्थता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय राजस्व कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से भूमि का निरीक्षण करें।

जनवरी 2010 में बोर्ड ने खोनसा में एक पैदल सेना ब्रिगेड स्थापित करने के लिए 230.93 एकड़ खाली सरकारी भूमि अर्जित करने हेतु सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए संस्तुति की। तदनुसार, मार्च 2010 में रक्षा मंत्रालय ने ₹93.46 लाख की अनुमानित लागत पर राज्य सरकार की 230.93 एकड़ भूमि के हस्तांतरण हेतु संस्वीकृति प्रदान की।

भूमि का कोई प्रत्यक्ष सर्वेक्षण/नक्शा/सीमांकन के बिना जून 2010 में राज्य सरकार, डी ई ओ और सेना के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्तांतरण/ग्रहण प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

मई 2010 में डी ई ओ जोरहाट ने सारी 230.93 एकड़ भूमि के लिए ₹93.46 लाख के पूरा भुगतान किया। भूमि ग्रहण करने के पश्चात् सेना अधिकारियों ने इस भूमि पर अच्छा-खासा मौलिक आधारभूत ढाँचे का सृजन किया। तथापि, कभी कोई कमी नहीं बतायी गयी।

डी ई ओ, जोरहाट और उपायुक्त, तिरप द्वारा अप्रैल 2011 में भूमि के संयुक्त मापन के दौरान यह पाया गया कि सेना को हस्तांतरित भूमि 230.93 एकड़, जिसके लिए पूर्ण भुगतान किया गया था, के स्थान पर केवल 127.904 एकड़ ही थी। लंबे समय तक के पत्राचार के बाद राज्य सरकार भवनों एवं फसलों के हिसित मूल्य ₹13.08 लाख का भुगतान करके रक्षा मंत्रालय को 99 वर्ष के पट्टे पर 21.87 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गयी। तथापि, फरवरी 2012 में संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि 21.87 एकड़ के स्थान पर केवल 13.065 एकड़ भूमि उपलब्ध थी। मई 2012 में डी ई ओ ने 99 वर्ष के पट्टे की बजाय स्थायी आधार पर किसी अतिरिक्त भुगतान के बिना शेष 103.026 एकड़ भूमि का हस्तांतरण करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जो अभी प्रतीक्षित था। सेना को पहले हस्तांतरित भूमि से सटी हुई राज्य सरकार की कोई अन्य भूमि स्टेशन में उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में भूमि की वास्तविक उपलब्धता की जांच करने हेतु संयुक्त मापन/सीमांकन के बिना भूमि के हस्तांतरण को संस्वीकृति दी गयी थी, यथा डी ई ओ द्वारा जून 2012 में लेखा परीक्षा को पुष्ट किया गया था। हस्तांतरण के लिए संस्वीकृत 230.93 एकड़ भूमि में से मात्र 127.904 एकड़ भूमि राज्य सरकार के पास उपलब्ध थी। तथापि, भूमि का उचित सीमांकन किए बिना सारी भूमि के लिए ₹93.46 लाख का पूरा भुगतान राज्य सरकार को किया गया था। भूमि के अधिग्रहण के मूल्यांकन एवं संस्तुति करने तथा भूमि के हस्तांतरण ग्रहण करने के लिए आयोजित बोर्ड की बैठक संस्तुति करने और भूमि ग्रहण करने से पूर्व उपलब्ध भूमि की मात्रा की जांच करने में विफल हुई। डी ई ओ की इस गंभीर भूल के परिणामस्वरूप अहस्तांतरित 103.026 एकड़ भूमि के लिए ₹41.69 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

निष्कर्ष

यद्यपि लोक लेखा समीति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.4 के पैरा 2.1 की जांच करते समय गंभीर भूल एवं अनियमितताएं बतायी गयी थीं फिर भी उन्हें ठीक करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। हमने देखा कि प्रतिवेदन में उल्लेखित वही अनियमितताएं जारी रही। पट्टों की समाप्ति के बाद भी पूर्व-पट्टेदार महत्त्वपूर्ण रक्षा भूमि का अनाधिकृत अधिभोग करते रहे। डी ई ओ मार्च 1995 के मार्गनिर्देशों की अवहेलना करते हुए पट्टों के नवीनीकरण या समाप्ति हेतु अग्रिम कार्रवाई करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान प्रकट हुए आठ मामलों के संबंध में चार से 46 वर्ष तक की अवधि के लिए लगभग ₹838.34 करोड़ का किराया बकाया हो गया।

इसके अतिरिक्त, दूसरे विभागों द्वारा अतिक्रमण तथा स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा रक्षा भूमि का दुरुपयोग अनाधिकृत प्रयोजनों, जैसे गैर-लोक निधि से निर्मित छात्रावासों, शॉपिंग काम्पलेक्सों आदि का संचालन के मामले बिना रुकावट के चलता रहा।

2.2 रेलवे से सेवा प्रभागों की वसूली न करना

छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन में रेलवे से ₹10.74 करोड़ का सेवा प्रभाग वसूल करने में आगरा, अंबाला, नसीराबाद एवं दिल्ली के छावनी बोर्ड विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को राजस्व की आवर्ती हानि हुई।

सेवा प्रभागों की वसूली करने में छावनी बोर्डों की विफलता के कारण रेलवे से ₹10.74 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 109 में प्रावधान है कि केंद्र या राज्य सरकार यथास्थिति किसी छावनी में स्थित सरकारी संपत्तियों के विषय में नगर सेवाएं अथवा विकास कार्य प्रदान करने के लिए छावनी बोर्ड को वार्षिक रूप से निर्धारित दरों में सेवा प्रभागों का भुगतान करेगी।

रेलवे के पास आगरा, अंबाला, नसीराबाद और दिल्ली छावनियों की रक्षा भूमि में कुछ संपत्तियां हैं ये संपत्तियां छावनियों में क्रमशः 22.96 एकड़, 167.71 एकड़ 32.71 एकड़ और 1.33 एकड़ में स्थित हैं। संबंधित छावनी बोर्डों ने रेलवे संपत्तियों को नियमित रूप से नगरपालिका सेवाएं प्रदान की हैं।

लेखापरीक्षा में हमने देखा(सितंबर 2012 और अगस्त 2013) कि छावनी बोर्ड इन संपत्तियों के विषय में रेलवे से सेवा प्रभागों का दावा नहीं कर रहे थे, हालांकि छावनी अधिनियम 2006 में इसके लिए प्रावधान था। छः वर्षों से अधिक की अवधि में (2007-08 से 2012-13 तक)इस संबंध में रेलवे के प्रति ₹10.74 करोड़ संचित हो गए थे। अंबाला छावनी में बकाया राशि ₹4.83 करोड़ थी, जबकि आगरा, नसीराबाद और दिल्ली छावनियों में भी वसूली हेतु देय राशि क्रमशः ₹ 2.89 करोड़ , ₹2.88 करोड़ और ₹0.14 करोड़ थी। छावनी बोर्ड, आगरा ने लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार किया (जनवरी 2013) और कहा कि रेलवे से सेवा प्रभागों के दावे का मामला प्रगति पर है। अंबाला, नसीराबाद और दिल्ली छावनियों में भी सेवा प्रभागों की वसूली हेतु कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं (अगस्त 2013)।

मामला अप्रैल 2013 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर नवम्बर 2013 में प्राप्त हुआ था। मंत्रालय लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से सहमत था तथा कहा कि महानिदेशक रक्षा संपदा ने सभी छावनी बोर्डों को सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा रेलवे से सेवा प्रभागों की वसूली करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं।

अतएव, यह मामला प्रकट करता है कि छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन में आगरा, अंबाला, नसीराबाद और दिल्ली के छावनी बोर्ड रेलवे से सेवा प्रभागों का दावा करने में विफल रहें, जिसके परिणामस्वरूप ₹10.74 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

2.3 टैंक में वातानुकूलकों (ए सी) को समाविष्ट न करना ।

टैंक में वातानुकूलकों के समावेश के लिए परीक्षण दल की संस्तुतियों के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने उनके समावेश के बिना ₹9083.36 करोड़ मूल्य के टैंक 'एक्स' की अधिप्राप्ति हेतु संविदाएँ की। इन टैंकों के सम्मिलन के तुरंत बाद रक्षा मंत्रालय ने अंततः वातानुकूलकों की आवश्यकता स्वीकार की। यद्यपि 2002 में वातानुकूलकों को अलग से अधिप्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी, फिर भी उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया यह अनुबंधित करती है कि यदि एक बार सेवा मुख्यालय द्वारा सामान्य सेवाएँ गुणात्मक आवश्यकता (जी एस क्यू आर) को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि

किसी मद का आयात किया जाना है, तो शस्त्र प्रणाली / भण्डारों की अधिप्राप्ति के स्रोत सेवा मुख्यालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा प्रत्याशित निर्माता/ आपूर्तिकर्ता की शार्टलिस्ट तैयार की जाएगी। इस प्रकार पहचाने गए स्रोतों की सूची, तत्पश्चात् शस्त्र प्रणाली/ उपस्कर के परीक्षणों एवं मूल्यांकन के अंतिम निर्णय लेने हेतु रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद विनिर्दिष्ट प्राचलों के आधार पर सभी प्रकार के वातावरण/ भूभाग में प्रयोक्ता द्वारा परीक्षण किए जाएंगे तथा संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा एक विस्तृत परीक्षण/ मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सेवा मुख्यालय से परीक्षण/ मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, रक्षा मंत्रालय उस रिपोर्ट में समाविष्ट संस्तुतियों पर विचार करेगा। यदि वे स्वीकार्य पाई जाती है, तो रक्षा मंत्रालय अधिप्राप्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ करेगा, जिसके अंत में उपस्कर की आपूर्ति हेतु चयनित निर्माता के साथ संविदा की जाएगी।

टैंक 'एक्स' मिसाइल फायरिंग क्षमता, सक्रिय रक्षा प्रणाली, रात्रि दृष्टि के लिए थर्मल इमेजिंग (टी आई) और अग्नि नियंत्रण प्रणाली (एफ सी एस) के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों से युक्त नवीनतम उपस्कर है। इसमें अनेक नई विशिष्टताओं एवं अद्युनातन प्रौद्योगिकी का समावेश है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा उपस्कर 'एक्स' की अधिप्राप्ति हेतु अपेक्षित उचित कार्यविधियों को पूरा करने के पश्चात् सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी एस) ने 310 टैंक 'एक्स' का आयात करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया (नवम्बर 1998)। टैंक के देशीकरण का कार्य क्रमिक रूप से पूरा करने के लिए भी सी सी एस ने अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार, टैंक 'एक्स' के परीक्षणों के लिए विस्तृत प्रतिबंधों को निर्धारित करते हुए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (अप्रैल 1999), जिसके सफल समापन पर एक संविदा की जाती।

परीक्षण दल में विभिन्न कमान/ सेना कोर से प्रयोक्ताओं, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय, विद्युत एवं यांत्रिक अभियांत्रिकी, शस्त्र एवं उपस्कर निदेशालय, महानिदेशक यंत्रसज्जित सेनाएँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा उत्पादन अभिकरणों (आयुध निर्माणियाँ, भारत डायनमिक्स लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) के प्रतिनिधि थे। टैंक 'वाई' तथा टैंक 'जेड' की सामान्य सेवाएँ गुणात्मक आवश्यकता के विस्तृत प्राचलों के आधार पर सेना ने सर्वांगीण परीक्षण निदेश टैंक 'एक्स' के लिए बनाए। परीक्षण दल ने मई से जुलाई 1999 के दौरान टैंको का फील्ड मूल्यांकन (परीक्षण) पूरा किया और भारतीय सेना में इसका समावेश करने के लिए संस्तुति की, क्योंकि टैंक 'एक्स' ने वर्तमान एवं भावी सभी संक्रियात्मक आवश्यकताएँ पूरी की।

परीक्षण दल ने अपनी संस्तुतियों में (जुलाई 1999) टैंक में वातानुकूलकों (ए सी) का समावेश करने की आवश्यकता जताई और यह भी कहा कि टैंक 'एक्स' को निर्माता द्वारा उनकी टैंक फैक्ट्री में सभी प्रणालियों के एकीकरण के बाद अधिप्राप्त किया जाना चाहिए। तथापि, जनवरी 2000 में सेना मुख्यालय द्वारा किए जनरल स्टाफ मूल्यांकन के दौरान परीक्षण दल की संस्तुति को नहीं माना गया/ जहाँ यह महसूस किया गया कि वातानुकूलकों की उपयोगिता सीमित होगी, क्योंकि भारतीय परिवेश में कमांडर टैंक के खुले प्रवेश द्वार के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त, वातानुकूलकों के अत्यधिक ऊँचे मूल्य को भी उसे संस्तुत न करने के कारणों में से एक कारण के रूप में माना गया। यद्यपि मूल उपस्कर निर्माता (ओ ई एम) द्वारा प्रस्तावित मूल टैंक में वातानुकूलक सज्जित किए गए थे, फिर भी सेना मुख्यालय द्वारा जनरल स्टाफ मूल्यांकन के दौरान यह इस आधार पर नहीं माना गया कि अन्य उपस्करों में

यानी विद्यमान टैंक 'जेड' में वातानुकूलक सज्जित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यकता हुई, तो, इसे बाद में देशी स्रोतों से अधिप्राप्त किया जा सकता था।

तदनुसार, फरवरी 2001 में रक्षा मंत्रालय ने ₹4086.90 करोड़ की कुल लागत पर 310 टैंक 'एक्स' का आयात करने हेतु मूल उपस्कर निर्माता के साथ संविदा की। यह अधिप्राप्ति वातानुकूलकों के प्रावधान के बिना की गई।

1000 अतिरिक्त टैंकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए ₹330.39 करोड़ के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टी ओ टी) शुल्क के भुगतान पर हेवी वेहिकल फैक्टरी (एच वी एफ) आवड़ी में 1000 टैंकों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टी ओ टी) के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2001 में मूल उपस्कर निर्माता के साथ एक दूसरी संविदा की गई। इन टैंकों का निर्माण भी वातानुकूलकों के बिना किए जाने का निर्णय लिया गया।

तथापि, सेवा में टैंकों के समावेशन के तुरन्त बाद सेना मुख्यालय द्वारा यह देखा गया (सितम्बर 2002) कि टैंकों में सज्जित विभिन्न परिष्कृत और अधुनातन प्रणालियों, अर्थात् एफ सी एस, टी आई दृष्टि एवं मिसाइल फायरिंग यंत्रावलियों, का निष्पादन ताप और धूल भरी स्थितियों के लंबे प्रभाव के कारण घट गया। इसलिए टैंकों में सभी प्रणालियों का सर्वोत्तम निष्पादन स्तर प्राप्त करने हेतु मूल उपस्कर निर्माता से टैंक 'एक्स' के लिए वातानुकूलकों की अधिप्राप्ति करना रक्षा मंत्रालय द्वारा अनिवार्य समझा गया (सितम्बर 2002)।

इसके बाद, टैंकों की कार्य-कुशलता हेतु डी जी एम एफ ने 310 टैंक 'एक्स' के लिए मूल उपस्कर निर्माता से वानुकूलकों की अधिप्राप्ति तथा शेष 1000 उपस्करों के लिए टी ओ टी हेतु एक मामला (सितम्बर 2002) प्रारम्भ किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2004 में इन वातानुकूलकों की आवश्यकता की स्वीकृति (ए ओ एन) प्रदान की गई। ए ओ एन से पूर्व 2004 में रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग (डी डी पी एस) ने संस्तुत किया कि वातानुकूलकों के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) जारी करने की बजाय इष्टतम फलप्राप्ति के लिए अविलंब ही मूल उपस्कर निर्माता और हेवी वेहिकल फैक्टरी को सम्मिलित करके सह-उत्पादन का मार्ग अपनाया जाए। अतः यह मामला हेवी वेहिकल फैक्टरी, आवड़ी के साथ वातानुकूलकों के सह-उत्पादन¹¹ के लिए मूल उपस्कर निर्माता के साथ उठाया गया। अगस्त 2006 में वातानुकूलकों के सह-उत्पादन के लिए परीक्षण किए गए, किंतु वे विफल हो गए। अतः यह मामला मार्च 2008 में बंद कर दिया गया।

347 टैंक 'एक्स' की ताजा कमी के प्रति जनवरी 2007 में रक्षा मंत्रालय द्वारा उनके आयात की आवश्यकता स्वीकार की गई और एक पुनरादेश (नवम्बर 2007) के माध्यम से टैंकों की अधिप्राप्ति की गई। इस आदेश के अंतर्गत अधिप्राप्त किए गए उपस्करों में भी वातानुकूलक नहीं थे, क्योंकि उनकी आवश्यकता को 1310 वातानुकूलकों (310+1000) की विद्यमान आवश्यकता के साथ मिलाकर उन्हें अलग से अधिप्राप्त करने का निर्णय लिया गया था।

इसके बाद, जून 2009 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डी ए सी) द्वारा बाय (इंडियन) वर्ग के अंतर्गत ₹597 करोड़ की लगभग कुल लागत पर 1657 (310+1000+347) वातानुकूलकों की अधिप्राप्ति हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इन 1657 वातानुकूलकों में से, 11-वीं

¹¹ सह-उत्पादन में, सम्मिलित पार्टियों के बीच अपनी-अपनी अवसंरचना पर आधारित मूल्य-वर्धन को बॉटना शामिल है।

पंचवर्षीय योजना (2007-12) में 957 वातानुकूलकों को अधिप्राप्त करने हेतु रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया। इसके लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2010 में प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया गया। तथापि, शॉर्टलिस्ट किए गए विक्रेताओं द्वारा प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्राचलों का अनुपालन न किए जाने के कारण इसे परीक्षण चरण में (जनवरी 2012) वापस ले लिया गया। अक्टूबर 2013 तक सभी 1657 टैंकों के लिए वातानुकूलकों की अधिप्राप्ति हेतु आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी तथा वार्षिक अधिग्रहण योजना 2012-14 के अंतर्गत अधिप्राप्तियों को पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच (जून 2013) से पता चला कि रक्षा मंत्रालय ने परीक्षण दल की संस्तुतियों की अवहेलना करते हुए वातानुकूलकों के बिना टैंक 'एक्स' की अधिप्राप्ति की। रक्षा मंत्रालय ने इस तथ्य की भी अवहेलना की कि टैंक 'जेड' की अग्नि नियंत्रण प्रणाली टैंक 'एक्स' की तरह परिष्कृत नहीं थी तथा अग्नि नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रदत्त अंतर्निहित अधुनातन क्षमताएँ ताप संवेदनशील हैं और दीर्घकालीन ताप एवं धूल भरी स्थितियों में क्षमताएँ घट जाती हैं।

यह ड्राफ्ट पैराग्राफ जून 2013 में मंत्रालय को जारी किया गया, उनका उत्तर प्राप्त हो गया है (अक्टूबर 2013)। रक्षा मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि जनरल स्टाफ मूल्यांकन में वातानुकूलकों के बिना टैंकों का आयात करने के लिए संस्तुति दी गई थी, क्योंकि कमांडर टैंक के खुले प्रवेश द्वार के साथ सैनिक कार्रवाई करते हैं, जिससे वातानुकूलकों की प्रभावकारिता सीमित हो जाती है। वातानुकूलकों से सज्जित टैंकों का आयात न करने का निर्णय, तीन टैंकों के परीक्षणों पर आधारित था, जिनमें ताप और धूल के लंबे प्रभाव के हानिकारक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुए थे। ताप और धूल के लंबे प्रभाव के कारण टैंक में सज्जित परिष्कृत और अधुनातन प्रणालियों के अवक्रमण का पहलू सेवा में उसके समावेशन के उपरांत टैंकों का उपयोग करने पर सामने आया।

मंत्रालय का उत्तर तथापि वस्तुतः सही नहीं है, क्योंकि संविदा को अंतिम रूप देने से पहले परीक्षण दल ने परीक्षण प्रश्नावली में फील्ड परीक्षणों के दौरान देखे गए संघटकों के अधिक तापन के उदाहरणों पर विशेष बल दिया था और इसलिए उस टैंक के विन्यास में वातानुकूलकों का संयोजन करने के लिए संस्तुति दी। रक्षा मंत्रालय ने भी बाद में वातानुकूलकों से सज्जित टैंकों की आवश्यकता को स्वीकार किया था (सितम्बर 2002)। इसके बाद की गई संविदा (नवम्बर 2007) में भी टैंकों में सज्जित वातानुकूलकों को सम्मिलित नहीं किया।

इस प्रकार, अधिप्राप्त किए जा रहे टैंक 'एक्स' में वातानुकूलकों के समावेश हेतु फील्ड परीक्षणों में संस्तुत किए जाने के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने ₹9083.36 करोड़ की कुल लागत पर 657 टैंकों की अधिप्राप्ति की और वातानुकूलकों के प्रावधान के बिना ₹330.39 करोड़ की टी ओ टी शुल्क पर अन्य 1000 टैंकों के लिए संविदा की।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि रक्षा मंत्रालय ने 2002 में टैंकों में सज्जित किए जाने के लिए वातानुकूलकों की अधिप्राप्ति की आवश्यकता स्वीकार कर ली थी, फिर भी अनुवर्ती संविदा (2007) में भी इस प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया और न ही जून 2009 में रक्षा अधिग्रहण परिषद के अनुमोदन के बावजूद उसकी अधिप्राप्ति (अक्टूबर 2013) की गई, जिससे टैंक 'एक्स' का बेड़ा संवेदनशील संघटकों के अवक्रमण के कारण सुभेद्य बन गया।

2.4 कार्य अनुरूप प्रगति के बिना असमकालिक भुगतान

कार्य अनुरूप प्रगति के साथ संबद्ध किए बिना विवेकपूर्वक भुगतान करने में मॉनीटरिंग सेल की विफलता के कारण मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को ब्याज रहित अग्रिम के रूप में ₹110 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप पोन्टोन मिड स्ट्रीम पुल की आपूर्ति हेतु 2001 में दिया गया आदेश लगभग नौ वर्ष पूर्व ₹313.72 करोड़ के अग्रिम भुगतान के बावजूद फलित नहीं हुआ

रक्षा मंत्रालय ने 2008-09 तक ₹399 करोड़ मूल्य के छः सेट पोन्टोन मिड स्ट्रीम (पी एम एस) पुल की आपूर्ति हेतु 2000 और 2004 के बीच मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल) को ₹313.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया। इसमें से ₹110 करोड़ का भुगतान कार्य अनुरूप प्रगति के साथ भुगतानों को संबद्ध किए बिना मार्च 2003 और दिसंबर 2004 के बीच में किया गया। सेना को अब तक (नवंबर 2013) पी एम एस पुलों के केवल दो पूर्ण सेट की प्राप्ति हुई है।

रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2000 में बी ई एम एल से छः सेट पी एम एस पुल खरीदने का निर्णय लिया और उत्पादन के लिए क्रियाकलाप प्रारंभ करने हेतु ₹87.72 करोड़ के अग्रिम भुगतान की संस्वीकृति प्रदान की। तदनुसार सेना मुख्यालय ने मार्च 2001 में 399 करोड़ रूपए की कुल लागत में बी ई एम एल को आपूर्ति आदेश दिया। इन पुलों की सुपुर्दगी 2004 और 2009 के बीच में की जानी थी। आपूर्ति आदेश में प्रदत्त कार्यक्रम के अनुसार बी ई एम एल को जुलाई 2006 तक कुल संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत अथवा समतुल्य तक ब्याज रहित अग्रिम का भुगतान किया जाना था। आपूर्ति आदेश की शर्तों में निर्माण एवं आपूर्ति की प्रगति को छमाही आधार पर मॉनीटर करने के लिए सेना एवं बी ई एम एल के सदस्यों से युक्त एक मॉनीटरिंग सेल का गठन भी अनुबंधित था। मॉनीटरिंग सेल कार्य की प्रगति के आधार पर फर्म को ब्याज रहित अग्रिमों के भुगतान हेतु संस्तुति देने के लिए भी उत्तरदायी था। सेना से थोक उत्पादन अनुमति (बी पी सी) से पूर्व बी ई एम एल को मार्च 2003 तक प्रयोक्ता संपोषक परीक्षणों के लिए पी एम एस के कुछ उपस्कर देने थे। परीक्षणों की अवधि 30 कार्य दिवस थी। बी ई एम एल ने, तद्यपि दिसम्बर 2003 में पी एम एस पुल परीक्षणों के लिए दिए। परीक्षणों के दौरान प्रकट हुए अनेक दोषों और इन दोषों को दूर करने के लिए बी ई एम एल द्वारा लिए गए अत्यधिक समय के कारण संपोषक परीक्षण केवल मई 2008 में अर्थात् चार वर्ष और पांच माह बाद पूरे हुए। इसी बीच अक्टूबर 2007 में कुछ संसोधन का सुझाव देते हुए सशर्त थोक उत्पादन अनुमति प्रदान की गई जिसमें सुपुर्दगी समय को प्रथम सेट के लिए अक्टूबर 2008 तथा शेष पांच सेटों के लिए अक्टूबर 2011 संशोधित किया गया। चूंकि फर्म सुपुर्दगी के लिए बढ़ायी गई समय सीमा का पालन नहीं कर सका इसलिए सुपुर्दगी के लिए सितंबर 2013 तक समय बढ़ा दिया गया।

हमने देखा (फरवरी 2013) कि बी ई एम एल द्वारा पुलों के निर्माण एवं आपूर्ति में अत्यधिक विलंब के होते हुए भी रक्षा मंत्रालय ने इस फर्म को दिसम्बर 2004 तक ₹313.72 करोड़ के बराबर 79 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया था। उपर्युक्त भुगतान में से मार्च 2003 तक अर्थात् परीक्षण हेतु पुल देने की नियत तिथि तक ₹203.73 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था। समय पर पुल प्रदान करने तथा उनके लिए थोक उत्पादन अनुमति प्राप्त करने में बी ई एम एल की विफलता के बावजूद मॉनीटरिंग सेल की संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 2003 और दिसम्बर 2004 के बीच ₹110 करोड़ का शेष भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा जारी (फरवरी 2013) टिप्पणी के उत्तर में सेना मुख्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि कार्य की प्रगति के संबंध में मॉनीटरिंग सेल की पूर्ण संतुष्टि के बाद ही भुगतान किया गया था।

यह उत्तर तथापि स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि दिसंबर 2002 में अर्थात् परीक्षणों के लिए पुल प्रदान करने हेतु नियत तिथि से पूर्व, हुई बैठक में मॉनीटरिंग सेल ने कार्य की प्रगति से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टतया विचार-विमर्श किया तथा पहले से प्रदत्त निधियों के उपयोग के संबंध में स्पष्ट रूप से जांच की। मार्च 2003 के बाद हुई अनुवर्ती बैठकों में थोक उत्पादन अनुमति के अभाव में जब कार्य की वास्तविक प्रगति अवरुद्ध हो गई तब मॉनीटरिंग सेल ने बी ई एम एल को दिए अग्रिमों के प्रति किए गए व्यय की समीक्षा अथवा विशेष रूप से कार्य की प्रगति को निर्धारित किए बिना भुगतान करने के लिए संस्तुति दी।

इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2004 तक ₹313.72 करोड़ (कुल संविदा मूल्य का 79 प्रतिशत) का कुल भुगतान किया गया, जिसमें से ₹110 करोड़ का भुगतान निर्माण एवं आपूर्ति में अनुरूप प्रगति के बिना किया गया। रक्षा मंत्रालय ने तथापि दिसम्बर 2004 के बाद कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया, क्योंकि मॉनीटरिंग सेल ने बाद में केवल पी एम एस पुल की तीन पूर्ण सेटों की सुपुर्दगी के पश्चात अतिरिक्त भुगतान करने की संस्तुति की। प्रथम दो सेटों की 2011 में तथा और दो सेटों की सुपुर्दगी 2012 में पूरी की गई तथापि, आपूर्ति सभी चार सेट मोटर टग लॉचिंग (एम टी एल-बोट) के बिना थे। इस प्रकार नवम्बर 2013 तक ₹313.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान करने के बावजूद सेना को केवल दो पी एम एस पुल का पूरा सेट प्राप्त हुआ।

अतएव, यह मामला प्रकट करता है कि पी एम एस पुल के निर्माण एवं आपूर्ति की निगरानी करने का विशिष्ट उत्तरदायित्व होने तथा तदनुसार बी ई एम एल को अग्रिमों के भुगतान के लिए संस्तुति देने के बावजूद मॉनीटरिंग सेल ने कार्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित किए बिना ₹110 करोड़ के भुगतान के लिए संस्तुति दी।

यह मामला जून 2013 में मंत्रालय को भेजा गया जिसपर उनका उत्तर अभी तक (नवंबर 2013) प्रतीक्षित है।

2.5 आवश्यक नियंत्रण के अभाव में बकाया देय की वसूली न होना

संयुक्त राष्ट्र संघ शांति मिशन से प्रेषित देय के लेखांकन में प्रभावपूर्ण नियंत्रण के अभाव के कारण एक बड़ी बकाया राशि का संचय हुआ जिसमें चार मिशनों से देय ₹73.84 करोड़ उनके बन्द होने के कारण वापिस न मिलने की संभावना सम्मिलित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.) के साथ मेमोरैंडम आफ अन्डरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू.) के अंतर्गत, भारत कई देशों में फैले संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति मिशन (पी.के.एम.) के लिए सशस्त्र सैनिक टुकड़ियों, गठित पुलिस ईकाइयों (एफ.पी.यू.), सेना और सैनिक टैंक टुकड़ियों (सी.ओ.ई.) का योगदान देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असैम्बली द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर भारत को उसके इस योगदान के लिए प्रतिपूर्ति करता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह भुगतान पिछले माह के अंत तक बनी व्यक्तिगत लागत तथा जो पिछली तिमाही के अंत तक टैंक संबंधी लागत प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही के अन्त में करता है।

यह भुगतान भारत सरकार को उसके न्यूयॉर्क में स्थित स्थायी मिशन (पी.एम.आई.) जो प्रत्येक शांति मिशन के लिए अलग-अलग बैंक खाते रखता है और राशि संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को प्रेषित करता है।

भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ लेन देन का हिसाब अपने न्यूयॉर्क स्थित पी.एम.आई. के द्वारा करता है। पी.एम.आई. बकाया वापसी भुगतान के मामले यू.एन. सचिवालय के साथ लगातार चर्चा, संयुक्त राष्ट्र जनरल असैम्बली के साथ सभाओं और पांचवीं समीति (प्रशासनिक एवं वित्तीय) के साथ वार्तालाप द्वारा व्यस्त रहता है। रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) के प्रतिनिधि दल भी वार्ता के साथ-साथ बकाया देय राशि के भुगतान के लिए यू.एन. जाते रहते हैं।

शांति मिशन में भारतीय योगदान के लिए प्रतिपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच (फरवरी 2012) में पता चला कि प्रतिपूर्ति के लिए के लिए निर्धारित समय सीमा के बावजूद विशेषकर सी.ओ.ई. के लिए एक बड़ी राशि यू.एन पर बकाया थी। कई शांति मिशन पर जनवरी 2012 तक 81.15 मिलियन यू एस डालर बकाया राशि थी। राशि का विवरण इस प्रकार है:-

- अ. 67.78 मिलियन यू एस डालर, ₹374.19 करोड़ के बराबर सक्रिय मिशनों के लिए प्रतिपूर्ति से संबंधित था। इस राशि में वर्तमान एवं इससे पहले की देयता शामिल थी।
- ब. 13.37 मिलियन यू एस डालर, ₹73.84 करोड़ के बराबर चार मिशन से संबंधित जो 17 साल पहले यू.एन. द्वारा बंद कर दिये थे जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	मिशन का नाम	बंद होने का वर्ष	देय राशि	
			(यू.एस मिलियन में)	(₹करोड़ में)
1.	यू एन ओ एस ओ एम	1995	12.16	67.11
2.	यू एन टी ए सी	1993	0.52	2.88
3.	यू एन ई एफ	1967	0.26	1.44
4.	ओ एन यू सी	1964	0.43	2.41
		कुल	13.37	73.84

यू.एन. ने बंद हो चुके मिशन के बकाया राशि के बारे में पी.एम.आई., न्यूयॉर्क को सूचित (नवंबर 2012) किया कि 12.68 मिलियन यू एस डालर की यू एन ओ एस ओ एम और यू.एन.टी.ए.सी. के लिए राशि का भुगतान रोकड़ घाटे के कारण नहीं हो सका। अतः 12.68 मिलियन यू एस डालर राशि का भुगतान की संभावना नहीं के बराबर है।

लेखा परीक्षा (फरवरी 2012) द्वारा देरी से निपटान होने के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए पी.एम.आई. न्यूयॉर्क में कई पी.के.एम. के लेखाओं के रखरखाव एवं नियंत्रण संबंधित दस्तावेजीकरण की जाँच की गई। हमने पाया कि पी.एम.आई. ने यू.एन. से देय राशि के भुगतान के लिए संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव नहीं किया और जिसके कारण कई पी.के.एम. के प्रति बकाया प्रतिपूर्ति राशि किसी निश्चित समय पर पी.एम.आई. के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं थी। संबंधित विवरणों के लिए पी.एम.आई. एवं रक्षा मंत्रालय ने यू.एन द्वारा दिए आंकड़ों पर अपरिहार्य रूप से विश्वास किया। स्पष्टतः बकाया देय की वसूलियों के पड़ताल लिए आवश्यक नियंत्रण त्रुटिपूर्ण थे जिसके कारण एक बड़ी देय राशि, जिसमें ₹73.84 करोड़ सम्मिलित है, जिनकी वसूली अनिश्चित है, एकत्रित हुई।

लेखा परीक्षा जांच (फरवरी 2012) में यह पाया कि जबकि पी.एम.आई./एम.ओ.डी. ने यू एन द्वारा भेजे गए आकड़ों पर भरोसा किया, यू. एन. द्वारा भेजे गए आंकड़ों भी एकरूप तथा पूर्ण नहीं थे। बन्द हो चुके मिशन ओ एन यू सी के विरुद्ध 43570 यू एस डालर की बकाया राशि तथा मिशन यू एन ई एफ के विरुद्ध 261339 यू एस डालर की बकाया राशि को जनवरी 2011 तक अपने प्रतिवेदन में नहीं दर्शाया गया था, यद्यपि ये मिशन क्रमशः वर्ष 1964 एवं 1967 में बंद हो चुके थे। इन विसंगतियों ने उन सूचना स्रोतों की कमियों की तरफ इशारा किया जिन पर भारत सरकार ने भरोसा किया और इसलिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण के साथ एक अच्छे परिभाषित लेखांकन व्यवस्था को आवश्यक बनाता है।

मामला नवंबर 2012 में विदेश मंत्रालय (एम ई ए) को भेजा गया था, उनका उत्तर प्राप्त हो गया था (अप्रैल 2013)। अपने उत्तर में एम ई ए ने कहा यू एन से बातचीत के लिए पी एम आई प्रारंभिक बिंदु था तथा इसका कार्य यू एन से मिले क्रेडिट को प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (पी सी डी ए) को सूचित करने तक सीमित था। इसके आगे कहा गया कि यू.एन.पी. के. एम. में भारत की भागीदारी से संबंधित लेखों के लिए एम.ओ.डी. एवं पी.सी.डी.ए. केन्द्र बिन्दु है। एम.ई.ए. का यह तर्क एम.ओ.डी. के कथन से विपरीत था, जिसमें कहा गया था (जुलाई 2009) कि पी के एम में भारत की भागीदारी के प्रतिपूर्ति दावों की जांच पी एम आई के कार्य क्षेत्र में आती है। अतः इससे स्पष्ट है कि लेखांकन तथा यू एन से पी के एम से संबंधित देयताओं की वसूली का दायित्व पी एम आई और एम ओ डी दोनों पर साफ नहीं था।

मामला रक्षा मंत्रालय के साथ भी उठाया गया था। रक्षा मंत्रालय में जून 2013 में कहा कि बंद हो चुके मिशनों के बकाया देयताओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया प्रचलित नहीं थी। प्रचलित लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावकारिता के बारे में आपत्ति के उत्तर में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण रूप से लागू नहीं थी क्योंकि इनमें से कुछ मदें अप्रचलित हो चुकी थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि मंत्रालय के प्रतिनिधि वार्तालाप के साथ बकाया देयताओं को निपटाने के लिए विभिन्न समयांतरालों पर यू एन मुख्यालय की यात्रा करते रहते हैं।

अतः यह मामला यह दर्शाता है कि यू एन से पी के एम से संबंधित वसूलियों के लिए लेखांकन के प्रभावी नियंत्रक के अभाव में और जिम्मेदारियों में अस्पष्टता के कारण बहुत ज्यादा बकाया राशि का संचय हुआ जिसमें ₹73.84 करोड़ की सम्मिलित थी वसूली की संभावना कम है।

अध्याय III : थलसेना

3.1 एक अपंजीकृत एवं अनुभवहीन फर्म से पूर्व तकनीकी जांच के बिना निम्न स्तर के भंडारों की स्वीकृति

रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने प्रतिदर्श के पूर्वानुमोदन के बिना ₹2.54 करोड़ की लागत पर परम शीत ऋतु मास्क की आपूर्ति हेतु एक नए और अपंजीकृत फर्म के साथ संविदा की। इस प्रकार क्रय किए गए मास्क बाद में उपयोगकर्ताओं द्वारा निम्न-स्तर के पाए गए परिणामस्वरूप ₹1.82 करोड़ मूल्य के 92,783 मास्क का उपयोग नहीं किया जा सका।

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डीपीएम) 2005 एवं 2006 (राजस्व अधिप्राप्ति) के क्रमशः पैरा 4.4.1 और 4.4.2 उल्लेख करते हैं कि खुली निविदा पृष्ठताछ के मामलों में, जहाँ एक अपंजीकृत फर्म प्रस्तावित मद के तकनीकी प्राचलों को पूरा करने हेतु तकनीकी विनिर्देशनों के अनुपालन का दावा करती है, तब ऐसी फर्म की वाणिज्यिक बोली खोलने से पूर्व, ए एच एस पी¹²/ निर्दिष्ट जांच अभिकरण द्वारा प्रतिदर्श का अनुमोदन एवं फर्म की क्षमता का सत्यापन करना अनिवार्य है।

रक्षा सामग्री तथा भंडार अनुसंधान एवं विकास संस्थापन (डी एम एस आर डी ई) द्वारा 1988 में विकसित परम शीत ऋतु मास्क (मास्क) 12 भिन्न सामग्रियों से बनाया गया एक विशेष परिधान है और वे सामग्रियाँ डी एम एस आर डी ई द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की प्रदत्त सूची में से अधिप्राप्त की जाती थी। इस मद का ए एच एस पी गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (वस्त्र एवं परिधान) [सी क्यू ए (टी एवं सी)] कानपुर था।

अगस्त और नवंबर 2005 के लिए महानिदेशक आयुध सेवाओं (डी जी ओ एस) के मांगपत्रों के प्रति रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने ₹2.54 करोड़ की कुल लागत पर 1,29,873 मास्क की आपूर्ति हेतु दिसम्बर 2006 में मेसर्स हेरिटेज क्रिएशन्स दिल्ली (फर्म) के साथ एक संविदा की। रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (2006) का उल्लंघन करते हुए यह आदेश, तथापि प्रतिदर्श का पूर्वानुमोदन के बिना दिया गया था। चूँकि यह मद नयी थी और फर्म भी नई एवं अपंजीकृत थी, सी क्यू ए (टी एवं सी) ने डी जी ओ एस को संविदा में अग्रिम प्रतिदर्श की आवश्यकता को सम्मिलित करने का सुझाव दिया (फरवरी 2007) ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि थोक उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व फर्म द्वारा उचित निर्माण तकनीक की स्थापना कर ली गई थी। तथापि, डी जी ओ एस ने यह कहते हुए इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि फर्म के प्रतिदर्श का डी एम एस आर डी ई द्वारा अनुमोदन किया जा चुका था और इसलिए अग्रिम प्रतिदर्श हेतु खंड को संविदा में सम्मिलित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला (फरवरी 2013) कि डी एम एस आर डी ई द्वारा प्रतिदर्श पहले से अनुमोदित होने का डी जी ओ एस का दावा वस्तुतः गलत था, क्योंकि डी एम एस आर डी ई ने पुष्ट किया कि उनके द्वारा इस फर्म के प्रतिदर्श का अनुमोदन नहीं किया गया था। सी क्यू ए (टी एवं सी) ने डी जी ओ एस द्वारा किए गए दावे का खंडन किया तथा जून

¹² मास्क मोहरबंद विवरण अतिधारक प्राधिकारी मदों का विनिर्देशन तैयार करने और उस मदों का विस्तृत विवरण रखने के लिए अधिकृत प्राधिकारी है।

2007 में स्पष्ट किया कि डी एम एस आर डी ई ने फर्म द्वारा दिये गए प्रतिदर्श की जांच तकनीकी प्राचलों का आवलोकन किए बिना केवल दृश्य रूप से निर्माण आकृति एवं डिजाइन के लिए की गई थी और इसलिए संविदा में अग्रिम प्रतिदर्श खंड को विधिवत सम्मिलित किए जाने कि आवश्यकता थी

अतः फर्म ने प्रतिदर्शों का तकनीकी अनुमोदन कराए बिना आपूर्ति की। आदेशित सभी परिमाण अप्रैल 2008 और अगस्त 2008 के बीच केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी), कानपुर द्वारा प्राप्त किए गए। तथापि, सेना कमांडर को दी गयी एक प्रस्तुति के दौरान, उत्तरी कमान मुख्यालय (एच क्यू एन सी) द्वारा मास्क के साथ साथ परिधान मदों की गुणवत्ता के संबंध में उपयोगकर्ताओं की चिंताओं को उठाया गया। उत्तरी कमान मुख्यालय ने तदनुसार मद की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मार्च 2011 में रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय के साथ यह मामला उठाया। इसके आगे, मास्क की गुणवत्ता के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा उपयोगकर्ता इकाइयों से पूछे गए (जुलाई 2011) एक विशेष प्रश्न के उत्तर में 71 आयुध अनुरक्षण प्लाटून और 8 माउण्टेन डिविजन जिन्हे एक बड़ी मात्रा में यह मास्क जारी किए गए थे, ने इन मास्क की गुणवत्ता में कमी की पुष्टि की (अगस्त 2011 एवं जून 2012)। यह सूचित किया गया कि कठिनाई मुख्यतः पहनने में, श्वसन में तथा प्रयुक्त परिधान की खराब गुणवत्ता के कारण उत्पन्न त्वचा की अतिसंवेदनशीलता आदि में थी।

हमने इस मामले की आगे जांच की तथा मास्टर जनरल आयुध शाखा (एम जी ओ), रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय से मास्क की भंडार स्थिति के बारे में पता किया। 1/4 फरवरी 2013)। एम जी ओ द्वारा सूचित किया गया (अप्रैल 2013) कि अप्रैल 2008 एवं अगस्त 2008 के बीच प्राप्त कुल 1,29,873 मास्क में से 22,169 मास्क मार्च 2013 तक केंद्रीय आयुध डिपो कानपुर में रखे हुए थे। तीन वर्षों के निर्धारित जीवनकाल को देखते हुए ₹43.35 लाख मूल्य के इस भंडार ने अतैव अपनी शेल्फ लाइफ भंडारण में ही समाप्त कर दी थी। एम जी ओ के उत्तर से हमने यह भी देखा कि ₹52.67 लाख मूल्य के 26908 मास्क 2012 में उनकी शेल्फ लाइफ की समाप्ति के बाद केंद्रीय आयुध डिपो कानपुर से जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2009 और जुलाई 2011 के बीच उत्तरी, पूर्वी, एवं पश्चिमी कमानों में ₹85.55 लाख मूल्य के 43706 मास्क का निराकरण किया गया ।

इस प्रकार, उचित सर्वेक्षण और प्रतिदर्श के पूर्वानुमोदन के बिना जैसाकि रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली द्वारा अपेक्षित था, एक अपंजीकृत एवं अनुभवहीन फर्म से ₹2.54 करोड़ मूल्य के मास्क स्वीकार किए गए। इस प्रकार, अधिप्राप्त किए गए मास्क को उपयोगकर्ताओं द्वारा गुणवत्ताहीन पाया गया तथा ₹1.82 करोड़ मूल्य के 92783 मास्क का या तो उनके निर्धारित शेल्फ लाइफ की समाप्ति के बाद भी उपयोग/ भंडारण किया गया या फिर निराकरण करना पडा।

यह मामला दिसंबर 2012 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2013)।

3.2 एक्स-रे जेनरेटर्स को नौ साल से अधिक समय तक स्टॉक में रखना

आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों के खोज एवं निराकरण के लिए सितम्बर 2004 में ₹2.28 करोड़ की लागत से आयात किए गए एक्स-रे जेनरेटर्स को उपयोगकर्ता को आई.एच.क्यू से रिहाई के आदेश के अभाव में जारी नहीं किया गया। 90 प्रतिशत जेनरेटर्स की कार्यक्षमता स्टॉक में ही समाप्त हो गई।

तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों के खोज एवं निराकरण के लिए सितम्बर 2004 में प्राप्त किए गए कुल 124 एक्स-रे जेनरेटर्स में से ₹2.28 करोड़ मूल्य के 32 जेनरेटर्स को उनकी 90 प्रतिशत सर्विस लाइफ समाप्त होने के बाद भी उपयोगकर्ता को निर्गत नहीं किया जा सका।

रियल-टाइम वियूइंग सिस्टम एम के-IV यानि एक्स-रे जेनरेटर तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (आई.इ.डी) के खोज एवं निराकरण के लिए एक आवश्यक उपकरण है। आतंकवादी गतिविधियों वाले क्षेत्रों में आई.इ.डी का खतरा बढ़ जाने के कारण इस उपकरण की महत्ता और भी अधिक हो गई है। इस श्रेणी 'ए' टैंक के उपकरण की कमी को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 15 फरवरी 2002 को मैसर्स सैक्टर -6 टेक्नोलोजिज बेल्जियम के साथ, 124 एक्स-रे जेनरेटर्स की आपूर्ति के लिए ₹8.85 करोड़ (यूरो 2.073 मिलियन) की लागत का अनुबन्ध किया। इस जेनरेटर की इन-सर्विस लाइफ 10 वर्षों की थी एवं अनुबन्ध के प्रावधान के अनुसार कंपनी उपकरण की सुपुदगी के बाद दस वर्षों तक उपकरण का उत्पाद समर्थन देने के लिए उत्तरदायी थी।

अनुबन्धित मात्रा के विपरीत 117 एक्स-रे (सभी सहायक उपस्कर के साथ) सितम्बर 2004 में आगरा के केन्द्रीय आयुध डिपो (सी.ओ.डी) में प्राप्त किए गए, और बाकी बचे हुए सात उपकरण मार्च 2006 में प्राप्त हुए। इन में केवल 49 टैंक ही सैन्य मुख्यालय के आदेशानुसार उपयोगकर्ता इकाइयों को जारी किए गए। बाकी बचे 75 टैंकों को फैंकट्री रिपेयर (एफ.आर) घोषित किया गया क्योंकि इनकी बैटरियाँ चार्ज नहीं हो पा रही थी। सी.ओ.डी द्वारा 29 जुलाई 2005 को एफ.आर टैंक की गुणवत्ता का दावा रखा गया। कंपनी ने 75 खराब बैटरियों को जून में प्रतिस्थापित कर दिया। परंतु इनके प्रतिस्थापन के बाद भी केवल 36 एक्स-रे जेनरेटर्स को उपयोगकर्ता इकाइयों को जारी किया जा सका। बाकी बचे हुए 39 में से 32 फ्री इश्यू स्टॉक 2 बेस ओवर हॉल एवं 5 इंटीग्रेटेड मुख्यालय (आई.एच.क्यू) रिजर्व के अंतर्गत अगस्त 2013 तक सी.ओ.डी. के स्टॉक में थे। स्टॉक में लगातार पड़े हुए टैंकों के लिए दिसम्बर 2011 में उठाए गए लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में सी.ओ.डी. ने कहा कि जारी किए गए टैंक श्रेणी 'ए' होने के कारण रक्षा मंत्रालय (सेना) के आई.एच.क्यू. के रिहाई आदेश/ जारी आदेश के उपरान्त निर्गमित होते हैं यह डिपो में इस लिए पड़े हुए थे। क्योंकि आर.ओ/ आई.ओ रक्षा मंत्रालय सेना के आई.एच.क्यू से प्राप्त नहीं हुए थे।

मई 2011 में सी.ओ.डी. द्वारा किए गए निरीक्षण में 38 एक्स-रे अपने बैटरियों के जीवन काल खत्म हो जाने के कारण फिर से "एफ.आर" घोषित कर दिए गए, इसी कारण से इन उपकरणों को अगस्त 2013 तक सी.ओ.डी. में रोक कर रखा गया।

इस मामले से यह पता चलता है कि आई.इ.डी टैंक के विशिष्ट एवं विशेषीकृत आवश्यकता होने के बावजूद क्षेत्र ₹2.28 करोड़¹³ मूल्य के 32 एक्स-रे जेनरेटर्स को समय पर उपयोग के लिए जारी नहीं किया गया। प्राप्ति के नौ वर्षों तक सी.ओ.डी आगरा में बेकार पड़े होने के कारण

¹³ यूरो 20.73 लाख x ₹ 42.699 प्रति यूरो = ₹885.15 लाख X 32/124 = ₹228.42 लाख = ₹2.28 करोड़

यह उपकरण अपनी 90 प्रतिशत की इन- सर्विस लाइफ एवं उत्पाद समर्थन काल खत्म कर चुके थे।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2013 में संदर्भित किया गया था नवम्बर 2013 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

3.3 बैटरियों का अनुरक्षण न करने के कारण हानि

सेना मुख्यालय/ केंद्रीय आयुध डिपो दिल्ली छावनी ने वाहनों के लिए ₹21.32 करोड़ की लागत में 37957 अल्प अनुरक्षण बैटरियों की अधिप्राप्ति की। इनमें से 6993 बैटरियां भंडारण के दौरान उनके अपर्याप्त अनुरक्षण के कारण दोषपूर्ण / अप्रयोज्य हो गयी, जिनके परिणामस्वरूप ₹4.18 करोड़ की हानि हुई।

महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी जी क्यू ए) ने बैटरियों के पुराने गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रॉनिक्स) (सी क्यू ए एल) विनिर्देशन 540 को नए सी क्यू ए एल विनिर्देशन 637:2006 से प्रतिस्थापित किया (जनवरी 2007) जिसमें बैटरियों के लिए कम आवेशन समय, अल्प अनुरक्षण, उच्चतर क्रैकिंग निष्पादन¹⁴ और बेहतर दीर्घायु परिकल्पित थी। नए विनिर्देशन बैटरियों की आपूर्ति भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट और पूर्ण आवेशित रूप में की जानी थी। चूंकि इन बैटरियों का शेल्फ जीवन छः माह का और दो वर्ष का सेवा काल था, इसलिए निर्माता द्वारा आपूर्ति की जाने की तिथि से छः माह के भीतर उनका उपयोग करने तथा डिपो में पूर्ण आवेशित अवस्था में न्यूनतम समय के लिए रखने की आवश्यकता थी। भंडारण अवधि (अधिकतम छः माह) के दौरान समय-समय पर वोल्टेज की जांच की जानी थी, तथा इस अवधि के दौरान 12 वोल्ट और 6 वोल्ट बैटरियों के संबंध में यदि वोल्टेज क्रमशः 10.75 वोल्ट और 4 वोल्ट के नीचे चला गया, तो उसे अपनी पूर्ण कार्यक्षमता में पुर्नजीवित किया जाना था।

रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने ₹3.20 करोड़ मूल्य की 8620 बैटरियों (12 वोल्ट ए एच 70)¹⁵ की अधिप्राप्ति हेतु फरवरी 2008 में मेसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज को आपूर्ति आदेश दिया। केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) में जुलाई/ अगस्त 2008 में संपूर्ण परिमाण में बैटरियां प्राप्त हो गयी। बैटरियों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्रीय आयुध डिपो ने ₹3.25 करोड़ और ₹14.87 करोड़ मूल्य के क्रमशः 8714 बैटरियों (12 वोल्ट ए एच 70) और 20623 बैटरियों (12 वोल्ट ए एच 120) के लिए सितंबर 2008 एवं अक्टूबर 2008 में मेसर्स अमर राजा को महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डीजी एस एंड डी) की दर संविदा पर दो और आपूर्ति आदेश दिए। मेसर्स अमर राजा द्वारा पहले आदेश के प्रति दिसंबर 2008 और नवंबर 2010 के बीच तथा दूसरे आदेश के प्रति मई 2009 और नवंबर 2010 के बीच आपूर्ति की गई थी।

29 इकाइयों में इन बैटरियों के संबंधी लेखापरीक्षा जांच (सितंबर 2010) से पता चला कि 2009 एवं 2010 के दौरान उपरोक्त तीन आपूर्ति आदेशों के प्रति प्राप्त 6993 बैटरियां आवेशित नहीं रख पा रही थी और इसलिए 2010 एवं 2011 में दोषपूर्ण/ अप्रयोज्य हो गई थी। इनमें से कुछ मामलों का विस्तृत विश्लेषण करने पर सी क्यू ए एल, बेंगलूर ने देखा कि

¹⁴ वाहन चालू करने हेतु एक विनिर्दिष्ट समयावधि (सैकंडों) में के लिए उच्चतर स्फुलिंग धारा प्रदान करने के लिए बैटरी का निष्पादन।

¹⁵ 12 वोल्ट बैटरियों का आंशिक वोल्टेज है जो एक बैटरी निर्गम सिरा पर प्रदान कर सकती है। 70 ए एच, बैटरियों की ऐम्पियर घंटों में क्षमता है।

(फरवरी 2011) बैटरियों में पाए गए दोष निर्माण की कमियों के कारण नहीं थे, किंतु अपेक्षित अनुरक्षण के बिना आयुध डिपों में लंबे समय तक उनके भंडारण के कारण थे। सी क्यू ए एल ने इसके आगे कहा कि ऐसी बैटरियों को पुर्नजीवित करके उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। दोषपूर्ण बैटरियों की मरम्मत एवं प्रतिस्थापन हेतु यह मामला जुलाई 2010 और सितंबर 2010 में दोनों फर्मों के साथ भी उठाया गया। फर्मों ने इन्हे बदलने से मना कर दिया क्योंकि दोषपूर्ण बैटरियों को सी क्यू ए एल विनिर्देशन के अनुसार नहीं रखा गया था।

लेखापरीक्षा के प्रश्नों के उत्तर में केंद्रीय आयुध डिपो दिल्ली छावनी ने कहा (अप्रैल 2012) कि अल्प अनुरक्षण से युक्त बैटरियां सी क्यू ए एल विनिर्देशन 2006 के अनुसार सेवा में प्रवर्तित की गई थी, इन बैटरियों का भंडार जीवन केवल छः महीने तथा अधिकतम सेवा काल दो वर्ष था। सेना को इस समय तक इन बैटरियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रकार्य करने हेतु कोई अनुभव नहीं था। और इसलिए सी क्यू ए एल को भंडार सोपानकों एवं संबद्ध जांच सुविधाओं पर विचार किए बिना मनमाने ढंग से उसके विनिर्देश को नहीं हटाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त इन बैटरियों को थापियों में पैक किया जाता है और बैटरियों को आवेशित करने हेतु इन थापियों को तोड़ना होता है और संसाधनों के अभाव के कारण बैटरियों को पुनः थापियों में पैक करना संभव नहीं था। इसी बीच, डी जी ओ एस ने अगस्त 2010 में सभी कमानों को शेल्व जीवन के भीतर बैटरियों के प्रभावकारी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सभी बैटरियों को अल्पमात्रीय¹⁶ आवेश करने का अनुदेश दिया।

इस प्रकार बैटरियों के भंडारण के संबंध में नियंत्रक डिपो को पर्याप्त मात्रा में सुग्राही बनाए बिना और भंडारण के दौरान उनकी पुनःआवेश हेतु संसाधनों का प्रबंध किए बिना अल्प अनुरक्षण युक्त बैटरियों की अधिप्राप्ति की गई जिससे अन्ततः दोषपूर्ण/ अप्रयोज्य घोषित ₹4.18 करोड़ मूल्य की बैटरियों की हानि हुई।

यह मामला मई 2013 को मंत्रालय में भेजा गया; उनका उत्तर नवंबर 2013 तक प्रतीक्षित था।

3.4 भंडारों के पुनःपरिवहन पर परिहार्य व्यय

केंद्रीय आयुध डिपो मुम्बई में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से टायरों एवं शेल्टरो की प्राप्ति हुई और आपूर्तिकर्ता द्वारा उन्हें ऐसी इकाइयों में प्रत्यक्ष रूप से प्रेषित जैसे कि परिहवन नमूने में परिकल्पित करने के बजाय डिपो ने उन्हें आश्रित इकाइयों में पुनः प्रेषित किया। केंद्रीय आयुध डिपो, मुम्बई द्वारा 2008-09 से 2011-12 तक 67652 टायरों एवं 64 एकीकृत फील्ड शेल्टरों के पुनःपरिवहन के कारण ₹5.45 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) आश्रित निचले आयुध डिपोओं को विनिर्दिष्ट माल के भंडारों की पूर्ण श्रेणी व व्याप्ति में अखिल भारतीय प्रावधान तथा आपूर्ति हेतु मूल डिपो के रूप में संचालन करता है । आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की विद्यमान प्रणाली निचले फार्मेशनों द्वारा उनके लिए आवश्यक भंडारों को उच्चतर फार्मेशनों से मांग द्वारा प्राप्त करने के आधार पर कार्य करती है।

आयुध शाखा के मास्टर जनरल सेना मुख्यालय,(एम जी ओ) ने 1979 में भंडारों की चुनिंदा श्रेणियों के लिए परिवहन नमूना (नमूना) प्रणाली प्रारंभ की । इस नमूने में आपूर्तिकर्ता द्वारा

¹⁶ पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी को नो लोड में उसके स्व- निरावेशन दर के बराबर की दर में आवेशित करना और इस प्रकार बैटरी को उसके पूर्ण रूप से आवेशित स्तर पर रहने में समर्थ बनाना।

परेषिती को चुनिंदा भंडारों का प्रत्यक्ष प्रेषण परिकल्पित था। इस नमूने के प्रवर्तन का उद्देश्य केंद्रीय आयुध डिपोओं के माध्यम से भेजने के बजाय आपूर्तिकर्ता द्वारा परेषितियों को प्रत्यक्ष प्रेषण से उद्भूत भंडारों की परिवहन लागत में मितव्ययिता प्राप्त करना है। इसके अलावा बहल चढाई उतराई से होनेवाली क्षतियों के लिए कमी भी विषयक्षेत्र में परिकल्पित थी। एक तो यह नमूना मदों की चुनिंदा श्रेणी के लिए प्रयुक्त होने थी, जो स्थूल, सत्वर और अनुमापी स्थान ग्रहण करती थी। केंद्रीय आयुध डिपो के कमांडन्ट तथापि अपनी ही पहल पर अन्य मदों का चयन के लिए प्राधिकृत थे।

लेखापरीक्षा के दौरान (सितंबर 2010 और जनवरी 2012) हमने देखा कि निम्न दो मामलों में केंद्रीय आयुध डिपो द्वारा प्राप्त भंडारों के संबंध में परिवहन नमूने का आह्वान नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹5.45 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला क

सेना मुख्यालय द्वारा 2005-06 से 2009-10 के दौरान टायरों हेतु दिए गए आपूर्ति आदेशों की लेखापरीक्षा जांच से (सितंबर 2010) पता चला कि जब 2005-06 और 2006-07 में परिवहन नमूने के आधार पर प्रत्येक वर्ष मात्र एक- एक आपूर्ति आदेश दिया गया था, पूर्ववर्ती कार्यविधि के अनुसार शेष 96 आपूर्ति आदेश दिए गए जिसमें केंद्रीय आयुध डिपो, मुम्बई प्रारंभिक परेषिती के रूप में था। इस प्रकार प्राप्त टायर केंद्रीय आयुध डिपो द्वारा किराये के सिविल वाहन से अंतिम परेषिती को पुनः प्रेषित किए गए। हमने टायरों के दोहरे परिवहन के कारण हुए अतिरिक्त व्यय को सेना मुख्यालय द्वारा अपनाए गए सूत्र के अनुसार परिकल्पित किया। सेना मुख्यालय द्वारा 1.59 लाख टायरों की आपूर्ति हेतु दिए गए 16 आपूर्ति आदेशों की नमूना जांच से 2008-09 से 2011-12 के दौरान केंद्रीय आयुध डिपो मुम्बई से पांच आश्रित डिपो/ इकाइयों में पुनः परिवहन किए गए 67652 टायरों के संबंध में पुनः परिवहन पर हुआ परिहार्य व्यय ₹4.15 करोड़ परिकल्पित किया।

सितंबर 2010 में उठाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में, केंद्रीय आयुध डिपो ने कहा (सितंबर 2010) कि यह नमूना केवल तभी उपयुक्त था जब अनेक स्रोत और गंतव्य स्थान हो, और उस मद को यथेष्ट सत्वर और पूरे भारत में निरंतर उपयोग का होता हो। उन्होंने यह भी कहा कि टायरों की कुछ मदें इन मानदंडों को पालन नहीं कर रही थी और इस प्रकार एक विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए सभी आदेशों के लिए इस नमूने को अपनाना संभव नहीं था।

यह उत्तर तथापि वस्तुतः सही नहीं है क्योंकि नवंबर 1979 में सेना मुख्यालय द्वारा अनुमोदित मदों की प्रारंभिक चयनित सूची में टायर सम्मिलित था इसके अतिरिक्त केंद्रीय आयुध डिपो के कमांडन्ट को अन्य मदों का चयन करने के लिए प्राधिकृत¹⁷ किया गया था, जो ड्यूस आउट की बढ़ती मात्राओं को पूरा करने में स्वयं को सुगमता से प्रदान करती है। आपूर्ति आदेश अन्य मानदंडों अर्थात् सम्मिलित गंतव्य स्थानों की संख्या (पांच आश्रित डिपो) यथेष्ट प्रकृति तथा उस मद के सत्वर एवं निरंतर उपयोग का होना आदि के प्रति भी अर्हताप्राप्त थे। अतः भंडारों के प्रत्यक्ष प्रेषण के लिए यथा सेना मुख्यालय द्वारा अनुमोदित नमूने का आह्वान किया जाना चाहिए था।

¹⁷ मास्टर जनरल ऑफ द आर्डिनेंस ब्रांच, सेना मुख्यालय के पत्र दिनांक 14.11.1979 संख्या ए/05240/104/ओ एस-12 के पैरा 27 का संदर्भ

तथापि केंद्रीय आयुध डिपो ने इसके बाद अक्टूबर 2011 में स्पष्ट किया कि 2009-10 तथा उसके बाद के मांगपत्र और मांगे परिवहन नमूने के आधार पर सेना मुख्यालय को अग्रेषित की गई।

मामला ख

रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2008 में परेषिती केंद्रीय आयुध डिपो मुम्बई के लिए 101 एकीकृत फील्ड शेल्टर्स (आई एफ एस) की आपूर्ति हेतु मेसर्स दास हिटैची गाजियाबाद और मेसर्स टिटगर वेगन्स कोलकत्ता प्रत्येक के साथ एक एक करके दो संविदाएँ की। 101 शेल्टर्स में से उत्तरी कमान को 50 पश्चिमी कमान/दक्षिणी पश्चिमी कमान को 34 और दक्षिणी कमान को 17 शेल्टर्स का प्रेषण किया जाना था। मार्च 2009 और मई 2012 के बीच में केंद्रीय आयुध डिपो मुम्बई में सभी भंडार प्राप्त हो गए जिनमें से 64 शेल्टार मार्च 2012 तक विभिन्न इकाइयों को जारी किए गए।

मार्च 2009 में केंद्रीय आयुध डिपो के कमांडन्ट ने कहा कि एक एकीकृत फील्ड शेल्टर के अंतर्गत 295 पैकेज होते हैं तथा उसे एक विशेष गंतव्य स्थान में प्रेषित करने हेतु चार से पांच किराए के सिविल वाहनों की आवश्यकता है और सभी एकीकृत फील्ड शेल्टर्स को केंद्रीय आयुध डिपो, मुम्बई से विभिन्न इकाइयों में प्रेषित करने हेतु लगभग ₹2 करोड़ की आवश्यकता होगी। दोहरी चढाई उतराई तथा वाहनों को किराए पर लेने से होनेवाले परिहार्य व्यय से बचने के लिए कमांडन्ट ने सेना मुख्यालय को सभी एकीकृत फील्ड शेल्टर प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न क्षेत्रीय आयुध डिपोओं में प्रेषित करने की सलाह दी। तथापि सेना मुख्यालय ने अंतिम परेषिती का संशोधन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2012 तक विभिन्न इकाइयों को 64 एकीकृत फील्ड शेल्टर्स का पुनः परिवहन करना पड़ा। उन भंडारों के पुनपरिवहन पर ₹1.30 करोड़ का व्यय परिकल्पित किया जो परिहार्य था।

जनवरी 2012 में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर केंद्रीय आयुध डिपो मुम्बई ने यह मामला सेना मुख्यालय के साथ उठाया। सेना मुख्यालय ने लेखापरीक्षा का दावा स्वीकार किया (अप्रैल 2012) और कहा कि परिवहन नमूने को आगामी संविदा के लिए कार्यान्वित किया गया है।

इस प्रकार सेना मुख्यालय द्वारा परिवहन नमूना को कार्यान्वित करने में विफलता के कारण ₹5.45 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इससे वह प्रयोजन ही निष्फल हो गया, जिसके लिए परिवहन नमूना परिकल्पित किया गया था।

यह मामला मई 2013 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

3.5 भवनों में अप्राधिकृत शक्तिवर्धक उपायों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त खर्च

संबंधित सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों ने भारतीय मानक 1893:2002, भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 एवं केंद्रीय कमान कार्यों के विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए भूकम्पीय क्षेत्र II और III में भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त पिलिथ क्षेत्र दरों को सम्मिलित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.34 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ।

अभियन्ताओं द्वारा अतिरिक्त पिलिथ क्षेत्र दरों को सम्मिलित करते हुए तैयार समीपवर्ती अनुमानों के आधार पर संबंधित सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों (सी.एफ.ए.) द्वारा सेना की भूकम्पीय क्षेत्र

॥¹⁸ और ॥¹⁹ में भवन के निर्माण हेतु संस्वीकृत के परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ।

स्केल आफ एकोमोडेशन यह निर्दिष्ट करता है कि अभियंता मितव्यता, सामान्य भवन चलन और स्थानीय शिल्पविद्या के अनुरूप आकारों का विनिर्देश और खाका तैयार करते हैं। भारतीय मानक 1893:2002, भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 और केन्द्रीय कमान कार्य विनिर्देशों के अनुसार सैन्य स्टेशन रायपुर, जबलपुर/पंचमडी और मऊ भूकम्पीय क्षेत्र ॥ और ॥ के अंतर्गत आते हैं।

इंजिनियर-इन-चीफ, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सैन्य) (इ-इन-सी) ने अप्रैल 2001 और जुलाई 2007 में मानक सूची दर क्रमशः 1996 और 2004 पर आधारित भवनों के विभिन्न समूह हेतु पिलिथ क्षेत्र दरों को अधिसूचित किया। मूल पिलिथ क्षेत्र दरें सभी भूकम्पीय क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट थी जबकि अतिरिक्त पिलिथ क्षेत्र दरें जो मूल दरों के अलावा भवनों में फ्रेमड निर्माण के संबंध में, भूकम्पीय क्षेत्र iv²⁰ और v²¹ में मजबूती प्रदान करने के उपायों हेतु स्वीकार्य थे। अतिरिक्त पिलिथ क्षेत्र दरें भूकम्पीय क्षेत्र ॥ और ॥ में भवनों के फ्रेमड संरचना निर्माण हेतु प्राधिकृत नहीं थी।

अक्टूबर 2003 और मार्च 2012 के बीच जारी संस्वीकृतियों की हमारी जाँच में उजागर हुआ कि अभियंताओं द्वारा तैयार अनुमानों के आधार पर संबंधित सी.एफ.ए. ने सैन्य स्टेशन,²² जो भूकम्पीय क्षेत्र ॥ और ॥ आते हैं, में भवनों के निर्माण हेतु फ्रेमड निर्माण के साथ अतिरिक्त पिलिथ दरों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत वित्तीय सलाहकों द्वारा अनुमति प्राप्त करते हुए संस्वीकृति को जारी किया। 39 ऐसी स्वीकृतियों के प्रति 33 संविदाएँ कार्य निपादन के लिए किये गये नतीजन मजबूती प्रदान करने के उपायों हेतु अतिरिक्त खर्च ₹2.34 करोड़ के तुल्य थी। संस्वीकृतियों के संबंध में संविदाओं का निष्पादन करना अभी बाकी है।

जून 2011 और मार्च 2012 में मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र (सी.ई.जे.जेड.) ने कहा कि यद्यपि जबलपुर और पंचमडी क्षेत्र ॥ के अंतर्गत आते हैं परन्तु हाल ही में आए भूकंप और अन्य कारकों जैसे मिटटी की स्थिति, अवमृदा जल आदि के कारण अतिरिक्त मजबूतीकरण हेतु अतिरिक्त राशि पर विचार किया। भविष्य में भूकम्पीय क्षेत्र हेतु विचार नहीं किया जाएगा। आगे लेखापरीक्षा प्रकाश के अवलोकन में, सभी अनुवर्ती संस्वीकृतियाँ बिना अतिरिक्त पिलिथ क्षेत्र दरों के जारी की गईं।

अतः मामले ने उजागर किया कि सी.एफ.ए. ने पिलिथ क्षेत्र दरों के आधार पर, अतिरिक्त पिलिथ क्षेत्रीय दरों को सम्मिलित करते हुए इ-इन-सी एवं मुख्य अभियंता के निर्देशों की अवहेलना करते हुए भूकम्पीय क्षेत्र ॥ एवं ॥ में भवनों के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान की। इन बड़ी हुई संस्वीकृतियों के आधार पर सैन्य अभियंता सेवाओं द्वारा संविदाएँ निष्पादित की गईं जिसके परिणामस्वरूप ₹2.34 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा हुआ।

मामला मई 2013 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर तक प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

¹⁸ क्षेत्र-॥ -यह सबसे कम सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्र है।

¹⁹ क्षेत्र-॥- इस क्षेत्र को औसत दर्जे के भूकम्पीय क्षेत्र में सम्मिलित किया है।

²⁰ क्षेत्र-iv इस क्षेत्र को अधिक भूकम्पीय क्षेत्र माना गया है।

²¹ क्षेत्र-v यह सबसे अधिक भूकम्पीय क्षेत्र है।

²² क्षेत्र-॥- रायपुर, क्षेत्र-॥-जबलपुर, पंचमडी और मऊ।

3.6 रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग

सरकारी आदेशों की घोर उपेक्षा करते हुए स्थानीय कमांडरो ने सरकारी भवनों को अनधिकृत उद्देश्यों के लिए पुनर्विनियोजन करते हुए अपनी प्रत्यायुक्त शक्तियों का दुरुपयोग किया।

भारत के महानियंत्रक लेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा समय समय पर सेना के स्थानीय कमांडरो द्वारा सैन्य संपत्तियों के अनधिकृत उपयोग/पुनर्विनियोजन से संबंधित उठाये गए मामलों को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने अक्टूबर 2001 में निर्देश जारी किए कि पुनर्विनियोजन मामलों में मानकों की वृद्धि अथवा नए चलन के शुरूवात के लिए सरकार की संस्वीकृति की आवश्यकता होगी। यह भी निर्देशित किया गया था कि नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

सी.ए.जी. संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) थल सेना और आयुध फैक्ट्रियों के प्रतिवेदन 2008 की संख्या 4 और 2011 की संख्या 16 में फिर से स्टेशन कमांडरो द्वारा सरकारी भवनो का अनधिकृत उद्देश्यों के लिए पुनर्विनियोजन करते हुए, प्रत्यायुक्त शक्तियों के दुरुपयोग का उल्लेख किया गया था। 2008 के प्रतिवेदन संख्या 4 के कार्यवाही नोट में रक्षा मंत्रालय ने लेखापरीक्षा नतीजों के साथ सहमति जताई और अक्टूबर 2011 में पुष्टी की कि संबंधित भवन को महिला छात्रवास द्वारा खाली करवा दिया गया है तथा स्थानीय सैन्य अधिकारियों को हस्तांतरण कर दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा संबंधित विषय पर जारी किए गए निर्धारित विनियम एवं निर्देशों तथा सी. ए. जी. द्वारा नियमित जारी पैरों के बावजूद हमने आगे भी स्थानीय कमांडरो द्वारा निर्धारित विनियम की सकल उपेक्षा करते हुए अनधिकृत उद्देश्यों के लिए पुनर्विनियोजन करते हुए सैन्य संपत्तियों के अनधिकृत उपयोग को निम्नलिखित मामलों में देखा:

मामला-1

मार्च 2007 में, मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र, द्वारा आहूत बोर्ड आफ आफिसर्स की सिफारिशों के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने रोगियों एवं उनके परिचारकों के ठहरने के लिए बेस हास्पिटल (बी. एच.) दिल्ली कैंट के नजदीक 20 अधिकारियों 20 कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी (जे.सी.ओ) और 60 अन्य श्रेणी (ओ.आर.)के परिवर्ती आवास के लिए विशेष कार्य को ₹4.40 करोड़ की अनुमानित लागत पर संस्वीकृति प्रदान की। परन्तु जब 3 ब्लाकों का कार्य अपनी समाप्ति पर था, तब जनवरी 2011 में स्टेशन मुख्यालय दिल्ली छावनी ने, पहले से पुराने बी,एच,बैरक में चलते आ रहे सेना बाल छात्रावास (ए.बी एच)को समायोजित करने के लिये 3 मे से 2 ब्लाकों के पुनर्विनियोजन के मामले की शुरूवात की। ए.बी.एच की शुरूवात वर्ष 2000 मे मुख्यालय दक्षिणी कमान के निर्देशों पर सभी रैंकों के वार्डों के लिए की गई थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उच्च शिक्षा/ व्यवसायिक योग्यता वाले पाठ्यक्रम की पढाई कर रहे थे।

परिवर्ती आवास का कार्य ₹4.98 करोड़ की लागत पर 28 फरवरी 2011 मे समाप्त हुआ। जुलाई 2011 में जनरल आफीसर कमांडिंग (जी.ओ.सी.) मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र ने जे.सी.ओ एवं ओ.आर के परिवर्ती आवास के लिए 2 ब्लाकों की अस्थाई पुनर्विनियोजन की संस्वीकृति एक वर्ष के लिए (जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011) तक ए.बी.एच के रूप मे उपयोग के लिए इस आधार पर प्रदान की, कि बी.एच. की लोकेशन प्लान अपनी मौजूदा क्षेत्र से अलग क्षेत्र में कायम होने की संभावना थी, अतः नए बने हुए परिवर्ती आवासों को इष्टतम उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। पुनर्विनियोजन की संस्वीकृति को आगे भी जी.ओ. सी दिल्ली क्षेत्र द्वारा

जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012 एवं जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 के लिए नवीकृत किया गया ।

परिवर्ती आवास के तीसरे ब्लाक का उपयोग उपशामक सावधानी केंद्र (पी.सी.सी.) के रूप में किया जा रहा था जो एडजुस्टेंट निधि से एक गैर सरकारी संस्थान द्वारा स्थापित किया गया था। 12 जुलाई 2011 एवं 31 अगस्त 2012 के बीच, पी.सी.सी., बी. एच. दिल्ली छावनी और ग्लोबल कैंसर कन्सर्न के एक एम.ओ.यु के तहत आवधिक रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिए कार्य कर रहा था। अंततः बी.एच.दिल्ली छावनी ने सितम्बर 2012 से पी.सी.सी. का प्रबंधन संभाल लिया था।

इस प्रकार रोगियों एवं उनके परिचारकों की सुविधा के लिए ₹4.98 करोड़ की लागत वाले समूचे आवास का अनधिकृत उद्देश्यों लिए उपयोग किया जा रहा था तथा रोगियों/ परिचारकों जिनके लिए सरकार ने विशेष मामले के अर्न्तगत आवास स्वीकृत किया था को बैरकों, मेस और गेस्ट रूम में ठहराया जा रहा था।

मामला-2

₹49.49 लाख की लागत वाले पुणे छावनी में, 1302.43 वर्ग मीटर में बने हुए एक सरकारी भवन को वास्तविक तौर पर विवाहित आवास के अलावा एक इन्फैन्ट्री बिग्रेड के जूनियर कमीशन्ड मैस के तौर पर किया गया था। ये भवन एवं इसके साथ 2003-04 के दौरान बने हुए 2 भवनों को एक 'आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसियेशन' (अ.व.व.आ) एक गैर सरकारी संस्थान द्वारा जून 2004 से लडकियों के हास्टल के रूप में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया। 'अ.व.व.आ गर्ल्स के हास्टल' नए स्थान किरकी मे स्थानांतरण के पश्चात सितम्बर 2005 से वहाँ पर 'दक्षिणी कमान बायज हास्टल' के नाम से एक लडकों का हास्टल चलने लगा।

अप्रैल 2007 और फिर अप्रैल 2008 में मामले को हमने सरकारी मकानों को अनाधिकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के संबध में मुख्यालय दक्षिणी कमान (एस.सी) एवं मुख्यालय पुणे सब एरिया (पी.एस.ए.) के सम्मुख प्रस्तुत किया। जुलाई 2008 में मुख्यालय पी.स.ए ने कहा कि मकान के पुनर्विनियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से कार्योपरांत संस्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी एवं लाइसेंस फीस की वसूली के लिए बोर्ड आफ आफिसर्स को भी आहुत कर दिया गया था।

यह उत्तर कि पुनर्विनियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पुनर्विनियोजन संस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि रक्षा मंत्रालय से नियमों के अनुसार पुनर्विनियोजन संस्वीकृति प्राप्त करने के बजाए संस्वीकृति स्टेशन कमांडर, पुणे से मई 2007 में प्राप्त की गई थी।

अतः विशिष्ट सरकारी आदेशों एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों में इन गंभीर अनियमितलाओं को दर्शाने के बावजूद स्थानीय कमांडरों द्वारा बिना रक्षा मंत्रालय से संस्वीकृति प्राप्त किए हुए अपनी प्रत्यायुक्त शाक्तियों का दुरुपयोग सरकारी भवनों को अनाधिकृत उद्देश्यों के लिए पुनर्विनियोजन करने के लिए किया गया जो कि विस्तारपूर्वक जाँच और उपयुक्त कार्यवाही की माँग करता है।

3.7 लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियाँ, बचतें एवं लेखाओं में समायोजन किया जाना

हमारी टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 68.94 करोड़ के शुद्ध प्रभाव युक्त वेतन एवं भत्तों, विविधि प्रभारों, विद्युत एवं किराया प्रभारों के भुगतानाधिक्य की वसूली की, अनियमित निर्माण संस्वीकृतियों को निरस्त किया तथा वार्षिक लेखाओं को संशोधित किया।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने अनियमित भुगतान, शुल्कों की वसूली कम/न होने अनियमित संस्वीकृतियों को जारी करने तथा लेखांकन अशुद्धियों के कई उदाहरण देखे। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्य करते हुए, लेखापरीक्षित इकाइयों ने उपचारात्मक कार्रवाई की, जिसका शुद्ध प्रभाव संक्षेप में निम्नवत् है:

वसूलियाँ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा सैन्य अभियंता सेवाएं (एम.ई.एस), वेतन एवं लेखा कार्यालयों, कैंटीन भंडार विभाग (सी.एस.डी.) मुख्यालय तथा सीमा सड़क संगठन के दस्तावेजों की जांच में ₹ 7.04 करोड़ के वेतन एवं भत्तों, विविध प्रभारों के अनियमित भुगतान, रक्षा कार्मिकों (अधिकारी, कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा अन्य श्रेणी) से विद्युत के नियत प्रभारों की तथा किराए व संबंध प्रभारों की वसूली न होना इत्यादि प्रकट हुए। इंगित किए जाने पर संबंधित इकाइयों ने अनियमित भुगतानों की वसूली की/करने को सहमत हुई।

बचतें

विभिन्न संस्वीकृति प्रदत्त प्राधिकरणों जैसे कि रक्षा मंत्रालय, सेना के क्षेत्र/उप-क्षेत्र मुख्यालय, स्टेशन मुख्यालयों, कोर मुख्यालयों इत्यादि ने निर्माण कार्यों की अनियमित प्रशासनिक अनुमतियां निरस्त की। कुछ एम.ई.एस. अधिकारियों ने अपने द्वारा कार्याधीन निर्माण कार्यों के संबंध में कमी विवरणियां जारी करके प्रशासनिक अनुमति राशि को कम किया। इन कार्रवाइयों के शुद्ध परिणामस्वरूप कुल ₹ 42.57 करोड़ की बचत हुई।

वार्षिक लेखाओं में संशोधन

हमारे लेखापरीक्षा में अनियमित लेखांकन जैसे कि शेष भंडार का अधिमूल्यांकन, दायित्वों के प्रति अपर्याप्त प्रावधान, राज्य सरकारों से प्राप्य राशि का अल्पांकन इत्यादि के उद्घरण इंगित करने पर सी.एस.डी. मुख्यालय ने वार्षिक लेखाओं में सुधार किया। इन सुधारों के अभाव में लाभाधिक्य तथा विभिन्न देनदारों का अल्पांकन हो गया होता। इन सुधारों का शुद्ध प्रभाव ₹ 19.33 करोड़ था।

अध्याय IV : कार्य एवं सैन्य अभियंता सेवाएँ

4.1 सशर्त संविदा की स्वीकृति से ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

मुख्य अभियंता दिल्ली क्षेत्र ने सैन्य अभियंता सेवाओं के नियमों का उल्लंघन करते हुए, बिना सरकारी स्वीकृति के एक अनिश्चित दायित्व वाले सशर्त संविदा का निष्पादन किया जिसके कारण ठेकेदार को ₹1.03 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

मुख्य अभियन्ता, दिल्ली क्षेत्र (सी.ई.डी.जी.) के एक सशर्त निविदा की स्वीकृति के कारण ठेकेदार को ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सैन्य अभियंता सेवाओं की नियमावली के पैरा 394 के अनुसार सभी संविदाओं में अनिश्चित दायित्व वाले एवं असामान्य शर्तों वाले प्रावधान शामिल नहीं करने चाहिए। तथापि, अगर संविदाओं में इन उपबन्धों का सम्मिलित करना आवश्यक है, तब भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।

रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने सितम्बर 2004 में ₹ 31.78 करोड़ की अनुमानित लागत पर दिल्ली छावनी में सैन्य मैस एवं आडिटोरियम के प्रावधान के लिए स्वीकृति प्रदान की। सी.ई.डी.जी. ने सितम्बर 2004 में ₹ 21.37 करोड़ की अनुमानित लागत की स्वीकृति पर सिविल कार्यों के लिए निविदाओं का आमंत्रण दिया। जनवरी 2005 में पहली काल में प्राप्त निविदाओं में ₹ 48.03 करोड़ की न्यूनतम बोली अनुचित रूप से अधिक होने के कारण, अस्वीकृति हो गई थी। अप्रैल 2005 में दूसरी काल के अंतर्गत संशोधित विनिर्देशन के साथ निविदाओं को जारी किया गया एवं मैसर्स क्रेटक इन्जीनियर बिल्डर्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के ₹ 38.44 करोड़ की न्यूनतम निविदा को उचित माना गया। निविदा का प्रस्ताव 60 दिनों के लिए, यानि 06 सितम्बर 2005 तक वैध था।

चूंकि न्यूनतम निविदा की राशि संविदा स्वीकृति के लिए उपलब्ध राशि से अधिक थी, सी.ई.डी.जी. ने एम.ओ.डी. से वित्तीय सहमति प्राप्त करने के लिए 28 जुलाई 2005 को मामला उठाया। नवम्बर 2005 में एम.ओ.डी. ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया एवं मामले को स्वीकृति विनिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के बाजारी उतार चढ़ाव के अनुसार लागत के संशोधन के लिए आगे प्रस्तावित किया। इसी बीच कंपनी ने सी.ई.डी.जी. के आग्रह पर अपने निविदा की वैधता को दिसम्बर 2005 तक के लिए आगे बढ़ा दिया।

बाद में 17 मार्च 2006 को ₹ 44.18 करोड़ की अनुमानित लागत पर एम.ओ.डी. द्वारा कार्य के लिए संशोधित स्वीकृति दी गई। चूंकि तब तक निविदा की वैधता समाप्त हो चुकी थी, सी.ई.डी.जी. ने निविदादाता को वैधता को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा। निविदादाता ने निविदा की वैधता को 25 मार्च 2006 तक बढ़ाने के साथ सी.ई.डी.जी. को सिमेंट के असामान्य मूल्य वृद्धि की बाबत अनुकूल प्रतिक्रिया रखने का आग्रह किया। निविदादाता की सिमेंट के असामान्य मूल्य वृद्धि पर अनुकूल प्रतिक्रिया रखने के आग्रह की बात को ना काटते हुए सी.ई.डी.जी. ने 22 मार्च 2006 को ₹ 38.27 करोड़ की कुल लागत पर ठेका स्वीकृत कर लिया। कार्य अप्रैल 2006 में शुरू हुआ एवं दिसम्बर 2010 में पूर्ण हो गया। तथापि, संविदा के चालू रहने के दौरान सिमेंट में मूल्य वृद्धि के कारण प्रस्तुत किए गए पुनःअदायगी के दावों की रकम सी.ई.डी.जी. द्वारा नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पार्टियों में मतभेद हो गया। इसलिए मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया।

नवम्बर 2008 में प्रमुख अभियंता शाखा, नई दिल्ली (ई.इन.सी.ब्राच) द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ, ने कहा (अगस्त 2009) कि सी.ई.डी.जी, ने ठेकेदार की चिट्ठी में बिना किसी संशोधन के, जो एक स्वीकार पत्र का हिस्सा भी बनता है, संविदा को स्वीकार कर लिया एवं ठेकेदार को ₹ 0.89 करोड़ प्रदान किए जो कि पहले से भुगतान की गई एस्केलेशन की रकम ₹ 15.90 लाख से अधिक था। यद्यपि सी.ई.डी.जी. मध्यस्थ के इस फैसले से सहमत नहीं था फिर भी वह 3 महीने के अन्दर आपत्ति जताने में असफल रहा। जनवरी 2009 में फाइल किए गए आपत्ति आवेदन विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थना को अदालत ने बर्खास्त कर दिया। तदनानुसार, सी.ई.डी.जी. ने ठेकेदार को ₹1.03 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें ₹0.14 करोड़ का ब्याज सम्मिलित था जो कि भुगतान को समय पर नहीं किए जाने के कारण लगाया गया था।

ड्राफ्ट पैराग्राफ को जनवरी 2013 में मंत्रालय भेजा गया था, उनका उत्तर अगस्त 2013 में प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने उत्तर में कहा कि मध्यस्थ ने ठेकेदार की चिट्ठी की गलत व्याख्या की। ठेकेदार ने केवल सिमेंट में मूल्य वृद्धि के कारण अनुकूल प्रतिक्रिया रखने का आग्रह किया था जो कि काट्रेक्ट एक्ट के शर्तों के अनुसार पूर्ण नहीं था।

ठेकेदार के चिट्ठी की गलत व्याख्या को लेकर मंत्रालय का आश्रय स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार अगर सी.ई.डी.जी. को भुगतान अस्वीकार्य था तो उन्हें नियमानुसार आपत्ति जतानी चाहिए थी। तीन महीने के अंतराल के भीतर आपत्ति याचिका नहीं किये जाने के कारण अदालत ने याचिका को बर्खास्त कर दिया एवं सिमेंट में मूल्य वृद्धि के कारण ठेकेदार को ₹1.03 करोड़ का भुगतान किया गया।

अतःमामले से यह पता चलता है, कि सी.ई.डी.जी द्वारा आर.एम.ई.एस के पैरा संख्या 394 का उल्लंघन करते हुए अनिश्चित दायित्व वाले संविदा का निष्पादन किया गया जिसके कारण ठेकेदार को ₹ 1.03 करोड़ का अदेय भुगतान किया गया।

4.2 खराब योजना के परिणामस्वरूप कार्य का निलंबन और सरकारी सम्पत्ति का नुकसान

₹9.04 करोड़ कीमत की भूमि का अधिग्रहण, बिना किसी सहायक मार्ग के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया जो ₹3 करोड़ की लागत के उपरांत निर्माण कार्य के निलम्बन में परिणित हुआ। इससे उत्पन्न सम्पत्ति को ₹37 लाख का नुकसान झेलना पडा एवं ₹1.87 करोड़ के निवारक कार्य को आवश्यक बना दिया।

इंजिनियर-इन-चीफ के स्थायी आदेशों (1995) के अनुसार किसी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अभियंता मूल्यांकन²³ में सभी विभिन्न पहलुओं के साथ निर्माण हेतु सहायक मार्ग की उपलब्धता को ध्यान में रखना होता है।

नवंबर 2007 में कटुआ, जम्मू -कश्मीर में सेना ने फारमेशन गोलाबारूद डंप²⁴ के निर्माण हेतु ₹9.04 करोड़ की लागत की 2063 कनाल और 2 मरला (257.887 ऐकड़) की भूमि का

²³ अभियंता मूल्यांकन को बनाने का उद्देश्य विचाराधीन परियोजनाओं की अभियांत्रिक समस्याओं, जो कि पूर्वभाषित हों, को उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना है। यह किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पहले किसी भी अभियांत्रिकी समस्याओं पर निर्णय लेने में सहायक है।

²⁴ फॉर्मेशन एमुनिशन डंप वह स्थान है जहाँ विभिन्न यूनितों का गोला बारूद ढका/खुला रखने का प्रावधान होता है।

अधिग्रहण किया। जबकि, सहायक मार्ग हेतु भूमि को चिन्हित एवं अधिग्रहित नहीं किया गया। अधिग्रहीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए से 7 किमी तक स्थित लंबी सहायक मार्ग जोकि 5.5 किमी तक पक्की सड़क थी, के द्वारा पहुँचा जा सकता था। बाकि 1.5 किमी कच्चा मार्ग, जोकि निजी भूमि पर था।

सितम्बर 2008 में, बोर्ड आफ आफिसर्स पठानकोट क्षेत्र के मुख्य अभियंता के प्रतिनिधियों ने अधिकृत भूमि की सीमा निर्धारण, सुरक्षा हेतु आंतरिक सड़क और परिमापीय बाडा, एवं सीमा स्तूप के निर्माण की संस्तुति की। जबकि मुख्य अभियंता के प्रतिनिधियों ने, अभियंता मूल्यांकन जो बोर्ड आफ आफिसर्स के कार्य का ही हिस्सा थी में कार्य स्थल तक उचित सहायक मार्ग की अनुपलब्धता को प्रकट नहीं किया।

फरवरी 2009 में क्वॉर्टर मास्टर जनरल, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) ने उपर्युक्त कार्य को ₹ 7.08 करोड़ की अनुमानित लागत पर संस्वीकृति दी। जुलाई 2009 में, मुख्य अभियंता ने, ₹ 5.68 करोड़ में ठेका किया, और कार्य का निष्पादन अगस्त 2009 में प्रारंभ हुआ। जून 2010 में, जब कार्य की प्रगति 40 प्रतिशत थी, गाँव के स्थानीय लोगो ने अपनी भूमि पर ठेकेदार के वाहनों और मशीनरी की आवाजाही का विरोध किया। विरोध के कारण ठेकेदार दिसम्बर 2010 से कार्य में प्रगति नहीं कर सका। कार्य की कुछ मद्दें जैसे निकास प्रणाली, नदीपथ, पुलिया/ ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण जो कार्य क्षेत्र में शामिल था, नहीं किया जा सका जिससे जुलाई/अगस्त 2011 में हुई भारी वर्षा के कारण सड़को एवं प्रतिधारक दीवारों को अत्यधिक नुकसान पहुँचा। नवंबर 2011 में अधिकारियों के तकनीकी मण्डल द्वारा नुकसान का मूल्य ₹37 लाख आंकलित था, एवं नुकसान की मरम्मत और आगे के नुकसान की उपचारात्मक उपायों के लिए ₹1.87 करोड़ की अतिरिक्त कीमत को भी संस्तुतित किया।

इसी बीच, अक्टूबर 2010 में, गाँव के स्थानीय लोगो के विरोध के कारण ठेकेदार ने संविदा को पहले ही समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जिसे विभाग द्वारा नामंजूर कर दिया गया। ठेकेदार ने इसके बाद मध्यस्थता खण्ड से आह्वान किया और दिसम्बर 2010 में इ-इन-सी ब्राँच द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने अपना अवार्ड दिसम्बर 2012 में दिया। अवार्ड के अनुसार ठेके को समाप्त कर दिया था और ठेकेदार को देयता दोष से इस आधार पर मुक्त कर दिया कि कार्य दिसम्बर 2010 से रूका हुआ था। आगे मुख्य अभियंता के कार्यक्षेत्र में सही सहायक मार्ग के निर्माण के उपरान्त बचे हुए कार्य हेतु एक नई संविदा के लिए निर्देश दिए गए। दिसम्बर 2010 तक कार्य की प्रगति का प्रतिशत 42 एवं बुक किया गया व्यय ₹3.00 करोड़ था।

आगे यह देखा गया (मई 2013) कि उपर्युक्त गोला बारूद डंप के निर्माण हेतु कार्य को वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक मुख्य कार्य योजना से हटाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि कार्य क्षेत्र अगम्य था और सहायक मार्ग हेतु भूमि का अधिग्रहण अभी भी किया जाना था।

मामला जनवरी 2013 में मंत्रालय को सौंपा गया। मंत्रालय ने अपने उत्तर में (मई 2013) कहा कि राज्य लोक निर्माण विभाग की सड़क पहले से ही गाँव मेहतापुर तक अस्तित्व में थी, जहाँ से 1.2 किमी लंबा कच्चा उपगमन मार्ग रक्षा भूमि से जोड़ता था। यह मार्ग पहले सामान्य उद्देश्यों हेतु प्रयोग में लाया जाता था। चूँकि सहायक मार्ग अस्तित्व में था, कार्य की संस्वीकृति दी गई। कार्य के कार्यान्वयन के दौरान गाँव के स्थानीय लोगो ने कच्चे मार्ग का प्रयोग किए जाने पर आपत्ति जताई और न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया।

उत्तर तथापि स्वीकार्य नहीं था, चूँकि स्थलाकृतिक सर्वेक्षण की लागत को ऑकने हेतु अगस्त 2007 में हुई बोर्ड ऑफ आफिसर्स की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अधिकृत भूमि को निजी और अन्य भूमि के माध्यम से ही जोड़ा जा सकता था और सहायक मार्ग हेतु लैंड पॉकेट को निश्चित करना तथा शीघ्र ही अधिकृत करना था।

अतः मुख्य अभियंता द्वारा बनाई खराब योजना के कारण गोलाबारूद डंप पर प्रस्तावित कार्य स्थगित करवाने के अलावा सरकारी सम्पत्ति को ₹37लाख का नुकसान हुआ। प्रतिबंधक कार्य हेतु राजकोष पर ₹1.87 करोड़ के अतिरिक्त भार को आवश्यक बना दिया। इसके अलावा सेना को भूमि अधिग्रहण पर ₹9.04 करोड़ और ₹3.00 करोड़ अधूरे कार्य पर व्यय होने के बावजूद डंप प्राप्ति हेतु परिचालन आवश्यकता से वंचित रहना पड़ा।

4.3 मीटर स्थापित न किये जाने के कारण परिहार्य अतिरिक्त खर्च

33 के वी की थोक बिजली आपूर्ति हेतु अनुबंधन में मुख्य अभियंता उधमपुर मण्डल द्वारा सैन्य अभियंता सेवाएँ (एम.ई.एस) प्राप्ति स्टेशन में मीटरिंग यूनिट का स्थापित करना आवश्यक था। ऐसा न किए जाने पर न सिर्फ आंकी गई खपत पर अदायगी देनी पड़ी जो कि बढ़ गई थी, बल्कि एम.ई.एस को ऊर्जा की छूट से भी वंचित होना पड़ा। परिणामस्वरूप, एम.ई.एस को ₹8.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

मार्च 2008 में, एम ई एस प्राप्ति स्टेशन उधमपुर में पाँच वर्ष की अवधि के लिए 33 के वी थोक बिजली आपूर्ति हेतु मुख्य अभियंता, उधमपुर मण्डल (सी.ई.) ने जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विभाग (जे के एस ई डी) के साथ अनुबंध किया। थोक आपूर्ति हेतु मूल्य दर स्वीकृति शुल्क दर के अनुसार थी, जोकि जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत नियंत्रण आयोग (जे के एस आर ई सी) द्वारा समय-समय पर आगे के संशोधन के अधीन थी। अनुबंध की शर्त निर्धारित करती है कि आपूर्ति मीटर द्वारा पंजीकृत की जाए जोकि आपूर्तिकर्ता द्वारा मासिक किराए दर पर उपलब्ध कराया जाए। यदि आपूर्तिकर्ता मीटर उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है तो उपभोक्ता को स्वयं ही मीटर उपलब्ध करवाना होगा और इस स्थिति में कोई भी किराया नहीं वसूला जाएगा। अनुबंध यह भी स्पष्ट करता है कि यदि मीटर अपरिचालित हो जाता है, तब ऊर्जा की आपूर्ति आंकलन पिछले तीन माह की रीडिंग से की जाएगी।

हमने अवलोकन (फरवरी 2012) किया कि इस तथ्य के बावजूद कि मीटर की आवश्यकता अनुबंध में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी, और उसी को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदारी भी स्पष्ट शब्दों में विनिर्दिष्ट की गई, बावजूद इसके सी.ई. ने मीटर स्थापित नहीं किया। मीटर प्रतिस्थापित करने के लिए मामले की शुरूवात दुर्ग अभियंता (यूटिलिटी) द्वारा नवम्बर 2010 में यानि की अनुबंध की आधे से भी अधिक अवधि के समाप्त होने के बाद की। यद्यपि दुर्ग अभियंता द्वारा यह मुद्दा फरवरी 2011 और सितम्बर 2011 में भी अनुसरण किया गया परंतु जे के एस ई डी द्वारा मीटर उपलब्ध नहीं कराया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर (फरवरी 2012) दुर्ग अभियंता ने अपने स्वयं के मीटर हेतु प्रावधान के मामले को प्रस्तावित किया, जोकि ₹1.52 लाख की कीमत पर नवम्बर 2012 में प्रतिष्ठापित किया गया। मार्च 2008 और नवम्बर 2012 के बीच मीटर की गैर मौजूदगी में जे के एस ई डी ने एम.ई.एस. से आंकलित खपत का मूल्य वसूला, जो कि बहुत बढ़ा हुआ था। दिसम्बर 2012 से आगे विद्युत व्यय हेतु कीमतें वास्तविक खपत पर लगाई गई थी। दिसम्बर 2012 से जुलाई 2013 तक विद्युत की औसत वास्तविक खपत केवल 781973 यूनिट थी, जबकि मार्च 2008 और नवम्बर 2012 के बीच जे के एस ई डी ने एम.ई.एस. से आंकी गई खपत जोकि 840000 से

1866550 यूनिट थी की कीमत वसूली। अतः एम.ई.एस. को उनके प्राप्ति स्टेशन पर मीटर के स्थापित न किए जाने के कारण अतिरिक्त यूनिट्स हेतु कीमत अदा करनी पड़ी। मार्च 2008 से नवम्बर 2012 तक वास्तविक औसत खपत से अधिक विद्युत यूनिट्स हेतु ₹8.04 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय आंकलित हुआ।

आगे जे के एस आर ई सी द्वारा अधिसूचित शुल्क के अनुसार 11 केवी एवं 33 केवी के लिए क्रमशः 2.5 और 5 प्रतिशत की दर पर ऊर्जा छूट राज्य एवं केंद्र सरकार रक्षा एवं अर्द्ध सेना बल, के विभागों के लिए लागू थी। जबकि 5 प्रतिशत की छूट केवल करंट ट्रांसफार्मर/ पोटैशियल ट्रांसफार्मर (सी टी/पी टी) के प्रतिष्ठान उपरांत ही लागू थी जो मीटर यूनिट का एक भाग बनाती थी। चूंकि मीटर और सी टी/पी टी नवम्बर 2012 तक प्राप्ति स्टेशन में प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे, जे के एस ई डी ने केवल 2.5 प्रतिशत की छूट ही प्रदान की। जिसके परिणामस्वरूप छूट की राशि जो ₹0.79 करोड़ के बराबर थी प्राप्त नहीं की जा सकी। दिसम्बर 2012 में मीटर और सी टी/पी टी के प्रतिष्ठान के उपरांत कुल ऊर्जा दरों पर 5 प्रतिशत की छूट जे के एस ई डी द्वारा दी गई थी।

अतः मामले ने मुख्य अभियंता की तरफ से जे के एस ई डी से अनुबंध के अधीन सरकारी हित की रक्षा न होने की विफलता को उजागर किया जिसके परिणामस्वरूप ₹8.83 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

मामला अप्रैल 2013 में मंत्रालय को प्रस्तावित किया गया, उनका उत्तर (नवम्बर 2013) प्रतीक्षित था।

4.4 ठेकेदारों को वृद्धि प्रभार का अस्वीकार्य भुगतान

मुख्य अभियंताओं ने इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर जो रक्षा निर्माण कार्य प्रक्रिया के प्रावधानों के विरुद्ध थे, निविदा प्रलेखों में मूल्य परिवर्तन खण्ड को सम्मिलित करते हुए निर्माण संविदाएँ की जिसके कारण ठेकेदारों को अस्वीकार्य भुगतान किए गए।

निर्माण प्रक्रिया (डी.डब्ल्यू.पी.) 2007 का पैरा 29 (जी), उल्लेख करता है कि उस स्थित में जब कार्य समाप्ति का निर्धारण दो वर्ष के भीतर होना है तो संवैधानिक वृद्धि के सिवाए कोई भी वृद्धि ऐसे कार्य के कार्यान्वयन हेतु संविदाओं में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ऐसे कार्यों के अनुमानित प्राक्कलन (ए.ई.) भी उसी प्रकार बनाए जाएंगे। डी डब्ल्यू पी के पैरा 58(बी) के अनुसार, ऐसे कार्यों की ए.ई. इस प्रकार बनाई जाएगी ताकि दो वर्षों की वृद्धि रूपरेखित हो जाए। तथापि संविदा में संवैधानिक वृद्धि के सिवाए कोई भी वृद्धि खण्ड सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

डी.डब्ल्यू.पी. की नियमावली के विपरीत, इंजीनियर-इन-चीफ (इ इन सी) ने निम्न फोरमेशनों को संविदाओं में वृद्धि खण्ड को सम्मिलित करने हेतु निर्णयों को लेने की अनुमति हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जो इस बात पर निर्भर करता था कि वृद्धि घटक दो वर्ष या उससे कम अवधि में पूर्ण होने वाले कार्य की ए.ई. में सम्मिलित है या नहीं। इन स्पष्टीकरणों के प्रकाश में, निविदा प्रलेखों में वृद्धि खण्ड को सम्मिलित करते हुए मुख्य अभियंता (सी ई) ने ऐसे कार्य करने के लिए अनुबंध स्वीकार किया जिनकी समाप्ति की संभावित तिथि दो वर्ष तक थी। तथापि नवम्बर 2011 में, इ-इन.सी. ने महानिदेशक रक्षा लेखा (अक्टूबर 2011) द्वारा उठाई

गई आपत्तियों के आधार पर अपने पूर्व निर्णयों को बदल दिया और सभी निम्न फोरमेशनों को यह निर्देश दिया कि जिन कार्यों की समाप्ति की संभावित तिथि दो वर्ष या उससे कम थी उन कार्यों, वृद्धि खण्ड को सम्मिलित न किया जाए। वृद्धि हेतु भुगतान के नियमन के लिए जो पहले से ही ठेकेदारों को दे दी गई थी, आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया।

लेखापरीक्षा जाँच (मार्च/ अप्रैल 2012) में उजागर हुआ कि 2008-09 और 2010-11 के बीच केंद्रीय, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों में तीन मुख्य अभियंताओं ने आठ विभिन्न कार्यों जिनकी समाप्ति की संभावित तिथि दो वर्ष या उससे कम थी, में वृद्धि खण्ड को सम्मिलित करते हुए आठ संविदाओं को स्वीकृत किया जिसमें ठेकेदारों को वृद्धि भुगतान के ₹1.39 करोड़ सम्मिलित थे। आठ कार्यों में से दो कार्यों में वृद्धि के तत्व को स्पष्टता से ए.ई. में एक मद के रूप में सम्मिलित किया था। शेष 6 कार्यों में, वृद्धि के तत्व को ए.ई में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया था। इ.इन.सी. ने (अप्रैल 2012) वृद्धि हेतु भुगतान के नियमन के लिए जो पहले से ही ठेकेदारों को दे दी गई थी अपने (नवम्बर 2011) पूर्व निर्णय को यह कह कर रद्द कर दिया था कि मई 2008 में जारी स्पष्टीकरण केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए था ताकि आरम्भिक समस्याओं को टाला जा सके, न कि ये रोजमर्रा की घटना के लिए जबकि डी डब्ल्यू पी- 2007, 21 जून 2007, से प्रभाव में आया

अतः मामले ने यह उजागर किया कि डी डब्ल्यू पी के पैरा 29 (जी) और 58(बी) जो दो वर्ष या कम में समाप्त होने वाले कार्यों के निष्पादन में वृद्धि खण्ड की अनुमित नहीं देता है, का उल्लंघन करते हुए मुख्य अभियंताओं ने वृद्धि खण्ड को सम्मिलित करते हुए उन कार्यों को स्वीकृत किया जिनकी समाप्ति की संभावित तिथि दो वर्ष या उससे कम थी। इसके परिणामस्वरूप तीन मुख्य अभियंताओं द्वारा स्वीकृत संविदाओं के अधीन ₹1.39 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया। आगे नियमन के लिए उपर्युक्त निर्देशों के पूर्व निर्णय को रद्द करने की इ.इन.सी की कार्यवाही अस्वीकार्य भुगतान को सत्यापित करती है जिसके लिए विस्तृत जाँच और उचित कार्यवाई की आवश्यकता है।

यह मामला मंत्रालय को मई 2013 में सौंपा गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित (नवम्बर 2013) था।

अध्याय V: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

5.1 उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय

निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया के उल्लंघन तथा मेसर्स आई टी आई को उच्चतर मूल्य में बाह्य स्रोत द्वारा कार्य निष्पादन करने के कारण उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा ₹2.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006 में उल्लिखित है कि गैर - मालिकाना मदों के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी. एफ. ए.) के अनुमोदन से एकल निविदा प्रणाली को केवल तभी अपनाया चाहिए, जब एक से अधिक अवसरों पर सीमित निविदा के बावजूद एक ही उत्तर प्राप्त हुआ हो।

उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने उच्च निष्पादन संगणन एवं अनुसंधान केंद्र (सी.एच.आई.टी.आर.ए.) परियोजना के अंतर्गत एक 384 नोड लिनक्स क्लस्टर प्रणाली का डिजाइन एवं विकास किया, जिसे 2007 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के रेपिड ऑनलाइन नेटवर्क एक्सेस (डी.आर.ओ.एन.ए.) नेटवर्क द्वारा सभी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रयोगशालाओं के साथ जोड़ा गया। डी.आर.ओ.एन.ए. नेटवर्क की कम गति सीमा के कारण उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा इस प्रणाली को उन्नत करने का प्रस्ताव दिया गया (मार्च 2010) क्योंकि आंकड़ों को अत्यधिक मात्रा में अंतरित नहीं किया जा सकता था। तदनुसार उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने परम संगणन सुविधा के साथ 300 संगठन नोडों को सम्मिलित करके ₹ 14.50 करोड़ की अनुमानित लागत से विद्यमान (सी.एच.आई.टी.आर.ए.) सुविधा को उन्नत करने का प्रस्ताव दिया (जून 2010)।

विद्यमान प्रणाली (सी.एच.आई.टी.आर.ए.) को मेसर्स आई टी आई लिमिटेड, हैदराबाद (आई.टी.आई) द्वारा 2007 में खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए संस्थापित किया गया था। चूंकि आई टी आई ने विद्यमान प्रणाली का सफलतापूर्वक एकीकरण और रखरखाव किया था, इसलिए उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने बेजोड़ उन्नयन के लिए केवल आई टी आई के द्वारा एकल निविदा के आधार पर उन्नयन का प्रस्ताव दिया।

सितम्बर 2010 में एक निविदा पूछताछ के उत्तर में आई टी आई ने उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग में (सी.एच.आई.टी.आर.ए.) संगणन सुविधा के उन्नयन हेतु ₹ 17.50 करोड़ का मूल्य बताया। तथापि, निविदा क्रय समिति (टी पी सी) ने इन दरों को अधिक माना और बातचीत द्वारा मूल्य को ₹16.38 करोड़ में तय किया।

महानिदेशक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ₹ 16.38 करोड़ के लिए दिसंबर 2010 में वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की तथा उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने ₹ 16.38 करोड़ की लागत में आई टी आई को आपूर्ति आदेश दिया। प्रारंभ में सुपूर्दगी, 17 जून 2011 तक पूरी की जानी थी, जिसे बाद में 17 अक्टूबर 2011 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि फर्म ने सितंबर 2011 से नवंबर 2011 तक प्रणाली की अंशतः आपूर्ति की ।

जनवरी 2012 में हमारी संवीक्षा से पता चला कि आई टी आई ने इस संपूर्ण कार्य को बाह्य स्रोत के माध्यम से किया था तथा ₹14.26 करोड़ की लागत पर मेसर्स रियल टाइम टेक सोल्यूशन, बेंगलूर (आर टी टी एस) को उसी कार्य के लिए आपूर्ति आदेश दे दिया। मेसर्स आर टी टी एस, उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा अनुबंधित निबंधन व शर्तों पर इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर विकास तथा कंप्यूटरों की आपूर्ति के लिए उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग के साथ पंजीकृत था।

जनवरी 2012 में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने आई टी आई को दिए आपूर्ति आदेश को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया कि उनके द्वारा विद्यमान प्रणाली की स्थापना, एकीकरण तथा रखरखाव सफलतापूर्वक किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने कहा कि उपरोक्त कार्यों के लिए बहुविध सुविज्ञता आवश्यक थी, जिसमें उच्चगुणवत्ता वाले सर्वरों का विन्यास, कार्यक्षम शीतलन प्रणालियों का डिजाइन और इष्टतम विद्युत वितरण का डिजाइन सम्मिलित थे और आई टी आई के पास इसके लिए आवश्यक सुविज्ञता थी। इसके अतिरिक्त उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने फरवरी 2013 में कहा कि मेसर्स आई टी आई द्वारा आर टी टी एस को दिए उप संविदा के संबंध में वे अवगत नहीं थे और केवल अप्रैल 2011 में इसके बारे में अवगत हुए थे। तथापि उनका यह कथन वस्तुतः गलत था, क्योंकि आर टी टी एस के प्रतिनिधि समेत आई टी आई के विक्रेता सहयोगियों के प्रतिनिधि दिसंबर 2010 में आई टी आई की ओर से मूल्य वार्तालाप समिति/ निविदा क्रय समिति (पी.एन.सी./टी.पी.सी) की बैठक में भाग लेने के लिए नामांकित थे।

इसके अतिरिक्त हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि संविदा के निष्पादन में आई टी आई केवल व्यापक पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था और संस्थापन एवं चालूकरण सहित संपूर्ण प्रणाली को आर टी टी एस को बाह्य स्रोत के माध्यम से किया गया था। आई टी आई ने नलसाजी और यांत्रिक कार्य सहित डाटा सेंटर डिजाइन, विद्युत और शीतलन प्रणाली के लिए कार्य के बाह्य स्रोत के माध्यम के द्वारा बिना किसी मूल्यवर्धन के ग्राहक क्रयदेश पर 8 प्रतिशत शुद्ध लाभ ₹1.24 करोड़ तक प्राप्त किया था।

यह मामला दिसम्बर 2012 में मंत्रालय को भेजा गया तथा मंत्रालय ने उत्तर में अक्टूबर 2013 में कहा कि उन्नयन कार्य हेतु आई टी आई के साथ आर टी टी एस की साझेदारी और तृतीय पार्टी से काम कराने की व्यवस्था के संबंध में उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग अवगत नहीं था। यह उत्तर वस्तुतः गलत है, क्योंकि आर टी एस के प्रतिनिधि समेत आई टी आई के विक्रेता सहयोगी मूल्य वार्तालाप समिति/निविदा क्रय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए नामांकित थे।

इस प्रकार इस मामले से पता चला कि उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग अपने विक्रेता बेस में पंजीकृत अन्य विक्रेताओं से खुली निविदाएं मांगने की बजाय एकल निविदा का आश्रय लेने से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अधिप्राप्ति प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने परिणामस्वरूप उच्चतर मूल्य में आई टी आई को संपूर्ण कार्य का निष्पादन करने दिया, जिसके कारण ₹ 2.12 करोड़ की अतिरिक्त खर्चा हुआ।

5.2 सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर की अवांछनीय अधिप्राप्ति

उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा केन्द्रीय रूप से ₹11.05 करोड़ के सी ए टी आई ए वी 6 सी ए डी/ सी ए एम साफ्टवेयर की 12 लाइसेंस में से दस की अधिप्राप्ति अवांछनीय सिद्ध हुई, क्योंकि उचित साधन-शोध/ आवश्यकता विश्लेषण के अभाव में उक्त साफ्टवेयर मार्च 2011 में इसकी अधिप्राप्ति से लगातार अप्रयुक्त रहा। तीन लाभान्वित प्रयोगशालों द्वारा विभिन्न साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति पर उनकी गतिविधियाँ व्यवस्थित करने हेतु केन्द्रीय साफ्टवेयर की उपलब्धता के बावजूद ₹1.38 करोड़ का व्यय किया गया।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाएँ इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली, नौ सेना प्रणाली, सोनार प्रणाली, रेडार प्रणाली, ऐयर फ्रेम, वायुयान इंजनों, युद्ध वाहनों एवं मिसाइलों के डिज़ाइन आदि में सी ए डी²⁵/ सी ए एम²⁶ की सुविधाओं को बड़े पैमाने पर प्रयोग में ला रहे हैं। डी आर डी ओ मुख्यालय की सलाह पर उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग ने सितम्बर 2010 में सी ए डी/ सी ए एम साफ्टवेयर के केंद्रीय प्रयोग पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं के विचार जानने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसके उपरांत सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर मैसर्स डससॉल्ट प्रणालियों द्वारा विकसित एक मल्टी प्लैट फार्म सी ए डी/ सी ए एम व्यवसायिक साफ्टवेयर सूट, जो उन्नत प्रणाली सिमुलेशंस को समर्थ बनाता है, साफ्टवेयर के तौर पर प्रयोग हेतु पहचाना गया।

कार्यशाला में, प्रयोग में आने वाली 12 प्रयोगशालाओं जिन्हें साफ्टवेयर का इस्तेमाल करना था, को भी पहचाना गया। उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग को सी एच आई टी आर ए में जोकि एक सुपरकम्प्यूटिंग सुविधा है के अन्तर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नेटवर्क डी. आर. ओ. एन. ए. पर इस साफ्टवेयर पर प्रयोग हेतु सुविधा के लिए साफ्टवेयर का केन्द्रीय रूप में संचालित करने के केंद्रक अभीकरण की तरह कार्य करना था।

उसके बाद फरवरी 2011 में उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा आवश्यकता का पुनः आंकलन किया गया और दस उपयोगकर्ता पहचाने गए थे, जिसमें 6 उपयोगकर्ता जो वास्तविक रूप में और 4 नए उपयोगकर्ताओं को सम्मिलित किया गया। यद्यपि केवल दस उपयोगकर्ताओं को ही पहचाना जा सका, उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर के 12 लाइसेंसों की होस्टिंग सर्वर सहित मैसर्स डससॉल्ट सिस्टमस पर एकल निविदा आधार पर अधिप्राप्ति हेतु प्रस्तावित किया।

25 मार्च 2011 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय से वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने 12 उपयोगकर्ता के साथ सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर की आपूर्ति हेतु उसी दिनांक को मैसर्स डससॉल्ट प्रणाली प्राइवेट लिमिटेड को संस्थापन और मंजूरी की दिनांक से तीन वर्षों की वारंटी के साथ ₹11.05 करोड़ की लागत से आपूर्ति आदेश दिया। 30 मार्च 2011 को साफ्टवेयर का संस्थापन, निरीक्षण और स्वीकरण हुआ।

लेखापरीक्षा जाँच (जनवरी 2012) से यह उजागर हुआ कि सी ए डी/ सी ए एम साफ्टवेयर की विभिन्न उपयोगकर्ता प्रयोगशालाओं में वर्तमान उपलब्धता और विशिष्ट अतिरिक्त प्रकार्यों के आधार जैसा कि विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर की प्राप्ति से अपेक्षित थे, बिना किसी उचित व्यवहारिकता अध्ययन/ आवश्यक विश्लेषण के अधिप्राप्ति की

²⁵ कम्प्यूटर एडिड डिजाईन।

²⁶ कम्प्यूटर एडिड मैनुफैक्चरिंग।

गई। उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा प्रक्रमणित सी ए टी आई ए साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति हेतु मामले का विवरण साफ्टवेयर में उपलब्ध विभिन्न विस्तृत रूपों की आम धारणा पर आधारित था, नाकि प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा वर्णित विशिष्ट आवश्यकता पर। आगे ऐसा कुछ भी ज्ञातय प्रमाण नहीं था, जो यह संकेत करे कि अन्य कौनसे सी ए डी/सी ए एम साफ्टवेयर उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा विशिष्ट कार्यपरिमाण पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की आवश्यकता हेतु सी ए टी आई ए वी 6 को सी ए डी/सी ए एम टूल के रूप में चुने जाने से पहले विचार किए गए।

हमने यह भी पाया (जनवरी 2012) की यद्यपि उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग ने अपने आप ही मार्च 2011 में साफ्टवेयर लाइसेंस संस्थापति किये थे, साफ्टवेयर आठ प्रयोगशालाओं में से छः में अनभ्यस्त रहा। उत्तर में उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग ने कहा (जुलाई 2012) कि अप्रैल 2011 के दौरान साफ्टवेयर को डी. आर. ओ. एन. ए. को उपलब्ध कराया गया और आठ उपयोगकर्ता जिनके 12 लाइसेंस प्रयोग करने की उम्मीद थी, को डी. आर. ओ. एन. ए. पर साफ्टवेयर की उपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया गया था। जबकि तथ्य के आधार पर उत्तर सही नहीं है क्योंकि उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग ने सी ए टी आई ए वी 6 की उपलब्धता के बारे में उपयोगकर्ता प्रयोगशालाओं को लेखापरीक्षा (अप्रैल 2012 से मार्च 2013) में यह बताया कि साफ्टवेयर की या तो कोई आवश्यकता नहीं थी या बाद में आने वाले समय में होती। हमने यह भी अवलोकन किया कि तीन प्रयोगशालाएँ आर एण्ड डी (ई), आर सी आई और ए एस एल ने अगस्त 2011 और मई 2012 के बीच ₹1.38 करोड़ की लागत के भिन्न साफ्टवेयर जैसे कि आटो सी ए डी मैक्नाईड 2011 साफ्टवेयर, सॉलेड वर्क्स 2011 प्रोफेशनल साफ्टवेयर और सी ए टी आई ए हाईब्रिड डिजाइन-2 साफ्टवेयर की खरीद की। यानि की सी ए टी आई ए वी 6 की डी. आर. ओ. एन. ए. पर उपलब्धता के उपरांत।

मामला मंत्रालय को जून 2013 में सौंपा गया था; उनका उत्तर अक्टूबर 2013 को प्राप्त हो गया था। रक्षा मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की पहल का एक हिस्सा बताया ताकि किसी भी प्रयोगशाला द्वारा डी. आर. ओ. एन. ए. पर सामान्य रूप से प्रयोग आने वाले साफ्टवेयर मौड्यूल की पहुँच बने और इसकी मंशा एक 'स्थिर सेट' बनने की नहीं थी।

यह उत्तर हालांकि तथ्य के आधार पर सही नहीं है, चूँकि लाइसेंस की अधिप्राप्ति हेतु आवश्यकता विशिष्ट रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा पहचानी गई विशेष प्रयोगशाला की आवश्यकता के संदर्भ में जाँची गई और लाइसेंसों की संख्या की अधिप्राप्ति इसके अनुसार की गई। अतः वी 6 सीएडी/सीएएम का अधिग्रहण बिना किसी व्यवहारिकता/आवश्यकता विश्लेषण के किया गया, चूँकि केवल दो प्रयोगशालाएँ ही इसे प्रयोग में ला रही थी और उपयोगकर्ता प्रयोगशालाओं ने केंद्रीय साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति अपनी गतिविधियों के प्रबंधन हेतु जारी रखी।

अतः उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा सी ए टी आई ए वी 6 सी ए डी/सी ए एम साफ्टवेयर के 12 लाइसेंसों में से 10 को केन्द्रीय रूप से एकल निविदा के आधार पर ₹11.05 करोड़ की लागत पर बिना किसी उचित व्यवहारिकता अध्ययन/आवश्यकता विश्लेषण के बिना अवांछनीय था और दो वर्षों से भी अधिक समय बाद तक, मार्च 2011 में इसकी अधिप्राप्ति से लेकर यह साफ्टवेयर लगातार ही प्रयोग में नहीं रहा था।

5.3 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अधिप्राप्ति में नियमों के उल्लंघन

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए सेना से आदेश की प्रत्याशा में ₹52.58 करोड़ की लागत पर 'नाग' प्रक्षेपास्त्र के उत्पादन के लिए अपेक्षित एक संघटक की अधिप्राप्ति की जिसके फलस्वरूप ₹34.70 करोड़ के सरकारी धन का अवरोधन हुआ।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के क्रय प्रबंधन 2006 में समाविष्ट क्रय के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार क्रयों पर होनेवाला सारा व्यय केवल आवश्यकता पर आधारित होगा तथा प्रत्याशी आवश्यकताओं के लिए जिनका तत्काल उपयोग न हो, पर सरकारी निधियों का व्यय नहीं किया जाएगा।

अगस्त 2005 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने 400 डिटेक्टर डेवर कूलिंग असम्बिल (डी डी सी ए) जो ' नाग ' प्रक्षेपास्त्र के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण संघटक है, की अधिप्राप्ति हेतु निधियों की संस्वीकृति के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ़ केस प्रारंभ किया । भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बी डी एल), जो इस मामले में उत्पादन अभिकरण है, में एक उत्पादन पद्धति स्थापित की गई और उत्पादन कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिसंबर 2005 और जून 2006 में किए जाने के लिए निर्धारित उपयोगकर्ता परीक्षणों के सफल समापन पर तथा सामान्य स्टाफ मूल्यांकन की समाप्ति के पश्चात 2012 तक इस प्रक्षेपास्त्र को सेना में अधिष्ठापित किए जाने की योजना थी। सेना परियोजना की एक टीम ने सितम्बर 2005 में संचयन हेतु वाणिज्यिक सौदे के लिए यथाशीघ्र बातचीत करने का सुझाव दिया, किंतु यह भी सूचित किया कि अधिप्राप्ति हेतु अंतिम आदेश देने के लिए उपयोगकर्ता परीक्षणों के सफल समापन तक प्रतीक्षा की जा सकती है।

जून 2006 में सामग्री प्रबंधन निदेशालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बिल्ड -अप²⁷ के अंतर्गत ₹46.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर फ्रांस के मेसर्स सोफ्रादिर से 200 डी डी सी ए की अधिप्राप्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया। इन्हें विकास चरण में प्रक्षेपास्त्रों में प्रयुक्त करने का विचार नहीं था और इसलिए ' नाग ' परियोजना के तहत इनकी अधिप्राप्ति नहीं की गई। 77,80,000 यूरो की लागत पर 200 डी डी सी ए की आपूर्ति हेतु मेसर्स सोफ्रादिर के साथ एक संविदा (जनवरी 2007) की गई। ये भंडार ₹ 52.58 करोड़ की कुल लागत पर जुलाई 2008 एवं जुलाई 2009 के बीच प्राप्त हुए। संविदा की शर्त के अनुसार इन भंडारों की वारंटी सुपुर्दगी की तिथि से 24 महीनों की थी। डी डी सी ए की भंडार/शेल्फ लाइफ लगभग 10 वर्ष थी।

इसके बाद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने जून-अगस्त 2009, जून 2010 और जुलाई- अगस्त 2012 में अनेक उपयोगकर्ता परीक्षण किए। तथापि, उपयोगकर्ता परीक्षणों के दौरान ' नाग ' प्रक्षेपास्त्र वाहन के निष्पादन में समस्याएँ आने के कारण उत्पाद का सफल परीक्षण अभी तक नहीं किया गया (जून 2013) । इसके अतिरिक्त देखा गया कि 200 डी डी सी ए में 68 का उपयोग अब तक (अप्रैल 2012) किया गया था, जिसमें से 37 का उपयोग ' नाग ' परियोजना के परीक्षण प्रयोजनों के लिए तथा शेष 31 को अन्य परियोजनाओं के लिए किया गया था।

²⁷ प्रयोगशालाओं/ कार्यशालाओं के लिए वैज्ञानिक उपकरण और सामग्रियों की खरीद एवं उनके रखरखाव हेतु संस्वीकृत व्यय।

हमने देखा (मार्च 2009) कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मानक अधिप्राप्ति चलन के उल्लंघन में तथा उपयोगकर्ता परीक्षणों के सफल समापन एवं गुणवत्ता मूल्यांकन के बाद आपूर्ति आदेश देने की सेना परियोजना टीम की संस्तुति के बावजूद सेना से अंतिम आदेश की प्रत्याशा में उपयोगकर्ता परीक्षणों के सफल समापन के पूर्व 200 डी डी सी ए की अधिप्राप्ति की थी हमने फिर देखा (जून 2013) कि परियोजना जून 2006 की पूरा होने के लक्ष्य से पीछे थी और उपयोग कर्ता परीक्षण पुनः 2014 के ग्रीष्म तक शुरू होने थे। इसके कारण पहले से अधिप्राप्त डी डी सी ए की आधी वारंटी और शेल्फ जीवन समाप्त हो गया।

डी डी सी ए की अधिप्राप्ति पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी के उत्तर में परियोजना निदेशक (‘नाग’ परियोजना) ने कहा (मार्च 2009) कि प्रारंभिक उत्पादन में होनवाले विलंब से बचने के लिए अधिप्राप्ति प्रारंभ की गई थी क्योंकि डी डी सी ए लंबी लीड वाला और महत्वपूर्ण संघटक है।

यह उत्तर, तथापि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसे कि सेना परियोजना टीम द्वारा संस्तुत किया गया था, सेना द्वारा आदेश देने से पूर्व संचयन हेतु वाणिज्यिक सौदे कि लिए बातचीत शुरू की जा सकती थी, परंतु अधिप्राप्ति नहीं, जो केवल उपयोगकर्ता परीक्षणों के सफल समापन के पश्चात ही की जानी थी।

इस प्रकार, यह मामला प्रकट करता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया के उल्लंघन में तत्काल आवश्यकता का निर्धारण किए बिना ‘ नाग ’ प्रक्षेपास्त्रों के लिए सेना से आदेश की प्रत्याशा में ₹ 52.58 करोड़ की लागत पर 200 डी डी सी ए की अधिप्राप्ति की, जिसके कारण चार वर्षों से अधिक समय तक ₹ 34.70 करोड़ के सरकारी धन का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त सेना ने अभी तक आदेश नहीं दिया है , क्योंकि जून 2013 तक उपयोगकर्ता परीक्षण भी पूरे नहीं किए गए हैं।

यह मामला जून 2013 में मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2013)।

अध्याय VI: आयुध फैक्ट्री संगठन

6.1 आयुध फैक्ट्री संगठन का सामान्य कार्य निष्पादन

6.1.1 प्रस्तावना

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत महानिदेशक, आयुध फैक्ट्रियों के अधीन कार्य करता है। कुल 39 फैक्ट्रियों को पाँच उत्पाद आधारित प्रचालन समूहों²⁸ में विभक्त किया गया है जो निम्नवत हैं:

क्रम संख्या	समूह का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या
(i)	गोला बारूद एवं विस्फोटक	10
(ii)	शस्त्र, वाहन तथा टैंक	10
(iii)	सामग्री एवं संघटक	8
(iv)	शस्त्र सज्जित वाहन	6
(v)	आयुध टैंक (वस्त्र एवं सामान्य भण्डार)	5

दो और फैक्ट्रियाँ यथा, आयुध फैक्ट्री नालंदा एवं आयुध फैक्ट्री कोरवा अभी परियोजना स्तर पर है जिसमें क्रमशः ₹812.82²⁹ करोड़ और ₹ 120.36 करोड़ मूल संस्वीकृत लागत ₹941.14 करोड़ (बाद में फरवरी 2009 में ₹ 2160.51 करोड़ संशोधित हो गई) और ₹408.01 करोड़ के प्रति मार्च 2012 तक व्यय किया गया था। आयुध फैक्ट्री नालंदा दो लाख बाई मॉड्यूलर मास चार्ज सिस्टम प्रतिवर्ष तथा आयुध फैक्ट्री कोरवा 45000 कारबाइन प्रतिवर्ष निर्माण के लिए क्रमशः नवम्बर 2005 (संशोधित अगस्त 2011) तथा अक्टूबर 2010 (संशोधित मई 2012) तक पूर्ण होना अनुसूचित किया था परन्तु अभी तक इनका लगातार उत्पादन शुरू होना बाकी था (अक्टूबर 2013)।

6.1.2 मूल कार्यकलाप

आयुध फैक्ट्रियों का प्रमुख कार्य भारतीय सशस्त्र सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। आयुध फैक्ट्रियों का मूल कार्यकलाप, प्रतिवर्ष आयोजित लक्ष्य निर्धारण बैठक के दौरान भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रदर्शित आवश्यकताओं के आधार पर शस्त्र, गोला बारूद, शस्त्रसज्जित वाहन आयुध भण्डार आदि का निर्माण एवं आपूर्ति करना है। इन आवश्यकताओं की बाद में मांगपत्र के रूप में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पुष्टि की जाती है।

तथापि अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके आयुध फैक्ट्रियाँ गृह मंत्रालय के अर्द्धसैनिक बल, राज्य पुलिस, अन्य सरकारी विभागों व निर्यात सहित असैनिक मांगकर्ताओं के लिए भी गोलाबारूद व शस्त्र की आपूर्ति करती है।

²⁸ कार्य के आधार पर फैक्ट्रियों को धातु क्रय (5 फैक्ट्री) अभियांत्रिक (13 फैक्ट्री) शस्त्र सज्जित वाहन (6 फैक्ट्री) फिलिंग (5 फैक्ट्री) रासायनिक (4 फैक्ट्री) उपस्कर एवं वस्त्र (6 फैक्ट्री)

²⁹ बी.एम.सी.एस. के लिए बैंक गारन्टी के अग्रिम भुगतान का सन्दर्भित किया गया। 2011-12 में कुल व्यय ₹812.82 करोड़ की कमी की गई।

वर्ष 2011-12 के दौरान, आयुध फैक्ट्रियों ने 2010-11 के दौरान 938 मर्दों के प्रति 903 प्रधान मर्दों का निर्माण किया। उपरोक्त मर्दों में टैंक विरोधी गन, एयरक्राफ्ट विरोधी गन, फील्ड गन, मोर्टार, लघु शस्त्र, उनके गोलाबारूद सहित खेल हथियार, बम, राकेट, प्रोजेक्टाइल, ग्रेनेड, माइन, डिमोलिशन चार्ज, डेथ चार्ज, पाइरोटेक्निक स्टोर्स, परिवहन वाहन, ऑप्टिकल एवं अग्नि नियन्त्रण उपकरण, ब्रिज, एसाल्ट बोट, कपड़े एवं चमड़े की मर्दें, पैराशूट आदि शामिल हैं। 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह उत्पाद श्रृंखला सभी आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादन के सकल मूल्य ₹ 15933.44 करोड़ का 87 प्रतिशत भाग बनता है।

6.1.3 श्रम शक्ति

आयुध फैक्ट्री संगठन के कार्मिकों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है: (i) वरिष्ठ पर्यवेक्षण स्तर के अधिकारी (ii) कनिष्ठ पर्यवेक्षक स्तर पर एवं लिपिकीय स्थापना में पदस्थ “अराजपत्रित” (एन.जी.ओ.) अथवा गैर-औद्योगिक (एन.आई.ई.) कर्मचारी (iii) औद्योगिक कर्मचारी (आई.ई.ई.) जो उत्पादन एवं रखरखाव के कार्य में संलग्न होते हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:-

कर्मचारियों का वर्ग	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजपत्रित अधिकारी	4036	3947	3481	8306	7917
कुल श्रमशक्ति पर राजपत्रित अधिकारियों की प्रतिशतता	3.77	3.84	3.50	8.40	8.20
एन.जी.ओ./एन.आई.ई.स.	32359	31105	30482	25302	25058
कुल श्रमशक्ति पर एन.जी.ओ./ एन.आई.ई.स. की प्रतिशतता	30.22	30.27	30.67	25.58	25.95
औद्योगिक कर्मचारी (आई.ई.ई.स)	70666	67717	65411	65306	63572
कुल श्रमशक्ति पर औद्योगिक कर्मचारियों की प्रतिशतता	66.01	65.89	65.82	66.02	65.85
योग	107061	102769	99374	98914	96547

पूर्ववर्ती सारणी से यह स्पष्ट होता है कि आयुध फैक्ट्री संगठन की श्रमशक्ति में निरन्तर कमी आई है। वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2011-12 में श्रमशक्ति में करीब 10 प्रतिशत की कमी थी। वर्ष 2011-12 में वर्ग क एवं ख के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या वर्ष 2007-08 में 4036 से 96.16 प्रतिशत बढ़कर 7917 हो गई। 2007-08 की तुलना में 2011-12 में अराजपत्रित अधिकारियों/गैर औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 22.56 प्रतिशत एवं 10.04 प्रतिशत कम हुई।

तथ्यों को स्वीकारते हुए आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने (अक्टूबर 2013) में बताया कि राजपत्रित अधिकारियों की संख्या में तेजी से वृद्धि फरवरी 2011 में सहायक फोरमेन/फोरमेन/स्टोर होल्डर वर्ग ख के सभी अराजपत्रित पदों को जूनियर वर्कर्स मैनेजर/तकनीकी व गैर तकनीकी (वर्ग ख राजपत्रित अधिकारियों के पद) के साथ विलय करने के कारण हुई थी।

6.1. 4 ओ.एफ.बी के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण

6.1.4.1 राजस्व व्यय

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय³⁰ का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयुध फैक्ट्रियों द्वारा किया गया कुल व्यय	सशस्त्र सेनाओं को उत्पाद आपूर्ति से प्राप्तियाँ	अन्य प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ ³¹	कुल प्राप्तियाँ	आयुध फैक्ट्रियों की शुद्ध अधिशेष (5-2)
1	2	3	4	5	6
2007-08	7125.63	5850.65	1464.12	7314.77	189.14
2008-09	9081.28	6123.38	1474.54	7597.92	(-) 1483.36
2009-10	10812.10	7531.08	1545.01	9076.09	(-) 1736.01
2010-11	10903.21	9824.99	1665.78	11490.77	587.56
2011-12	12140.91	10702.79	2172.99	12875.78	734.87

वर्ष 2011-12 के लिए व्यय 2010-11 की तुलना में 11.35 प्रतिशत बढ़ा। इसी प्रकार सशस्त्र बल, अन्य मांगकर्ता और विविध की निर्गम आपूर्ति के प्रति कुल प्राप्तियों के हालांकि वर्ष 2010-11 में ₹ 11490.77 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 12875.78 करोड़ की वृद्धि हुई जो 12.05 प्रतिशत है।

हमने देखा कि मुख्य नियंत्रक रक्षा लेखा (सी.जी.डी.ए.) द्वारा अक्टूबर 2007 में तथा बाद में मार्च 2011 में प्रधान लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीयों) कोलकता द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन में, 6 आयुध फैक्ट्रियों के लेखा अधिकारियों ने फरवरी-मार्च 2012 माह के दौरान फैक्ट्रियों द्वारा प्रस्तुत अग्रिम निर्गम वाउचरों को स्वीकार किया और उन्होंने सैन्य बलों/ अन्य स्थापनाओं को समान निर्गम के एवज में ₹ 1581.12 करोड़ डैबिट किये जबकि ये मदे प्रत्यक्ष रूप से 2011-12 के दौरान उन्हें निर्गमित नहीं हुई थीं। (ब्यौरे के लिए परिशिष्ट-II देखें)। इस मुद्दे पर लेखापरीक्षा द्वारा बार बार की गई आपत्तियों को नजरन्दाज किया गया विभिन्न मांगकर्ताओं के निर्गम के लेखांकन में लगातार कमी के कारण कुल प्राप्तियाँ ₹1581.12 करोड़ से बढ़ गई थी जो ओ.एफ.बी. को वर्ष 2011-12 में अधिशेष दर्शाने में योग्य बनाया।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने 31 मार्च 2012 तक कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों एवं उत्पादन में किया व्यय को लेखांकन न करने से और मांग कर्ता को आपूर्ति करने से शुद्ध बजट पर प्रभाव पड़ने के कारण मदों में वास्तविक निर्गमता से अपनी असमर्थता बताई (अक्टूबर 2013)। प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियों) कोलकता (पी.सी.ए.) ने कहा कि उनके शाखा लेखा कार्यालयों द्वारा निर्गम मूल्यों की बुकिंग प्रलेखी प्रमाणिता के आधार पर की थी।

ओ.एफ.बी. एवं पी.सी.ए. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अग्रिम निर्गम वाउचरों की स्वीकृति भण्डारों व्यवहारिक निर्गम के बिना स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के प्रतिकूल है इसके अतिरिक्त

³⁰ स्रोत -विनियोजन लेखे

³¹ अन्य प्राप्तियाँ एवं वसूलियों में आर.आर. कोष के स्थानान्तरण के कारण प्राप्तियाँ, अधिक/अप्रचलित भण्डार के विक्रय, पुलिस सहित एम.एच.ए. को निर्गम, केन्द्र तथा राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सिविल व्यापार, निर्यात एवं विविध प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

शाखा लेखा कार्यालयों द्वारा माँग कर्ताओं की उत्पादों की बिना व्यवहारिक निर्गम के निर्गम वाउचरों को तैयार करना सी.जी.डी.ए. के अक्टूबर 2007 के अनुदेशों का सकल उल्लंघन था उनका उत्तर हमारी पुनरावृत्त टिप्पणियों के बावजूद इस अभावपूर्ण लेखांकन से बचने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहता।

6.1.4.2 राजस्व व्यय का रूझान(प्रवृत्ति)

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय का रूझान नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का राजस्व शीर्ष	व्यय		वृद्धि(+)/कमी (-)	
		2010-11	2011-12	योग	प्रतिशत
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	74.36	79.68	(+) 5.32	(+) 7.15
2.	अनुसंधान	39.95	35.71	(-) 4.24	(-) 10.61
3.	रखरखाव	20.86	21.78	(+) 0.92	(+) 4.41
4.	विनिर्माण	3502.60	4416.14	(+) 913.54	(+) 26.08
5.	परिवहन	110.73	115.98	(+) 5.25	(+) 4.74
6.	सामान	5706.32	6101.69	(+) 395.37	(+) 6.93
7.	कार्य	57.81	75.93	(+) 18.12	(+) 31.34
8.	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन	207.82	310.25	(+) 102.43	(+) 49.29
9.	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन (आर.आर) निधि का अन्तरण	600.00	325.00	(-) 275.00	(-) 45.83
10	अन्य व्यय	582.76	658.75	(+) 75.99	(+) 13.04
	कुल योग	10903.21	12140.91	(+) 1237.70	(+) 11.35

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है

- 2011-12 के दौरान कुल राजस्व व्यय में ₹ 1237.70 करोड़ 2010-11 के तुलना में (11.35 प्रतिशत) वृद्धि हुई। तत्व वार व्यय के रूझान के विश्लेषण से मालूम हुआ कि 2010-11 की तुलना में 2011-12 में सामान, विनिर्माण और नवीनीकरण /प्रतिस्थापन व्यय पर क्रमशः 6.93 प्रतिशत, 26.08 प्रतिशत, एवं 49.29 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जबकि “नवीनीकरण/प्रतिस्थापन निधि के अन्तरण” (45.83 प्रतिशत) एवं ‘अनुसंधान’ (10.61 प्रतिशत) शीर्ष के अन्तर्गत कमी आई।
- वर्ष के प्रारम्भ में बजट आकलन के आधार पर कुछ राशि मेजर शीर्ष 2079 के माइनर शीर्ष संख्या 797 (आर.आर निधि का अन्तरण) के अधीन “नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि ” के लिए चिन्हित करके रख ली थी। जब संयन्त्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति की जाती है तो मेजर शीर्ष 2079 के माइनर शीर्ष 797 में क्रेडिट करके अर्थात् नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि से अन्तरण मुख्य शीर्ष 2079 के माइनर शीर्ष 106 में तत्सम्बन्धी डेबिट करके अर्थात् नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन में प्रविष्टि कर दी जाती है। हमने पाया कि 01 अप्रैल 2011 को लोकनिधि लेखा के अधीन मूल्यहास आरक्षित निधि में ₹490.45 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था आयुध निर्माणी बोर्ड को अन्तरण आर आर निधि बजट शीर्ष के अधीन ₹325 करोड़ का आबंटन

मिला और मशीनरी एवं संयंत्र के खरीद हेतु 2011-12 के दौरान केवल ₹311.42 करोड़ का आहरण किया और सामान्य वित्तीय नियमावली के अधीन भारत की समेकित निधि में समर्पण करने की बजाय भारत के लोक लेखा निधि में शेष राशि ₹ 13.58 करोड़ रख लिये। फलस्वरूप मूल्यहास आरक्षित निधि में ₹504.03 करोड़ का अन्त शेष था। तथापि विनियोजन लेखे में आर.आर. निधि में अन्तरण के प्रति उक्त राशी खर्च दर्शाई गई थी। फलस्वरूप विनियोजन लेखे में व्यय 31 मार्च 2012 तक संचित रूप से ₹ 504.03 करोड़ बढ़ा-चढ़ा कर बताये गये।

निधियों के अधिक अन्तरण को न्यायसंगत सिद्ध करते हुए प्रधान लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रियों) (पी.सी.ए.) ने कहा (18 अक्टूबर 2012) की प्रभावित संयंत्र एवं मशीनरी के प्रति स्थापन हेतु पुँजी लगाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) के आदेश (30 जनवरी 1991) के अनुसार लोक लेखा के अन्तर्गत सृजित नवीकरण एवं आरक्षित निधि के लिए भारतीय समेकित निधि के अधीन राजस्व शीर्ष से अन्तरणों के माध्यम से वित्तीय प्रबन्ध किया जाता है तथा व्ययगत न होने वाली, आवर्ती एवं ब्याज रहित निधि है। पी.सी.ए. ने (अक्टूबर-2013) में यह भी कहा कि लोक लेखे में निधि संचित नहीं होती परन्तु ओ.एफ.बी. के आधुनिकरण के प्रयासों में उपयोग होता है। और अव्ययित आर.आर. राशी समर्पण का मामला नहीं होता। पी.सी.ए. का दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर अव्ययित निधि का समर्पण भारत की समेकित निधि में न होना जी.एफ.आर. के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त लोक निधि खाते में मूल्यहास आरक्षित निधि में राशी का दर्शाया शेष आवर्ती नहीं था परन्तु केवल इकट्ठा करना जिसका तथ्य से प्रमाणित है कि अप्रैल 2010 में ₹98.39 करोड़ रूपये से लोक लेखे में मूल्यहास आरक्षित निधि 31 मार्च 2012 तक ₹504.03 करोड़ बढ़ गई। इसके अतिरिक्त ओ.एफ.बी. ने (अक्टूबर 2013) में कहा कि संचित शेष को निवेश योजना पर आधारित 2014-15 के दौरान उपयोग करने की सम्भावना है। तथापि उत्तर 2014-15 के दौरान निवेश योजना का कोई ब्योरा नहीं दर्शाता।

निर्देशों के अनुसार, आयुध फैक्ट्रियों द्वारा सशस्त्र बलों से निर्गमों की वास्तविक मूल्य की वसूली करने की जरूरत है। हमने देखा कि 20 मामलों में जहां छः फैक्ट्रियों में यानि आयुध फैक्ट्री खमरिया, आयुध फैक्ट्री चन्दा एवं आयुध फैक्ट्री बड़मल, आयुध फैक्ट्री त्रिचि, गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर एवं भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी ने अनुमानित लागत से कम कीमतों की स्वीकृति के कारण ₹201.58 करोड़ कम वसूल किये हैं। 35 अन्य मामलों में, जो सशस्त्र बलों/ अन्य सरकारी संगठनों की आपूर्ति से सम्बन्धित है 12 आयुध फैक्ट्रियों³² ने जारी मूल्य असामान्य रूप से अनुमानित लागत से कहीं अधिक निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1229.24 करोड़ असामान्य लाभ का अर्जन हुआ।

प्रधान लेखा नियंत्रक ने (अक्टूबर 2012) में लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमत होते हुए माना कि असामान्य कीमत निर्धारण के मुद्दे को कार्यकारणी में वार्षिक लेखों की पुनरीक्षा के दौरान उठाया गया। आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा कीमत निर्धारण नीति ठीक से न अपनाने से ₹1581.12 करोड़ के निर्गमों की अधिक बुकिंग, और सकल ₹1027.66 करोड़ असामान्य लाभ अर्जित पर विचार करने के पश्चात वर्ष 2011-12 में विभिन्न शीर्षों में कुल वसूलियां ₹10267.00 करोड़ थी जबकि ओ.एफ.बी. ने वर्ष 2011-12 के विनियोजन लेखे में ₹12875.78 करोड़ दर्शाया

³² आयुध फैक्ट्री मेडक, वाहन फैक्ट्री जबलपुर, वाहन फैक्ट्री आवड़ी, आयुध फैक्ट्री देहू रोड, ओप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून, गन एवं सैल फैक्ट्री कोसीपुर, गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अम्बरनाथ, आयुध फैक्ट्री खमरिया, स्माल आर्मस फैक्ट्री कानपुर, गोलाबारूद फैक्ट्री किरकी और आयुध केबल फैक्ट्री चण्डीगढ़

हुआ था। अतः ओ.एफ.बी. ने भारत की संचित निधि में से ₹1873.91 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त की जबकि यह उनके विनियोजन लेखे (2011-12) में भारत की संचित निधि के लिए ₹734.87 करोड़ के अंशदान के स्तर में परिलक्षित था। यह तथ्य सही नहीं है

6.1.5 उत्पादन लागत

वर्ष 2011-12 के दौरान, उत्पादन लागत पर विभिन्न घटकों की लागत का प्रतिशत साथ ही साथ समूहवार/घटकवार लागत का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	फैक्ट्रियों का समूह	उत्पादन लागत	प्रत्यक्ष भण्डार	प्रत्यक्ष व्यय	प्रत्यक्ष श्रम	उपरिव्यय प्रभार		
						स्थायी उपरिव्यय	परिवर्तनशील उपरिव्यय	कुल उपरिव्यय
1.	सामग्री एवं संघटक (एम. एण्ड सी)	2074.91	968.47 (46.68)	84.82 (4.09)	248.24 (11.96)	539.13 (25.98)	234.25 (11.29)	773.38 (37.27)
2.	शस्त्र, वाहन एवं टैंक (डबल्यू वी एण्ड ई)	3812.50	2176.03 (57.08)	19.09 (0.50)	407.11 (10.68)	811.74 (21.29)	398.53 (10.45)	1210.27 (31.74)
3.	गोला बारूद एवं विस्फोटक (ए एण्ड ई)	5266.51	3613.24 (68.61)	38.04 (0.72)	390.47 (7.41)	1004.25 (19.07)	220.51 (4.19)	1224.76 (23.26)
4.	शस्त्र सज्जित वाहन(ए.वी.)	3818.35	2932.42 (76.80)	16.64 (0.44)	183.74 (4.81)	544.66 (14.26)	140.88 (3.69)	685.54 (17.95)
5.	आयुध टैंक ओ.ई)	961.17	380.18 (39.55)	0.36 (0.04)	260.53 (27.10)	246.39 (25.63)	73.71 (7.67)	320.10 (33.30)
	योग	15933.44	10070.34 (63.20)	158.96 (0.99)	1490.09 (9.35)	3146.17 (19.75)	1067.88 (6.70)	4214.05 (26.45)

नोट:- कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़ें कुल उत्पादन लागत पर विशेष घटक की लागत के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि गोलाबारूद एवं विस्फोटक समूह की फैक्ट्रियों में सभी पांच समूहों की फैक्ट्रियों के महज ₹5266.51 करोड़ की सर्वाधिक उत्पादन लागत दर्ज की गई। दूसरी तरफ आयुध उपस्कर समूह की फैक्ट्रियों में ₹961.17 करोड़ की न्यूनतम उत्पादन लागत दर्ज की गई। ओ.एफ.बी. का औसत उपरिव्यय प्रभार सभी समूहों के उत्पादन लागत का 26.45 प्रतिशत था। फैक्ट्रियों के समूह एम एण्ड सी, डबल्यू वी. एण्ड ई. और ओ.ई.का औसत उपरिव्यय प्रभार अधिक था जबकि ए.एण्ड ई और ए.वी. फैक्ट्रियों के समूह में यह औसत से कम था।

6.1.6 उच्च पर्यवेक्षण तथा अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार

प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष श्रम प्रभार, पर्यवेक्षण प्रभार एवं प्रत्यक्षश्रम पर अप्रत्यक्ष श्रम का प्रतिशत साथ ही साथ प्रत्यक्ष श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार का प्रतिशत का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

यह देखा जा सकता है कि आयुध उपस्कर समूह को छोड़कर सभी समूहों में वर्ष 2011-12 में प्रत्यक्ष श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार का प्रतिशत अधिक था। प्रत्येक ₹ 1.00 के खर्च पर प्रत्यक्ष श्रम पर्यवेक्षण प्रभार ₹1.18 एवं ₹1.41 के मध्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा (अक्टूबर 2012) ध्यान में लाने पर प्रधान लेखा नियंत्रक ने (अक्टूबर 2012) में बताया कि औद्योगिक कर्मचारियों के मुकाबले में पर्यवेक्षकों के वेतन एवं भत्तों का अधिक होना भी पर्यवेक्षक लागत में बढ़ोत्तरी का कारण थे।

यही कारण था कि वर्ग 'क' एवं 'ख' अधिकारी जो पर्यवेक्षण प्रभार के प्रमुख घटक के पारिश्रमिक के रूप में हैं, की संख्या मात्र 7917 थी जबकि औद्योगिक कर्मचारी जिनका पारिश्रमिक प्रत्यक्ष श्रम का एक महत्वपूर्ण कारक था, की संख्या 63572 थी जो पर्यवेक्षण प्रभार के परस्पर प्रत्यक्ष लागत के प्रतिरूप से बाहर थी। इस प्रकार प्रत्यक्ष श्रम प्रभार पर पर्यवेक्षण प्रभार को एक उचित स्तर पर लाये जाने की जरूरत है।

ओ.एफ.बी. ने (अक्टूबर 2013) में बताया कि उच्च पर्यवेक्षण प्रभार, गैर राजपत्रित अधिकारी, गैर औद्योगिक कर्मचारी वर्ग, डी.एस.सी. को ओवर टाईम के क्षेत्र में आंशिक भुगतान के कारण था। हालांकि आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने लेखापरीक्षा की संस्तुतियों को विस्तृत अध्ययन के लिए स्वीकार किया।

6.1.7. उत्पादन प्रोफाइल

गोलाबारूद, शस्त्र एवं वाहन, सामग्री एवं संघटक तथा शस्त्र सज्जित वाहनों के लिए उत्पादन कार्यक्रम एक वर्ष हेतु निर्धारित किये गए थे जबकि टैक मर्दों के लिए चार वर्षीय कार्यक्रम निर्धारित किए गये थे। विगत पांच वर्षों के दौरान मांगो, निश्चित लक्ष्य तथा लक्ष्य को पूरा करने में कमी का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	मर्दों की संख्या जिसके लिए मांग उपलब्ध थी	मर्दों की संख्या जिनके लिए लक्ष्य निश्चित था	मर्दों की संख्या जिनका निर्माण लक्ष्य के अनुसार हुआ	मर्दों की संख्या जिनके लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका	निश्चित लक्ष्य के सन्दर्भ में कमी की प्रतिशतता
2007-08	628	507	360	147	28.99
2008-09	419	419	296	123	29.36
2009-10	605	434	300	134	30.88
2010-11	1016	639	416	223	34.90
2011-12	982	547	195	352	64.35

वर्ष 2011-12 के दौरान 2010-11 की तुलना में 982 मर्दों के लिए 3.35 प्रतिशत मर्दों की मांग में मामूली कमी हुई। यद्यपि केवल 547 मर्दों के लिए आपस में लक्ष्य निर्धारित किये गए थे। यहाँ तक कि लक्ष्य हासिल करने में 64.35 प्रतिशत की कमी थी।

ओ.एफ.बी सभी मर्दों के लक्ष्य हासिल करने में विफल रही जिनके लिए मांग उपलब्ध थी इन मर्दों पर सम्भवतः निर्धारित लागत भार को पूर्व में बन्द करके भार मुक्त करने के साथ-साथ अधिक उपरिव्यय के संविभाजित करने के कारण अन्य उत्पादनों की लागत में वृद्धि हुई है।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने (अक्टूबर 2013) में बताया कि लक्षित सामान में कमी के कुछ मुख्य कारण थे (i) आर.डी.एक्स प्लांट में लम्बे समय से खराबी टैक और हल्की तोपों के गोला बारूद की कम आपूर्ति (ii) मल्टी मोड ग्रेनेड जैसे सामान के अधिक उत्पादन के लिए

अनुमति प्राप्त ना होना (iii) कुछ सामानो के लक्ष्य को पूरा करने में माँगपत्रों का अर्प्याप्त होना (iv) समय पर निर्यात/बाजार के लिए सामान का उपलब्ध न होना (v) प्रुफ की बुनियादी संरचना में कमी, प्रुफ में देरी होना और (vi) कुछ मामलों में क्षमता की कमी तथा क्षेत्रो में डिजाइन की समस्या।

6.1.8 क्षमता का उपयोग

पिछले पांच वर्षों के दौरान मशीन घन्टों के रूप में क्षमता का उपयोग जिस सीमा तक किया गया उसका विवरण नीचे तालिका मे दिया गया है ।

(मशीन घंटों के रूप में क्षमता का उपयोग)

(घंटे लाखों में)

वर्ष	उपलब्ध मशीन घंटे	उपयोग किये गये मशीन घंटे	क्षमता उपयोग की प्रतिशतता
2007-08	1351	1147	85
2008-09	1696	1294	76
2009-10	1839	1261	69
2010-11	1830	1311	72
2011-12	1577	1232	78

वर्ष 2010-11 के दौरान 72 प्रतिशत की तुलना में आयुध फैक्ट्रियों द्वारा 2011-12 में मशीनों का उपयोग 78 प्रतिशत सुधार हुआ है। फिर भी, क्षमता का उपयोग वर्ष 2007-08 में उपार्जित 85 प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुँच सका। आयुध फैक्ट्रियों में उपलब्ध मशीन घण्टों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ओ.एफ.बी. द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु पहल करनी चाहिए।

6.1.9 उपभोक्ताओं को निर्गम (मांगकर्ताओं)


विगत पांच वर्षों के दौरान आयुध फैक्ट्री बोर्ड के विनियोजन लेखो से प्राप्त मांगकर्ता वार निर्गम का मूल्य निम्नवत था:

(रैंकरोड़ में)

मांगकर्ता का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	स्पील ओवर को छोडकर 2011-12 मे निर्गम
थल सेना	5252.15	5557.66	7054.12	9225.15	10078.82	8530.58
नौसेना	119.39	179.41	124.40	243.98	157.67	156.43
वायु सेना	239.53	221.02	208.20	219.58	275.67	245.88
एम.ई.एस.अनुसंधान एवं विकास (अन्य रक्षा विभाग ओ.डी.डी.)	145.63	124.67	116.40	169.04	190.63	189.77
कुल रक्षा	5756.70	6082.76	7503.13	9857.20	10702.79	9122.66
सिविल व्यापार एवं निर्यात	1181.11	1146.55	1212.13	1357.76	1759.20	1758.21
कुल निर्गम	6937.81	7229.31	8715.25	11214.96	12461.99	10880.87

हांलाकि 201-12 के दौरान कुल निर्गम का मूल्य (₹12461.99 करोड़) विगत वर्ष की अपेक्षा 11.12 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान इन मांगकर्ताओं को वास्तविक निर्गम में 2.98 प्रतिशत (₹10880.87 करोड़) की कमी हुई। जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट है, 2011-12 के दौरान कुल निर्गम मूल्य के लगभग 78.40 प्रतिशत के साथ, थल सेना आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादों का प्रमुख प्राप्तकर्ता रही। सिविल ट्रेड और निर्यात 16.16 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

2011-12 के दौरान सेवाओं और दूसरे मांगकर्ता को किया गया निर्गम



6. 1.10 सिविल व्यापार

आयुध फैक्ट्रियों ने उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के अधिकतम उपयोग तथा बजट पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, जुलाई 1986 से, सिविल व्यापार का कार्य आरम्भ किया। 2007-2012 के दौरान गृह मंत्रालय तथा राज्य पुलिस विभागों को की गयी आपूर्ति के अतिरिक्त सिविल व्यापार का टर्न ओवर निम्नवत था:

(₹करोड़ में)

वर्ष	संलग्न फैक्ट्रियों की संख्या	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की लक्ष्य के प्रति प्रतिशतता
2007-08	32	335.01	359.56	107.33
2008-09	39	351.12	329.30	93.79
2009-10	27	374.23	425.18	113.61
2010-11	27	464.50	466.86	100.50
2011-12	27	470.00	499.89	106.36

जैसाकि सारणी से देखा जा सकता है 2010-11 से 2011-12 में सिविल व्यापार के निर्गम मूल्य में ₹466.86 करोड़ से ₹499.89 करोड़ स्रोतों की वृद्धि हुई तथा लक्ष्य से 6.36 प्रतिशत ज्यादा की उपलब्धि हुई।

6. 1.11 निर्यात

2007-08 से 2011-12 के दौरान, निर्यात के लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है: -

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संलग्न फैक्ट्रियों	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी(-) अधिकता (+)	लक्ष्य के संदर्भ में कमी(-)/अधिकता (+) की प्रतिशतता
2007-08	10	30.00	27.44	(-) 2.56	(-) 8.53
2008-09	11	35.00	41.07	(+) 6.07	(+) 17.34
2009-10	13	41.30	12.30	(-) 29.00	(-) 70.22
2010-11	8	44.00	35.70	(-) 8.30	(-) 18.86
2011-12	6	40.00	46.08	(+) 6.08	(+) 15.20

जैसाकि सारणी से देखा जा सकता है 2011-12 के दौरान, निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में ₹6.08 करोड़ की वृद्धि हुई, यह लक्ष्य से 15.20 प्रतिशत अधिक था।

6.1.12 भंडार प्रबन्धन

आयुध फैक्ट्रियों में 2007-08 से 2011-12 के दौरान कुल सामग्री के भंडारण की स्थिति निम्नवत थी:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1.	कार्यशील भंडार						
ए.	सक्रिय	2160.00	2354.00	2732.00	4093.00	4185.00	2.25
बी.	निर्गमित न होने वाले	333.00	322.00	297.00	346.00	507.00	46.53
सी.	कम निर्गमित होने वाले	211.00	287.00	507.00	574.00	476.00	(-) 17.07
	कुल कार्यशील भंडार	2704.00	2963.00	3536.00	5013.00	5168.00	3.10
2.	अनुपयोगी एवं अप्रचलित	14.00	26.00	39.00	20.00	15.00	(-) 25
3.	अधिक/रद्दी	81.00	68.00	64.00	68.00	64.00	(-) 5.89
4.	अनुरक्षण भंडार	79.00	73.00	73.00	76.00	89.00	17.10
	योग	2878.00	3130.00	3712.00	5177.00	5336.00	3.07
5.	खपत के दिनों के संदर्भ में औसत भंडारण	160	149	177	199	178.00	(-) 10.55
6.	कुल कार्य-शील भंडार के प्रति निर्गमित न होने वाले व कम निर्गमित होने वाले भंडार का प्रतिशत	20.12	20.55	22.74	18.35	19.02	3.65

2010-11 से 2011-12 के दौरान 12 आयुध फैक्ट्रीयों में कार्यशील भण्डार अनुमति सीमा से तैयार माल में 3.07 प्रतिशत वृद्धि होकर ₹5177 करोड़ से ₹5336 करोड़ हो गई। यह ओ. एफ.बी. का निर्णय तीन वर्षों की आवश्यकता के (दो वर्ष जमा 50 प्रतिशत विकल्प उपबंध) लिए कीमत परिवर्तन धारा सहित पर सामग्री की अधिप्राप्ति बजट आबंटन और स्टोर की शैल्फ लाईन की अनुरूपता के अनुसार सुपुर्दगी सिड्यूल के लिए कार्यवाही करने की सहमति देने के फैसले के कारण हुआ। हालांकि कम से कम पाँच फैक्ट्रियाँ (आयुध फैक्टरी कानपुर, आयुध फैक्टरी अम्बाझारी, आयुध फैक्टरी त्रिचि, आयुध फैक्टरी खमरिया, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून, द्वारा 31 मार्च 2012 को परिशिष्ट-IV में दिए गए विवरण के अनुसार इन फैक्ट्रियों में स्टेज्ड वितरण तंत्र पूरी तरह लागू न होने के कारण अत्यधिक मात्रा में स्टॉक रखा गया। इन फैक्ट्रियों में धनिक अवरूद्ध को रोकने के लिए मजबूत भंडार प्रबंधन तथा अधिक स्टोर को रखने की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने (अक्टूबर 2013) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि या तो बाजार से या फिर अन्तर फैक्ट्री मांग की सदृश मदों की अनुपलब्धता अंतिम उपलब्धि लक्ष्य से कम थी। आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने यह भी बताया कि उसने फैक्ट्रियों को कुल बजट आबंटन, शेल्फ लाइफ, आपूर्ति आदेश को समय पर पूरा करने को ध्यान में रखते हुए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

6. 1.12.1 तैयार भंडार का भंडारण

प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियाँ) कोलकाता द्वारा तैयार 2011-12 के लिए आयुध फैक्ट्री संगठन के वार्षिक लेखे की पुनरीक्षा से प्राप्त, पिछले पाँच वर्षों के दौरान तैयार माल के भंडारण (पूर्ण वस्तुएँ एवं संघटक) की स्थिति निम्नवत थी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
तैयार वस्तुओं का भंडारण	79.00	506.00	166.59	112.62	92.43
कुल उत्पादन लागत	9312.61	10610.40	11817.89	14012.12	15933.44
निर्गम दिवस के रूप में तैयार भंडार का भंडारण	3	17	5	3	2
कुल उत्पादन लागत की प्रतिशतता के रूप में भंडारण	0.85	4.77	1.41	0.80	0.58
तैयार संघटक का भंडारण	617.00	458.00	1015.04	1101.73	1119.16
खपत के दिनों की संख्या के रूप में तैयार संघटकों का भंडारण	44	38	85	65	62
कुल उत्पादन लागत की प्रतिशतता के रूप में तैयार संघटकों का भंडारण	6.63	4.32	8.59	7.86	7.02

यद्यपि 31 मार्च 2012 को तैयार (पूर्ण) वस्तुओं के मूल्य में 17.93 प्रतिशत की कमी आई, 2010-11 की तुलना में, 2011-12 में तैयार संघटकों का मूल्य 1.58 प्रतिशत बढ़ गया। भारी मात्रा में तैयार संघटकों के शीघ्र उपयोग के लिए खपत के दिनों की संख्या के रूप में

तैयार संघटकों का भण्डारण 2008-09 के 38 दिन तक के स्तर पर लाने के लिए तत्काल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2011-12 के दौरान आयुध फैक्ट्री संगठन द्वारा तैयार संघटकों के उपयोग की लागत किसी भी लेखे में नहीं दर्शायी गयी है। 2011-12 के वार्षिक उत्पादन लेखे के नीचे केवल एक फुट नोट में यह दिखाया गया कि उत्पादन में उपयोग किए गए तैयार संघटकों की लागत ₹6644.69 करोड़ थी।

प्रधान लेखा नियंत्रक ने (अक्टूबर 2012) अपने उत्तर में आश्वासन दिया कि 2012-13 से आगे वार्षिक लेखों के अनुलग्नक के रूप में फैक्ट्रीवार वर्ष के दौरान तैयार किये गये, उपयोग किये गये संघटकों के आरम्भिक शेष तथा अन्तिम शेष सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी चूकि समेकित वार्षिक लेखों में तैयार संघटकों के उत्पादन में खपत की कीमत को दर्शाना सम्भव नहीं होगा।

6. 1.13 जारी कार्य

आयुध फैक्ट्री का महाप्रबंधक, उत्पादन कारखाने को एक अधिपत्र जारी करके किसी मद की दी हुई मात्रा के निर्माण के लिए प्राधिकृत करता है, जिसकी सामान्य वैधता छः माह की होती है। विभिन्न अधिपत्रों से संबंधित मद जो कारखानों में अर्धनिर्मित अवस्था में पड़े होते हैं उन्हें 'जारी कार्य'के रूप में जाना जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी कार्य की स्थिति निम्नवत थी:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च की स्थिति	जारी कार्य का मूल्य
2008	1265.00
2009	1961.82
2010	2121.75
2011	2297.06
2012	2551.84

2010-11 की तुलना में 31 मार्च 2012 को जारी कार्य का कुल मूल्य 11.09 प्रतिशत अधिक हो गया। 31 मार्च 2012 को कुल 28,893 अधिपत्र बकाया थे। जिसमें से 4657 अधिपत्र 2010-11 एवं 2010-11 के पूर्व के वर्षों से संबंधित थे, सबसे पुराना अधिपत्र 1993-94 से संबंधित था।

बकाया अधिपत्रों की स्थिति भारी वाहन फैक्ट्री आवड़ी के सबसे ज्यादा (4342 अधिपत्र ₹462.14 करोड़ के), आयुध फैक्ट्री चंदा (326 अधिपत्र ₹210.23 करोड़) आयुध फैक्ट्री मेडक (2874 अधिपत्र ₹ 328.44 करोड़) आयुध फैक्ट्री अम्बाझारी (₹183.24 करोड़ मूल्य के 1113 अधिपत्र) और आयुध फैक्ट्री खमरिया (₹251.99 करोड़ मूल्य के 130 अधिपत्र)।

प्रधान लेखा नियंत्रक ने (अक्टूबर 2013) में बताया कि पुराने लम्बित वारंटों को जल्दी बन्द करने के लिए सभी शाखा लेखा कार्यालय को फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मामलों को उठाने कि लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये थे।

6. 1.14 हानियाँ

31 मार्च 2012 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान अपलेखित हानियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान एवं परित्यक्त दावे	शून्य	0.22	शून्य	शून्य	2.88
2.	चोरी, धोखाधड़ी एवं लापरवाही के कारण हानि	29.11	0.28	0.17	4.97	शून्य
3.	चोरी, धोखाधड़ी एवं लापरवाही के अलावा वास्तविक शेष में कमी के कारण हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	पारगमन हानि	0.16	6.46	16.85	21.38	शून्य
5.	अन्य कारण (दोषयुक्त भंडारण के अलावा भंडार की कंडीशनिंग स्टोर जो प्रचलन से हटने के कारण स्क्रैप हो गया	19.58	180.41	1.07	122.64	149.95
6.	दोषयुक्त भंडारण हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	भंडार से असम्बन्ध हानियाँ	333.90	73.75	233.19	518.20	92.51
	योग	382.75	261.12	251.28	667.19	245.34

2011-12 के दौरान अपलेखित हानियों में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹421.85 लाख की कमी हुई। जबकि 2011-12 में अपलेखित हानियों में अन्य कारणों से 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई। चूंकि जून 2012 को, ₹123.17 करोड़ मूल्य के 253 मामलों में रक्षा मंत्रालय द्वारा नियमितीकरण किया जाना प्रतीक्षित था जिसमें से सबसे पुराना मद वर्ष 1964-65 से संबंधित था। आयुध फैक्ट्री खमरिया (₹43.06 करोड़) आयुध फैक्ट्री वारांगाना (₹20.22 करोड़) गोला बारूद फैक्ट्री किरकी (₹17.08 करोड़) धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईसापुर (₹11.10 करोड़) की हानियों को नियमित करने की घोषणा की गई। आयुध फैक्ट्री बोर्ड तथा मंत्रालय द्वारा इस तरह की हानियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने (अक्टूबर 2013) में बताया कि (i) बोर्ड की मीटिंग में स्थिति का त्रैमासिक सर्वेक्षण किया जा रहा था (ii) मामले की जल्दी मंजूरी के लिए मुद्दे को मंत्रालय में उठाया जा रहा था। हानियों के शीघ्र नियमितिकाल के लिए नियंत्रण को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

मामले को जुलाई 2013 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, नवम्बर 2013 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

नोट: इस पैराग्राफ में शामिल आंकड़े, मुख्यतः प्रधान निदेशक लेखा(फैक्ट्रियों) कोलकाता द्वारा 2011-12 के लिए तैयार आयुध एवं आयुध उपस्कर फैक्ट्रियों के समेकित वार्षिक लेखे, प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्रियों) कोलकाता एवं आयुध फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता द्वारा अनुरक्षित दस्तावेजों तथा प्रस्तुत सूचनाओं पर आधारित हैं।

भण्डार / मशीनरी की अधिप्राप्ति

6.2 एक अवयव की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

8 ए टेल यूनिट के कुल लेन-देन लागत से ओ.एफ.सी. के अधिक सामग्री लागत के बावजूद आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से गोला बारूद फैक्ट्री किरकी/ आयुध फैक्ट्री देहू रोड़ द्वारा 8 ए टेल यूनिट की अधिप्राप्ति पर ₹ 24.79 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2005 की प्रतिवेदन संख्या 6 के लेखापरीक्षा पैरा 8.4. में वर्णित था कि आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) के परिपत्र (अक्टूबर 1997) में विचलन के कारण आयुध फैक्ट्री देहू रोड़ (ओ.एफ.डी.आर.) ने आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से अवयव (टेल अडेप्टरो)³³ की अधिप्राप्ति, यद्यपि ओ.एफ.सी. द्वारा आपूर्ति की गई टेल अडेप्टरों की सामग्री लागत तैयार माल के लेन-देन की लागत से अधिक था, के कारण ₹ 3.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय ने अपनी 'की गई कार्यवाही की टिप्पणी' (ए.टी.एन.) (नवम्बर 2009) में कहा कि आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने व्यापार अधिप्राप्ति की नीति मार्गनिर्देश की तुलना में अन्तर फैक्ट्री माँग (आई.एफ.डी.) व्यय की समीक्षा की (नवम्बर 2006) और सभी आयुध फैक्ट्रियों के वरिष्ठ महा-प्रबन्धकों/ महा-प्रबन्धकों को कुल आवश्यकता पर कुल व्यापार लागत का फैक्ट्री में निर्मित अवयव मद की सामग्री लागत अधिक होने पर 100 प्रतिशत की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में एक परिपत्र (दिसम्बर 2006) जारी करके निर्देश दिए।

2008-09 से 2011-12 की अवधि में व्यापार फर्मों तथा आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से 51 मि.मी. गोलाबारूद के निर्माण के लिए एक अवयव की आवश्यकता के लिए ओ.एफ.डी.आर. एवं गोलाबारूद फैक्ट्री किरकी (ए.एफ.के.) ने 8 ए³⁴ टेल यूनिट की अधिप्राप्ति की। हमने ओ.एफ.सी. के लागत नमूना की जाँच की (अप्रैल 2012 एवं अक्टूबर 2012) और देखा कि 2008-09 से 2011-12 के दौरान प्रत्येक 8 ए टेल यूनिट की सामग्री लागत ₹ 337 एवं ₹ 504 के बीच था जो बाह्य व्यापार के तैयार माल की कुल यूनिट लागत (₹ 63 एवं ₹ 81 के बीच) लगभग छः गुणा अधिक था। ओ.एफ.सी. में इस असामान्य सामग्री लागत के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए 2008-09 से 2011-12 के दौरान व्यापार मूल्य की तुलना में ए.एफ.के./ ओ.एफ.डी.आर. ने ओ.एफ.बी. के परिपत्र (दिसम्बर 2006) का उल्लंघन करके ओ.एफ.सी. से 6.51 लाख 8 ए टेल यूनिट जो प्रत्येक यूनिट ₹ 371 एवं ₹ 494 के बीच थी की अधिप्राप्ति के लिए 8 आई.एफ.डी. प्रस्तुत की। ए.एफ.के./ ओ.एफ.डी.आर. ने (मई 2009 से सितम्बर 2011) 20 आपूर्ति आदेशों के द्वारा 6.42 लाख 8 ए टेल यूनिट की भी अधिप्राप्ति की जो व्यापार से बहुत सस्ती दर प्रत्येक यूनिट ₹ 58.50 एवं ₹ 81 के बीच थी।

विद्यमान परिपत्र के उल्लंघन के बावजूद बार-बार उँची दरों पर आई.एफ.डी दिए जाने पर न तो मंत्रालय ने और न ही ओ.एफ.बी ने इस मुद्दे को अपने दिसम्बर 2006 के परिपत्र के उपरान्त हुई अपनी बोर्ड की बैठक में रखा।

³³ एक अवयव का समायोजन द्वारा गोलाबारूद की सेल बाँड़ी के टेल यूनिट में फिट करके प्रयोग में लाना

³⁴ एक अवयव जो कि 51 मि.मी. मोरटार बम्ब को इसकी उड़ान के दौरान दिशा को स्थिर करता है।

ओ.एफ.सी. से ऊँची लागत पर अधिप्राप्ति को न्यायोचित ठहराते हुए ओ.एफ.बी. ने कहा (अक्टूबर 2013) कि 8 ए टेल यूनिट की 50 प्रतिशत की आवश्यकता की अधिप्राप्ति ओ.एफ.सी. से की और शेष 50 प्रतिशत व्यापार से जो उनके दिसम्बर 2006 एवं फरवरी 2009³⁵ के परिपत्र के अनुरूप था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि ओ.एफ.बी. का दावा उनके दिसम्बर 2006 के परिपत्र के विरोधात्मक हैं जिसमें स्पष्टतः वर्णित है कि 100 प्रतिशत आवश्यकता अधिप्राप्ति व्यापार से होनी चाहिए यदि फैक्ट्री निर्मित मद के अवयव की सामग्री लागत व्यापार लागत से अधिक हो। इसके अतिरिक्त ओ.एफ.बी. का फरवरी 2009 का परिपत्र इससे सम्बन्धित नहीं है क्योंकि यह मूल आयुध फैक्ट्रियों के उत्पादन की सीमान्त लागत व्यापार मूल्य से अधिक होने के मामले से सम्बन्धित है।

इस प्रकार ओ.एफ.बी. के दिसम्बर 2006 के परिपत्र का उल्लंघन करके व्यापार लागत से अधिक ऊँची लागत पर ओ.एफ.सी. से 6.51 लाख 8 ए टेल यूनिटों की अधिप्राप्ति के फलस्वरूप ₹ 24.79 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह मामला जुलाई 2013 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)

6.3 विदेशी आपूर्तिकर्ता को विनिमय दर अन्तर की मंजूरी से अनुचित लाभ देना

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली के उल्लंघन एवं रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन की प्राप्ति के बिना आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने विदेशी आपूर्तिकर्ता को विनिमय दर अन्तर के कारण ₹ 1.22 करोड़ की अतिरिक्त भुगतान की मंजूरी प्रदान करके अनुचित लाभ पहुँचाया

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली 2005 (डी.पी.एम.) के पैरा 13.14 में अनुबन्धित है कि यदि संविदा की तिथि से आपूर्ति अवधि एक वर्ष से अधिक है जिसमें आयात (विदेशी विनिमय) निहित हो, को विनिमय दर अन्तर (ई.आर.वी.) दिया जाना था। यदि आपूर्तिकर्ता की गलती के कारण आपूर्ति अवधि (डी.पी.) पुनः नियत/ बढ़ाई गई हो तो ई.आर.वी. लागू नहीं होगी। ई.आर.वी. के लिए आधार तिथि संविदा स्वीकृति की तिथि होगी।

आयुध फैक्ट्री नालन्दा के लिए नाईट्रोसेलूलोज (एन.सी.) संयंत्र की अधिप्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने अक्टूबर 2008 में मंजूरी दी। तदनुसार ओ.एफ.बी. ने एन.सी. संयंत्र की अधिप्राप्ति के लिए मैसर्स बोवाज इन्दूप्लान कैमी, आस्ट्रिया (फर्म) के साथ यूरो 15386085³⁶ (₹100.53 करोड़) के विदेशी विनिमय तत्व के साथ जनवरी 2009 में संविदा की जो कि रक्षा मंत्रालय से विधिवत अनुमोदित था। संविदा के अनुसार एन.सी. संयंत्र की आपूर्ति जुलाई 2011 तक सम्पूर्ण होनी थी।

³⁵ आपूर्तिकर्ता तथा प्राप्तकर्ता फैक्ट्रियों दोनों के प्रचालन प्रभाग वित्त प्रभाग से परामर्श करके ऐसे मामलों की समीक्षा करेंगे, जहाँ भी आयुध फैक्ट्री मूल के उत्पादों की सीमान्त लागत व्यापार मूल्य से अधिक पाई जाती है और सिस्टर-फैक्ट्रियों से ऐसी मदों की अधिप्राप्ति केवल आयुध फैक्ट्री बोर्ड के अनुमोदन के बाद ही की जाएगी।

³⁶ 1 यूरो का विनिमय दर - ₹ 65.34 संविदा की तिथि पर

हमने (जुलाई 2013) में देखा कि फर्म सुपुर्दगी अवधि का पालन करने में दृढ़ रहने में विफल रही और फर्म के अनुरोध पर ओ.एफ.बी. ने समय-समय पर मई 2013 तक संयंत्र की आपूर्ति की समय सीमा बढ़ाई। सन्तोषजनक निष्पादन परीक्षण के उपरान्त (दिसम्बर 2012) एन.सी. संयंत्र को (अप्रैल 2013) प्रभार पर ले लिया था।

हमने यह भी देखा कि मैसर्स बोवाज आस्ट्रिया द्वारा एन.सी. संयंत्र की सुपुर्दगी में विलम्ब के बावजूद ओ.एफ.बी. ने डी.पी.एम. का उल्लंघन करते हुए ई.आर.वी. की मंजूरी दी एवं एक यूरो= ₹ 72.91 के विनिमय दर पर (3 जून 2013) यूरो 1610485.90 प्रदान किए जबकि संविदा की तिथि पर एक यूरो = ₹ 65.34 के विद्यमान विनिमय दर पर था। यद्यपि संविदा रक्षा मंत्रालय से अनुमोदित थी फिर भी ओ.एफ.बी. ने नियत सुपुर्दगी अवधि के बाद भी ई.आर.वी. प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय को अनुरोध नहीं भेजा। डी.पी.एम. के अनुसार ओ.एफ.बी. कोई अतिरिक्त ई.आर.वी. प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2013) कि डी.पी.एम. 2005 जो ओ.एफ.बी. पर लागू नहीं था का डी.पी.एम. 2009 ने स्थान ले लिया जिसमें स्पष्टतः वर्णित था कि ई.आर.वी. खण्ड केवल रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डी.पी.एस.यू.) के साथ संविदा करने में सम्मिलित किया जाना था जिसमें आयात विषय-तत्त्व सम्मिलित था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था। क्योंकि डी.पी.एम. 2005 के प्रावधान जो रक्षा मंत्रालय के सभी स्कन्धों पर लागू था और इस नियम पुस्तिका के स्थान पर डी.पी.एम. 2009 का आ जाना असंगत है क्योंकि डी.पी.एम. 2009 लागू होने से पहले (जनवरी 2009) ये संविदाएं हो चुकी थी। मंत्रालय का उत्तर भी विरोधात्मक है क्योंकि एक तरफ वे यह कहते हैं कि डी.पी.एम. 2005 ओ.एफ.बी. पर लागू नहीं था और दूसरी तरफ हवाला देते हैं कि डी.पी.एस.यू. के साथ संविदा करने के लिए केवल ई.आर.वी. खण्ड का समावेश करने के लिए डी.पी.एम. 2009 संदर्भित हैं।

इस प्रकार डी.पी.एम. के प्रावधानों के उल्लंघन द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के साथ-साथ ओ.एफ.बी. ने ई.आर.वी.के कारण ₹ 1.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

6.4 निविदा पूछताछ एवं संविदा की शर्तों को हल्का करने से एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ मिला

आयुध फैक्ट्री बडमाल ने रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली के उल्लंघन में ₹ 2.58 करोड़ मूल्य की पी सी शीटों को उनका उत्पादन महीना अभिनिश्चित किए बिना स्वीकार करके एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाया। इसके साथ-साथ आयुध फैक्ट्री चंदा को पी सी शीटों के विलंबित जारीकरण के फलस्वरूप ₹ 0.67 करोड़ मूल्य के शेल्व लाइफ समाप्त पीसी शीटों का संचयन हुआ।

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डी पी एम)2009 का पैराग्राफ 7.1.2 निर्दिष्ट करता है कि संविदा में मामले विशेष के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों का समावेश होना चाहिए जैसा कि प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी)/ निविदा पूछताछ (टी ई)में उल्लिखित था।

रूस के मेसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (ओ ई एम)से प्राप्त प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के आधार पर आयुध फैक्ट्री बडमाल (ओ एफ बी एल) एवं आयुध फैक्ट्री चंदा(ओ एफ सी एच) में 125 मि.मी. उच्च विस्फोटक तथा 125 मि.मी उच्च विस्फोटक टैंक रोधी गोला बारूद (गोलाबारूद) का देशी उत्पादन प्रारंभ किया गया ।

125 मि.मी.उच्च विस्फोटक तथा उच्च विस्फोटक टैंक रोधी गोलाबारूद का उत्पादन करने हेतु ओ एफ सी एच और ओ एफ बी एल को 0.52 मि.मी.- 0.56 मि.मी (पी सी-1) और 0.29 मि.मी.- 0.34 मि.मी. (पी सी-2) सघनता वाली प्रॉक्सीलिन सेल्यूलोस शीटों की आवश्यकता थी। तदनुसार आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने ओ एफ सी एच के लिए पी सी शीटों की अधिप्राप्ति हेतु ओ एफ बी एल को केंद्रक अभिकरण के रूप में नामांकित किया।

पी सी शीटों के संबंध में मूल उपस्कर निर्माता के तकनीकी विनिर्देशन में पी सी शीटों की भंडारण अवधि उत्पादन की तिथि से छः महीने निर्दिष्ट की गई थी। छः महीने से अधिक किंतु दो वर्ष से कम अवधि के लिए भंडारण की स्थिति में पी सी शीटों का पूर्ण पुनरावृत्त विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस प्रकार पी सी शीटें जो उत्पादन की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय की थी, उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं थीं।

29120 कि.ग्रा. पी सी -1 और 9920 कि.ग्रा. पी.सी.-2 की अधिप्राप्ति हेतु ओ एफ बी एल द्वारा 19 सितम्बर 2009 में पांच विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को निविदा पूछताछ जारी की गई। निविदा पूछताछ में प्रावधान था कि प्रदान की जाने वाली सामग्री नूतन उत्पादन की खेपों में से होनी चाहिए तथा आवश्यक प्रलेखों को अग्रेषित करते समय उत्पादन के वर्ष के साथ-साथ महीने की पुष्टि की जानी चाहिए। हमने देखा (जनवरी 2012) कि यद्यपि पी सी शीटों की भंडारण अवधि उत्पादन की तिथि से गिनी जाएगी, फिर भी निविदा पूछताछ में केवल ' उत्पादन के महीना' का उल्लेख था, न कि ' उत्पादन की तिथि ' का।

निविदा पूछताछ के उत्तर में रूस के मेसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और यूक्रेन के मेसर्स टास्को एक्सपोर्ट (टी ई यू) से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा मेसर्स टी ई यू के प्रस्ताव को निम्नतम पाया गया। तदनुसार ओ एफ बी एल और मेसर्स टी ई यू के बीच अक्टूबर 2009 में 554368 यू एस डालर (1यू एस डालर =₹ 14.20 की दर से ₹ 2.70 करोड़) की कुल लागत पर 29120 कि.ग्रा (पी सी-1) और 9920 कि.ग्रा. (पी सी-2) की अधिप्राप्ति हेतु एक संविदा की गई तथापि यह देखा गया(जनवरी 2012)कि ओ एफ बी एल ने रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली और मूल उपस्कर निर्माता के तकनीकी विनिर्देशनों के उल्लंघन में उत्पादन की वास्तविक तिथि से संबंधित खंड को संविदा में सम्मिलित नहीं किया था।

इसके बाद ओ एफ बी एल में मेसर्स टी ई यू (₹ 2.58 करोड़) से 29120 कि.ग्रा.(पी.सी.1)और 9920 कि.ग्रा.(पी.सी.2) शीटें प्राप्त हुई (अप्रैल 2010)। जांच प्रमाणपत्र में उत्पादन की वास्तविक तिथि के समामेलन के बिना मेसर्स टी ई यू द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाणपत्र और स्वीकृति जांच रिपोर्ट (जांच रिपोर्ट)के आधार पर ओ एफ बी एल द्वारा इन्हें प्राप्त और स्वीकार किया गया। प्राप्त पी सी शीटों में से ओ एफ बी एल ने परिवहन ठेके को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण अगस्त 2010 और फरवरी 2012 के बीच अर्थात लगभग दो वर्ष से अधिक के पश्चात 11951 कि.ग्रा. (पी सी-1) और 2550 कि.ग्रा. (पी सी-2) ओ एफ सी एच को जारी की। तथापि जून 2013 में हमारे द्वारा की गई अभिलेखों की ही जांच

से पता चला कि ओ एफ सी एच के पास भंडार में (जून 2013) ₹ 67.03 लाख मूल्य की 8880 कि.ग्रा. (पी.सी.-1) और 1266 कि.ग्रा (पी सी -2) शीटें पड़ी थी। चूंकि पी सी शीटों का शेल्फ लाइफ समाप्त हो गई थी, इसलिए उनके उपयोग की संभावना कम थी।

ओ एफ बी एल ने कहा (जनवरी 2012)कि संविदा इसका स्पष्ट उल्लेख था कि आपूर्ति किए जाने वाले भंडार नए अर्थात चालू वर्ष में उत्पादित थे तथा उसमें सभी नवीनतम सुधारों व आशोधनों को सम्मिलित करेंगे। ओ एफ बी एल ने यह भी कहा (नवंबर 2013) कि उन्हें प्राप्त पी सी शीटों की वास्तविक उत्पादन तिथि का मेमर्स टी ई यू द्वारा उल्लेख नहीं किया गया था, किंतु मेमर्स टी ई यू द्वारा उत्पादन वर्ष का उल्लेख जांच प्रमाणपत्र में “चालू वर्ष अर्थात 2009-10” के रूप में किया गया था।

यह उत्तर तथापि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा पूछताछ में केवल ‘ उत्पादन का महीना ’ सम्मिलित किया गया था, जबकि संविदा में उत्पादन का वर्ष सम्मिलित किया गया। इसने मूल उपस्कर निर्माता के तकनीकी विनिर्देशन की आवश्यकता तथा रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली के पैराग्राफ 7.1.2 को हल्का कर दिया। इसके अतिरिक्त पी सी शीटें जैसी सीमित शेल्फ लाइफ वाली संवेदशील मदों के लिए जहां भंडारण अवधि सीमित है, जांच प्रमाणपत्र के आधार पर पी सी शीटों की अधिप्राप्ति और प्राप्ति के दौरान उत्पादन की वास्तविक तिथि के समामेलन का आग्रह किया जाना चाहिए था।

ओ एफ बी एल द्वारा परिवहन ठेके को अंतिम रूप देने में हुए विलंब को स्वीकार करते हुए आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने कहा (सितंबर 2013) कि ओ एफ सी एच में उपलब्ध पी सी शीटों का लाभकर रूप में उपयोग करने हेतु यह मामला सी क्यू ए (गोला बारूद) किरकी/ सी क्यू ए (एम ई) के साथ उनकी पुनःजांच के लिए उठाया जा रहा था तथा पुनः जांच हेतु आवश्यक आयातित रसायन नवंबर 2013 में पहुँच जाएगा।

यह उत्तर तथापि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ओ एफ सी एल के भंडार में पड़ी शीटों की शेल्फ लाइफ उनकी प्राप्ति की तिथि से गिने जाने पर भी समाप्त हो चुका था और इसलिए पुनरावृत्त विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, ओ एफ सी एच में पी सी शीटों की पुनःजांच हेतु रसायनों का आयात करने से कोई प्रयोजन नहीं होगा।

इस प्रकार संविदा में पी सी शीटों के उत्पादन की वास्तविक तिथि से संबंधित खंड का समावेश करने में ओ एफ बी एल की विफलता और फर्म के जांच प्रमाणपत्र के आधार पर उसकी स्वीकृति ने ₹ 2.58 करोड़ मूल्य की पी सी शीटों की वास्तविक समाप्ति की तिथि अभिनिश्चित करने की संभावना को रोक दिया था। इसके साथ- साथ ओ एफ बी एल द्वारा परिवहन ठेके को अंतिम रूप देने में हुए विलंब के कारण ओ एफ सी एच को पी सी शीटों को विलंबित जारीकरण किया गया, जिसके फलस्वरूप ओ एफ सी एच में ₹ 0.67 करोड़ मूल्य के 10146 कि.ग्रा जीवनकाल समाप्त पी सी शीटों का संचयन हुआ।

यह मामला जून 2013 में मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)

विनिर्माण

6.5 खाली शेलों के निराकरण के कारण हानि और परिणामस्वरूप भंडार का अवरोधन

प्रमाण प्रक्रिया का समाधान करने में उत्पादन और निरीक्षण अभिकरण विफल रहे, ₹ 2.78 करोड़ मूल्य के खाली शेलों के निराकरण के कारण उत्पन्न हुए। (आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा उत्पादन) इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.28 करोड़ की भंडार अप्रयुक्त पड़ा रहा।

एक दक्षिण अफ्रीकी फर्म³⁷ (ओ.ई.एम.) के साथ जून 1998 में प्रौद्योगिक कि हस्तांतरण (टी.ओ.टी.) के समझौते के आधार पर आयुध फैक्ट्री ने अक्टूबर 2000 से शैल 155 मि.मी. प्रदीप्त गोलाबारूद का स्वदेशी विनिर्माण किया। आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) एवं आयुध फैक्ट्री देहू रोड़ (ओ.एफ.डी.आर) नियन्त्रणालय गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (गोलाबारूद) किरकी (सी.क्यू.ए./ए) के निरीक्षण कवरेज में क्रमशः खाली शैल के विनिर्माण एवं गोलाबारूद असैम्बलिंग भरने के कार्य में लगी हुई थी। (सी.क्यू.ए./ए) गुणवत्ता आश्वासन के साथ गोलाबारूद की प्रमाण कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है।

जुलाई 1998 में प्रमाण कार्यप्रणाली को अन्तिम रूप देने के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) ने एक कार्य दल को गठित किया जिसके अध्यक्ष आयुध फैक्ट्री अम्बाझारी के वरिष्ठ महाप्रबन्धक एवं प्रतिनिधियों के रूप में आयुध फैक्ट्री³⁸ एवं महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन³⁹ डी.जी.क्यू.ए. थे। प्रमाण कार्यप्रणाली के साथ-साथ विनिर्दिष्ट है कि गोलाबारूद के खाली शेलों (खोखलो) को 397 ± 8 एम.पी.ए.⁴⁰ के अधिकतम प्राप्य दाब का चार्ज-9 पर होना चाहिए।

तदनन्तर, ओ.एफ.सी. द्वारा अक्टूबर 2000 में 100 खोखलों का पायलट जत्था का विनिर्माण एवं ओ.एफ.डी.आर. द्वारा भरे गये की जाँच की और पारित किया गया (जून 2001)। इसके बाद ओ.एफ.सी. को ओ.एफ.डी.आर. से 17018 खोखलों की अन्तर फैक्ट्री माँगे प्राप्त हुई जिसके विरुद्ध ओ.एफ.सी.ने 18 खेपों में 9410 खोखलों की आपूर्ति की गई जो सी.क्यू.ए./ए से विधिवत वसूली प्रमाण स्वीकृत थे। इस के बाद ओ.एफ.डी.आर. ने खोखले को भर तथा अप्रैल 2002 तथा जून 2009 के बीच सेना को 9069 भरे हुए गोला बारूद को निर्गमित किया।

लेखापरीक्षा में फरवरी 2012 में हमने देखा कि ओ.एफ.सी. ने नवम्बर 2007 में 19 खेपों के समाविष्ट 966 खोखलों का विनिर्माण किया जिसका जनवरी 2008 में सी.क्यू.ए / ए द्वारा जाँच संचालन करने पर ड्राईविंग बैंड के पृथक्करण, ड्राईविंग बैंड में आंशिक चिकनापन, ड्राईविंग बैंड पर भारी डबल नक्काशी के कारण नामंजूर कर दिए। ओ.एफ.सी. द्वारा दोषपूर्ण खोखलों का निर्माण सी.क्यू.ए./ए.द्वारा नामंजूरी का कारण बताया गया।

ओ.एफ.सी./ ओ.एफ.बी. ने टी.ओ.टी. में विहित की गई उच्च प्रभार (चार्ज-9 वृद्धि) पर जाँच के दौरान खोखलों पर जस्ूरत से अधिक उर्जा उत्पन्न होने के कारण उन्नीसवीं खेप को

³⁷ नसचेम मैसर्ज डैनिल का एक प्रभाग, दक्षिणी अफ्रीका

³⁸ आयुध फैक्ट्री अम्बाझारी, चंदा, देहू रोड़, बोलनगीर और इटारसी

³⁹ नियन्त्रणालय गुणवत्ता आश्वासन (गोला बारूद) किरकी एवं वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना, अम्बाझारी ।

⁴⁰ मेगापास्कल- दाब की एकक

नामन्जूर कर दिया। फिर भी डी.जी.क्यू.ए ने कहा कि एक कार्य दल द्वारा (इस विषय पर खोखलों पर 397 ± 8 एम.पी.ए. का दबाव महसूस करने का चार्ज-9 वृद्धि) प्रमाण कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के आधार पर खोखले नामन्जूर हुए थे।

यद्यपि तक कि दिसम्बर 2008 - जून 2011 तक मंत्रालय, डी.जी.क्यू.ए. एवं आयुध फैक्ट्रियों के स्तर पर कई बैठकें आयोजित की गईं। लेकिन यह मामला अनसुलझा रहा। तत्पश्चात् डी.जी.क्यू.ए. ने ओ.इ.एम को यह मामले भेजे जिसने अगस्त 2010 में स्पष्ट किया कि खोखले 440 एम.पी.ए. तक दबाव को सहन कर सकता था एवं 440 एम.पी.ए. के अधिकतम दाब तक खोखलों की पुनः प्राप्यता का प्रमाण देने के निर्देश दिए।

तथापि ओ.एफ.डी.आर.में उन्नीसवीं खेप के रखे हुए खोखलों का कोई परीक्षण नहीं होने से (जुलाई 2012) में ओ.एफ.सी का (₹ 2.78 करोड़) के इन खोखलों के अनुचित भण्डारण के फलस्वरूप जंग लगने से लौटा दिया। इसके बाद (जून 2012) में महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन ने ओ.एफ.बी/ ओ.एफ.सी. को डिजाईन की क्षमता के मूल्यांकन के लिए 100 शैल बोडिज को नयी खेप के उत्पादन का निर्देश दिया। तथापि यह तक प्रतिक्षित था। (अक्टूबर 2013)

परिणामस्वरूप, ओ.एफ.सी. से प्रमाणित पारित खोखले उपलब्ध न होने के कारण जून 2009 में ओ.एफ.डी.आर. ने कोई भी भरा हुआ गोला बारूद सेना को निर्गमित नहीं किया। परिणामस्वरूप, तीन आयुध⁴¹ फैक्ट्रियों में ₹ 10.28 करोड़ मूल्य का भंडार अवरोधित रहा।

जुलाई 2013 में त्रुटिपूर्ण खोखलों पर हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रत्युत्तर में सी.क्यू.ए./ए ने अक्टूबर 2013 में कहा कि चूंकि पायलट खेप एवं 18 अन्य खेपों में कोई त्रुटि न दिखाई दी, यह अनुसूची जाँच प्रतिबन्धों के अनुसार कार्यवाही की गई थी जो कार्य दल द्वारा ग्रहण की थी एवं ओ.एफ.सी. द्वारा प्रतिवेदित खोखलों का उन्नीसवाँ खेप की त्रुटि दोषपूर्ण उत्पादन के कारण उजागर हुई। सी.क्यू.ए./ ए ने इसके अतिरिक्त यह कहा कि ओ.एफ.डी.आर. में अनुचित भण्डारण से 966 खोखलों से निर्मित उन्नीसवाँ खेप में जंग लग गया।

सितम्बर 2013 में ओ.एफ.बी. ने कहा कि ओ.एफ.सी. से उत्पादित खोखले पहले चौदह खेपे का चार्ज-9 के साथ 270 एम.पी.ए. से 314 एम.पी.ए. दाब महसूस के लिए फायर प्रूफ हो चुका था जबकि अप्रैल 2007 में सी.क्यू.ए./ ए ने दाब में संशोधन के फलस्वरूप प्रूफ फायरिंग के लिए पन्द्रहवीं खेप 397 ± 8 एम.पी.ए. पर संचालन किया (जो 345 एम.पी.ए. के सेवा दाब से 15 प्रतिशत अधिक था) । ओ.एफ.बी. ने इसके अतिरिक्त कहा कि यहाँ पर सोलहवीं खेप से अठारहवीं खेप के उच्चतर दाब पर प्रमाण में पारित हुए थे। ओ.एफ.बी ने इसके अतिरिक्त कहा कि ओ.एफ.सी. से 100 शैल का नयी उत्पादित खेप वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (शस्त्र) कानपुर से प्रेषण की अनुसूची की अनुमानित तिथि की प्रतिक्षा के कारण से डिजाईन के क्षमता के लिए अभी प्रमाणित होना था।

तथापि ओ.एफ.बी. का उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि आयुध फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों एवं डी.जी.क्यू.ए से गठित कार्य दल ने प्रमाण कार्यप्रणाली को अन्तिम रूप दिया (मई 1999) बशर्ते कि 397 ± 8 एम.पी.ए. के दाब महसूस को चार्ज-9 वृद्धि पर खोखले एवं सोलहवीं खेप एवं अठारहवीं खेप के अधीन खोखले उत्पादित ओ.एफ.सी. ने यहाँ तक कि 397 ± 8 एम.पी.ए. के दाब महसूस को चार्ज-9 वृद्धि के प्रमाण पर भी पारित करने का निर्णय लिया था।

⁴¹ आयुध निर्माणी कानपुर, आयुध निर्माणी देहू रोड़, एवं मशीन टूल प्रोटोटाईप फैक्ट्री अम्बरनाथ

तथापि तथ्य यह है कि उत्पादन एवं गुणवत्ता आश्वासन अभिकरणों के जनवरी 2008 से ₹ 2.78 करोड़ के खोखलों का एक खेप की नामन्जूरी से सम्बन्धित मामले के समाधान में विफलता के कारण ₹ 10.28 करोड़ मूल्य की वस्तु-सूची का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त ओ.एफ.डी.आर. में अनुचित भण्डारण से भी खोखलों की प्रमाणिता के डिजाईन की क्षमता में विलम्ब से ₹ 2.78 करोड़ मूल्य के खोखलों के शैलों में जंग लगने का कारण हुआ।

मामला जुलाई 2013 में रक्षा मंत्रालय भेजा गया, उनका उत्तर नवम्बर 2013 तक प्रतिक्षित था।

6.6 7.62 मि.मी. के पीतल के कपों एवं गोला बारूद में अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण के परिणामस्वरूप हुए अस्वीकरण के कारण ₹ 7.42 करोड़ का नुकसान

आयुध फैक्ट्री कटनी ने अपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण के फलस्वरूप दोषयुक्त, 7.62 मि.मी. के पीतल के कपों को आयुध फैक्ट्री वारांगंवा को जारी किया जिसने इन कपों को गोला बारूद के उत्पादन के लिए उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप पीतल के कपों एवं गोला बारूद के अस्वीकरण के कारण ₹ 7.42 करोड़ का नुकसान हुआ।

आयुध फैक्ट्री (ओ.एफ) का गुणवत्ता नियंत्रण (क्यु.सी) अनुभाग निर्माण प्रक्रिया के दौरान होने वाले स्टेज/ इंटर स्टेज निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। आयुध फैक्ट्री, अम्बरनाथ, (ओ.एफ.ए) द्वारा तैयार किए हुए 7.62 मि.मी. के पीतल के कपों के गुणवत्ता योजना के अनुसार भिन्न उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसकी 100 प्रतिशत जाँच करना अनिवार्य है। जुलाई 2011 में हुए, रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी) , महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी.जी.क्यु.ए) एवं आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी) के बीच हुई बैठक में यह परिकल्पित किया गया कि 100 प्रतिशत जाँच करवाना एवं गैर अनुरूपता-दोष को समाप्त करने की जिम्मेदारी क्यु.सी. अनुभाग की है। अनुबंधकर्ताओं को उत्पाद जारी करने से पहले उनकी गुणवत्ता का आश्वासन करने की जिम्मेदारी महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी.जी.क्यु.ए) की है। इस तरह ओ.एफ और डी.जी.क्यु.ए संयुक्त तथा अलग-अलग तरीकों से उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ओ.एफ.ए एवं आयुध फैक्ट्री, कटनी (ओ.के.ए.टी.) दोनों, आयुध फैक्ट्री वारांगंवा द्वारा 7.62 मि.मी. के निर्माण के लिए, उपयोग में लाए जाने वाले नॉटो⁴² पीतल के कपों का उत्पादन करते हैं। पीतल के कपों, के उत्पादन के दौरान कड़ी गुणवत्ता नियंत्रण यानी 100 प्रतिशत निरीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि अगर एक भी राउंड टूट जाए तो, समूचे गोलाबारूद के लॉट को स्वीकार्य गुणवत्ता सतह के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। तथापि, दोनों ही फैक्ट्रियाँ नमूना विधि के आधार पर क्यु. सी निरीक्षण करती हैं।

2009-10 से 2012-13 के दौरान ओ.के.ए.टी. ने क्यु.ए.इ (एम)⁴³ कटनी द्वारा निरीक्षित और पारित 191.72 एम.टी. पीतल के कपों की आपूर्ति ओ.एफ.वी. को की। हमने लेखा निरीक्षण (नवम्बर 2011) के दौरान यह अवलोकन किया कि नवम्बर 2009 से ओ.के.ए.टी द्वारा ओ.एफ.बी. को आपूर्ति कप निर्माण दोषयुक्त⁴⁴ थे। वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना

⁴² नार्थ एटलांटिक ट्रीटी आरगेनाइजेशन

⁴³ ओ.एफ.बी को जारी करने से पहले डी.जी.क्यु.ए के अधिकार में आने वाले गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (मेटल) जो कि पीतल के कपों के गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है

⁴⁴ कपों के उभार पर गहरे खरोंच एवं कटने के निशान, कपों की असम्मित आकृति, कपों पर कटने के निशान, परतों वाला उभार, छोटी उंचाई/ लम्बाई.

(गोलाबारूद) वारांगाओं (एस.क्यू.ए.इ)⁴⁵ द्वारा ओ.एफ.वी. निर्माणित इन कपों का उपयोग करके उत्पादन किए गए 2010 के गोलाबारूद के एक लॉट के दोहरे पुनः परीक्षण में एक टूट के साथ 5 विखंडन पाए गए। ओ.के.ए.टी. दल ने ओ.एफ.वी. की शिकायत सुनने के दौरान संयुक्त बैठक में यह स्वीकार किया (सितम्बर 2010) कि कपों में दोष खराब कारीगरी के साथ धातुकर्मीय दोष के कारण भी थे। तथापि, दलों ने ओ.एफ.बी. को भविष्य में दोषयुक्त कपों की आपूर्ति नहीं करने का आश्वासन दिया।

ओ.एफ.बी. ने (अक्टूबर 2010) में 7.62 मि.मी. के पीतल के कपों के निर्माण के लिए, महा प्रबन्धक ओ.एफ.ए की सभापतित्व में, ओ.के.ए.टी. में प्रक्रिया लेखापरीक्षा के लिए एक दल का गठन किया। इस दल ने ओ.के.ए.टी. के गुणवत्ता नियंत्रण तथा उत्पादन में गहरे विसामान्यताओं एवं दोषों को पाया। अक्टूबर 2010 में दल ने ओ.के.ए.टी. में कार्यान्वयन के लिए 4 मुख्य उपचारी उपायों⁴⁶ की सिफारिश की।

हमने उत्पादन रिकार्डों की संवीक्षा के दौरान पाया (नवम्बर 2011) कि ओ.के.ए.टी. ने गुणवत्ता समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए न तो प्रक्रिया लेखापरीक्षा दल द्वारा सिफारिशी, प्रत्यक्ष पढ़ने वाले स्पेक्टोमीटर ना ही हार्डनेस टेस्टर को स्थापित किया था। इसके बजाय उन्होंने वही विषमतायुक्त 9.69 एम.टी. पीतल के कपों को ओ.एफ.वी. को जारी कर दिया, जिसमें से ₹ 23.93 लाख की लागत वाले 6 एम.टी कप उनके उभार की मोटाई कम होने के कारण से ओ.एफ.वी. द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए। ओ.एफ.वी. द्वारा किए गए धातुविज्ञान जाँच (अप्रैल 2011) में इन दोषों को निर्दिष्ट सीमा से बढ़कर कठोर होने, भारी आक्साइड की उपस्थिति एवं प्रेस औजारों पर धातु चिपकने के कारण बताया। बाद में, ओ.के.ए.टी. द्वारा उत्पादित ₹ 97.35 लाख की लागत वाले 15 एम.टी कप को क्यू.ए.इ (एम) कतनी द्वारा, ए.क्यू.एल पर फिर खरा न उतरने के कारण एक बार फिर अस्वीकृत कर दिया गया (सितम्बर 2011)। तथापि, ओ.के.ए.टी. ने क्यू.ए.इ (एम) की सहमति के बिना उन 15 एम.टी कप को निजी जोखिम पर ओ.एफ.वी. को प्रेषित कर दिया (सितम्बर/ अक्टूबर 2011)। ओ.एफ.बी. ने एक बार फिर पूरी प्रेषण को अस्वीकार कर दिया एवं ओ.के.ए.टी. को जून 2013 में 1.50 एम.टी कपों को परीक्षण में उपभोग करने के बाद 13.50 एम.टी कपों को लौटा दिया।

आगे हमने देखा (नवम्बर 2011) कि ओ.एफ.बी. द्वारा 2011 में उत्पादित ₹ 6.20 करोड़ की लागत वाले, दोषयुक्त कपों वाले (ओ.के.ए.टी.द्वारा दिसम्बर 2010 और मई 2011 के बीच में आपूर्तित) 22.50 लाख 7.62 मि.मी. गोलाबारूद⁴⁷ प्रूफ परीक्षण में असफल होने एवं पूरी तरह टूट जाने के कारण फरवरी और जुलाई 2011 के बीच अस्वीकृत कर दिए गए। कारणों के जाँच के लिए ओ.एफ.बी. द्वारा गठित (मई 2012) बोर्ड आफ इन्क्वाइरी (बी.ओ.ई) ने इस असफलता के लिए खराब/ दोषयुक्त पीतल के कपों को उत्तरदायी (जून 2012) ठहराया जिनमें संसाधन के दौरान पतली दरारें पड़ने की एवं गोलाबारी के दौरान टूट जाने की संभावना थी। ₹ 6.20 करोड़ की लागत वाले, अस्वीकृत गोलाबारूद का क्षति विवरण अक्टूबर 2013 तक तैयारी/ निर्णायक चरण में था।

⁴⁵ डी.जी.क्यू.ए के अधिकार में आने वाले एस.क्यू.ए.इ आपूर्तिकर्ताओं को जारी करने से पहले गोलाबारूद के गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है

⁴⁶ i) लगातार कास्ट कायल बनाने वाली प्रक्रिया से हुई मिलिंग स्वार्फ को उपयोग न करना, ii) गलन तापमान को नियंत्रण में रखना एवं आवश्यकता अनुसार भट्ठी तापमान को रोकना iii) पढ़ने वाले स्पेक्टोमीटर की स्थापना: iv) कप प्रोसेसिंग के दौरान हर सत्र पर हार्डनेस टेस्टर का उपयोग

⁴⁷ ओ.एफ.बी लाट सं0 4/11,24/11 एवं 31/11

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, ओ.एफ.बी. ने (अक्टूबर 2013) जारी हुए लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्रतिक्रिया (जून 2013) में कहा कि दोषयुक्त कप लॉटों में हमेशा उपलब्ध रहेंगे, परिणामस्वरूप गुणवत्ता नियंत्रण में निहित कमी के कारण गोलाबारूद असफल हो सकता है। ओ.एफ.बी. ने आगे यह भी कहा कि, दोषों को 100 प्रतिशत जाँच के द्वारा मुक्त करने के लिए बड़ी मात्रा में मशीनी एवं श्रमशक्ति की लागत लगेगी।

ओ.एफ.बी. का उत्तर अपने आप में अपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण के कारण हुए दोषयुक्त पीतल के कपों के उत्पादन को इंगित करता है। यह उत्तर इस बात पर भी मौन है कि, प्रक्रिया लेखापरीक्षा दल द्वारा सिफारिशों के गैर कार्यान्वयन के बावजूद क्यों पीतल के कपों के उत्पादन को जारी रखा गया। आगे, आवश्यकता के अनुसार, अनुबंधकर्ताओं को जारी करने से पहले उसकी 100 प्रतिशत जाँच करना एवं गैर अनुकूलता को समाप्त करना अनिवार्य है।

इस प्रकार, गुणवत्ता नियंत्रण जाँच का अभाव होने के कारण दोषयुक्त पीतल के कपों का उत्पादन हुआ, एवं अस्वीकृत गोलाबारूद और कपों से ₹ 7.42 करोड़ का नुकसान हुआ। भविष्य में आपूर्ति के लिए इस तरह के दोषयुक्त पीतल के कपों का प्रेषण नहीं हो इसके लिए कोई जवाबदेही तंत्र का निर्माण भी नहीं किया गया है।

मामला मंत्रालय में जून 2013 को प्रेषित किया गया, जिसका उत्तर नवम्बर 2013 तक प्रतीक्षित था।

6.7 पायलट नमूनों की अनुमति से पहले अधिकांश उत्पादन के कारण भंडार का अवरोधन

पायलट खेपों के परीक्षण की निष्पादन के फलीभूत होने से पहले आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा एक गोला बारूद के खोखलों की अधिकांश उत्पादन के फलस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ की भंडार का अवरोधन।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड के क्रियाविधि नियमावली (ओ.पी.एम.) में अनुबन्धित है कि एक नये मद् की अधिकांश उत्पादन सामान्यतः तबतक प्रारम्भ नहीं करनी चाहिए जबतक उपयुक्त आकार का एक पायलट जत्था निरीक्षण द्वारा पारित न हो जाए ताकि दोषपूर्ण सामग्री या दोषपूर्ण तकनीक के कारण बड़ी मात्रा में निरीक्षण में नामन्जुरी के कारण होने वाली हानि से बचा जा सके।

आयुध फैक्ट्री (बोर्ड ओ.एफ.बी.) ने (अगस्त 2008) आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) को 84 मि.मी. टारगेट प्रैक्टिस ट्रेसर गोला बारूद के खोखला काय (खोखले) का उत्पादन एवं आयुध फैक्ट्री खामरिया (ओ.एफ.के) को निर्गमित का कार्य इस उद्देश्य से सौंपा दिया गया कि गन एवं शैल फैक्ट्री कोसीपोर और आयुध फैक्ट्री अम्बाझारी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर गोला बारूद की बड़े भार का सामना किया जा सके।

तदनुसार, ओ.एफ.सी. को ओ.एफ.के से (फरवरी/मार्च 2010) आदिप्रारूप की फलीभूत स्थापना, वैधीकरण प्रक्रिया के उपरान्त पायलट जत्था का उत्पादन और क्रमशः धातुकर्मीय रूप के लिए नियन्त्रक गुणवत्ता आश्वासन (गोला बारूद) किरकी (सी.क्यू.ए./ए) और नियन्त्रक गुणवत्ता आश्वासन(धातु) ईसापुर द्वारा प्रमाणित नमूने एवं परीक्षण के प्रकार की अनुमति के फलीभूत सिद्ध करने पर 17500 खोखले की आपूर्ति करने के लिए एक अन्तर फैक्ट्री माँग

प्राप्त हुई। पायलट जत्था को फलीभूत सिद्ध होने के उपरान्त सी.क्यू.ए./ए. से बाद में बड़ी मात्रा में उत्पादन की अनुमति प्राप्त करनी थी।

हमने (नवम्बर 2011/अप्रैल 2012) देखा कि दिसम्बर 2010 एवं अप्रैल 2012 के बीच हुई पांच अवसरों में सुसंगति परीक्षणों के दौरान 125 खोखले के निर्यामक जत्था के नामन्जूर होने के बावजूद विनिर्दिष्ट मानक से उंची होरोजोन्टल स्टैण्डर डेविएशन वरटीकल स्टैण्डर डेविएशन मीन पाईन्ट आफ ईम्पैक्ट के अभिलेखन के कारण, ओ.एफ.सी ने सितम्बर 2010 एवं दिसम्बर 2010 में जारी दो अधिपत्रों के विरुद्ध 10366 खोखले की कुल लागत ₹ 0.83 करोड़ के उत्पादन को कार्यान्वित करने को कहा। हमने लेखापरीक्षा की जाँच में भी देखा कि खोखले की बड़ी मात्रा में उत्पादन से पहले सी क्यू ए से बड़ी मात्रा उत्पादन की अनुमति भी नहीं ली थी।

बड़ी मात्रा में उत्पादन का औचित्य ठहराते हुए ओ.एफ.बी ने (दिसम्बर 2012) कहा कि जी.एस.एफ में पहले ही स्थापित खोखलों की प्रक्रिया के सम्पूर्ण अध्ययन के उपरान्त ओ.एफ.सी. की सोप फ्लोर टेकनीकल टीम ने मूल्यांकन किया कि अवयवों के पूर्णतया टूल रूम के तकनीकी विशेषज्ञ राय से इन-हाउस उत्पादन लेने के लिए सम्पूर्ण आधारभूत संरचना विद्यमान थी। इसके आगे, सोप फ्लोर के विश्वास के आधार पर ओ.एफ.सी. ने बड़ी मात्रा में उत्पादन एवं आदिप्रारूप फलीभूत परिवर्धन के उपरान्त सामान जोड़ना जो विधिवत विवेचित परीक्षण से स्पष्ट हुआ, यद्यपि उचित बड़ी मात्रा में उत्पादन की अनुमति सी.क्यू.ए./ए में प्रतीक्षित थी, को स्वीकृति से पायलट खेप का उत्पादन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।

इसके आगे गुणवत्ता आश्वासन द्वारा पायलट खेप की स्वीकृति पर लेखापरीक्षा मई 2013 के प्रश्न पर ओ.एफ.बी ने कहा अक्टूबर 2013 कि पायलट खेप सभी तीनों मापदण्डों मीन पोईन्ट आफ इम्पैक्ट, होरोजोन्टल स्टैण्डर डेविएशन और वरटीकल स्टैण्डर डेविएशन पृथक-पृथक से पास नहीं हुआ था। इसके आगे कहा कि ओ.एफ.सी ने सी.क्यू.ए./ए से 160 खोखले के नये पायलट खेप के उत्पादन की और बड़ी मात्रा में उत्पादन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त उपलब्ध भंडार को बड़ी मात्रा में उत्पादन में प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त की थी।

ओ.एफ.बी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहले उनके पायलट जत्थों की निष्पादन प्राप्त हुई और ओ.एफ.बी के वर्तमान दिशानिर्देश खोखले की बड़ी मात्रा में उत्पादन के विपरीत थे। इसके आगे क्या पायलट खेप ने पृथक पृथक तीनों मापदण्डों की विनिर्दिष्ट सीमा को प्राप्त किया जैसा कि ओ.एफ.बी ने दावा किया के दिसम्बर 2010 एवं अप्रैल 2012 में संचालन के कोई प्रमाण नहीं है। ओ.एफ.बी को ₹0.83 करोड़ के खोखले की बड़ी मात्रा में उत्पादन जो अक्टूबर 2013 तक भरने की प्रक्रिया से लाभदायक प्रयोग से भी भंडार के समापन के लिए सामान को जोड़ने से निकाल लेने की गतिविधियों से किसी भी उपाय से अपने दायित्व से छुटकारा नहीं हो सकता।

इस प्रकार, ओ.पी.एम. के सकल उल्लंघन करके ओ.एफ.बी ने बड़ी मात्रा में 10366 खोखले के उत्पादन प्रमाणिकता पायलट जत्था के फलीभूत अनुमति के बिना ₹ 0.83 करोड़ मूल्य के खोखले एवं ₹ 1.30 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति सूची संचित की।

मामला मई 2013 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया उनका उत्तर प्रतिक्षित था। (नवम्बर 2013)

विविध

6.8 लेखापरीक्षा के संकेत पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के संकेत पर 18 आयुध फैक्ट्रियों एवं महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन नई दिल्ली के तीन निरीक्षणालयों ने ₹ 2.09 करोड़ वसूल किए।

लेखापरीक्षा (मई 2011 से फरवरी 2012) के दौरान हमने अनियमित भुगतान, प्रभार आदि की कम/ गैर वसूली के मामले देखे। लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर कार्यवाही करते हुए 18 आयुध फैक्ट्रियों एवं महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन नई दिल्ली के तीन निरीक्षणालयों ने सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए लाईसेंस शुल्क/ बिजली प्रभार/ इन्धन समायोजन प्रभार/ क्षतिग्रस्त कारतूसों के डिब्बे की लागत, मोटर साईकिल/ मोपेड अग्रिम/ बाल शिक्षा भत्ता/ वेतन एवं भत्तों की ₹2.09 करोड़ की वसूली की।

यह मामला जुलाई 2013 में रक्षा मंत्रालय भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

नई दिल्ली
दिनांक: 20 दिसम्बर 2013

(वेंकटेश मोहन)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 23 दिसम्बर 2013

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट- I

(पैराग्राफ 1.9 में संदर्भित)

लम्बित ए.टी.एनस.की स्थिति

रक्षा मंत्रालय - आयुध फैक्ट्री बोर्ड को छोड़कर

(i) दस वर्ष से अधिक समय से बकाया

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
1.	संघ सरकार (रक्षा सेवायें) का वर्ष 1985-86 हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	34*	कम/दोषपूर्ण आपूर्ति को प्रदर्शित करने में विलंब के कारण हानि
2.	1988 की संख्या 2	9**	बाजार से योद्धा पोशाक का क्रय
3.	1989 की संख्या 2	11**	155 मिमी खिंचाव वाले तोप प्रणाली एवं गोलाबारूद की खरीद एवं लाइसेंस उत्पादन
4.	1990 की संख्या 12	9**	(अ) 155 मिमी वाले तोप प्रणाली एवं गोलाबारूद की खरीद एवं लाइसेंस उत्पादन एवं (ब) विरुद्ध व्यापार के लिए बोफोर्स के साथ अनुबंध
5.		10*	तोप प्रणाली का प्रवर्तन और अप्रवर्तन
6.		19*	पुराने प्रकार के गोलाबारूद का आयात
7.		46**	राशन मद-दाल
8.	1991 की संख्या 8	10*	आवश्यकता से अधिक भंडारों की अधिप्राप्ति
9.		13*	केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा
10.		17**	चना दाल की अधिप्राप्ति पर व्यर्थ व्यय
11.	1992 की संख्या 8	20**	एक आयुध डिपो में अवमानक सामानों की अधिप्राप्ति
12.		28**	उपयोग नहीं किए जा रहे रक्षा ट्रेकों के रखरखाव प्रभारों का परिहार्य भुगतान
13.	1993 की संख्या 8	15**	परिसंपत्तियों का अनुपयोग
14.		22**	कोरुगेटिड कार्ड बोर्ड बॉक्सों का अधिक प्रावधान
15.		29*	पर्वतारोहण उपस्कर और क्रीड़ा बॉक्सों का आयात
16.		31*	संरोध प्रभारों का परिहार्य भुगतान
17.	1997 की संख्या 7	18*	रक्षा-भूमि का प्रबंधन
18.		23**	क्षति प्रभारों का परिहार्य व्यय
19.		27**	रेलवे से दावों की वसूली न होना
20.		69**	ब्लास्ट पेनों एवं टैक्सी पथ का दोषपूर्ण निर्माण
21.	1998 की संख्या 7	30**	कंटेनर डिटेन्शन प्रभारों का परिहार्य भुगतान
22.		32*	अवमानक सिलेंडरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
23.		36**	उच्च दरों पर बैटरियों की अधिप्राप्ति
24.	2000 की संख्या 7	52***	विजयंत टैंक का शक्ति संवर्धन

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
25.	2001 की संख्या 7	15**	एक अपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति
26.		19**	मनोरंजन फिल्मों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
27.		32*	युमुफ्रक्टस की विक्रय राशि को रेजिमेंटल निधि में गलत जमा करना ।
28.	2001 की संख्या 7ए	@संपूर्ण प्रतिवेदन (42 पैरों में से 8 का एटीएन अभी पहली बार भी प्राप्त होना बाकी है)	ऑपरेशन विजय (थलसेना) के लिए की गयी अधिप्राप्तियों की पुनरीक्षा
(ii) पाँच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक का बकाया			
29.	2003 की संख्या 6	2*	रक्षा भूमि का दोहन
30.		11**	लेखापरीक्षा के बताने पर की गई वसूलियाँ
31.		14*	कार्मिकों की अनियमित भर्ती
32.	2004 की संख्या 6	3.2*	लेखा परीक्षा के बताने पर वसूलियाँ/ बचतें
33.	2005 की संख्या 6	3.2*	लेखापरीक्षा के बताने पर की गई वसूलियाँ/बचतें
34.	2005 की संख्या 18(निष्पादन लेखापरीक्षा)	एकल प्रतिवेदन**	महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन की निष्पादन लेखापरीक्षा
35.	2007 की प्रतिवेदन संख्या 4	3.3**	शैक्षणिक संस्थाएँ चलाने के लिए रक्षा परिसंपत्तियों तथा लोक निधियों का अनधिकृत उपयोग
36.		3.5*	लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियाँ/बचतें
37.		6.2**	प्रति विद्रोह भत्ते का अनियमित भुगतान
(iii) तीन से पाँच वर्षों के बीच का बकाया			
38.	2008 की प्रतिवेदन संख्या सीए 4	3.2**	कम्बलों की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय
39.		3.3**	लेखा परीक्षा के बताने पर वसूलियाँ बचतें
40.		3.4**	दोषपूर्ण गोलाबारूद की स्वीकृति से परिहार्य हानि
41.	2008 की प्रतिवेदन संख्या पीए संख्या 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	अध्याय-1*	थलसेना में सामान्य भंडार और कपड़ों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
42.	2008-09 की प्रतिवेदन संख्या सीए 17	2.7*	थलसेना गोल्फ क्लब के द्वारा अधिग्रहित जमीन के पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया जाना
43.		3.4*	थलसेना वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ए -1 रक्षा भूमि का अनधिकृत उपयोग
44.		3.5***	सरकारी परिसम्पत्तियों का गैर सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग
45.		3.10***	लेखा-परीक्षा के बताने पर वसूलियाँ और बचतें
46.		4.1*	नए निर्माण कार्यों के संपादन के लिए एक प्रोजेक्ट के बचत का अनियमित विचलन
(iv) तीन वर्ष तक का बकाया			
47.	2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 12	2.1**	त्रुटिपूर्ण स्मर्च मल्टीबैरल सॉकेट लांचर सिस्टम का आयात
48.		3.2*	पंच टैप कंसर्टिना कॉइल की अनियमित अधिप्राप्ति
49.		3.6***	लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियाँ और बचतें

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
50.		4.1*	गोल्फ क्लब के लिए आवास का अनियमित अनुमोदन एवं निर्माण
51.		4.3*	उपयोगकर्ताओं के अनिर्णय के कारण कार्य निष्पादन पर अतिरिक्त व्यय
52.		5.2**	सरकारी भंडारों का अपयोजन
53.	2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	एकल प्रतिवेदन***	भारतीय थल सेना में राशनों के आपूर्ति शृंखला प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा
54.	2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 14 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	एकल प्रतिवेदन***	कैन्टीन स्टोर विभाग
55.	2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 35 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	एकल प्रतिवेदन*	रक्षा संपदा प्रबंधन
56.	2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 11(निष्पादन लेखापरीक्षा)	सम्पूर्ण प्रतिवेदन*	आदर्श कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर विशेष प्रतिवेदन
57.	2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 24	2.5*	दोषपूर्ण प्रेषण-पूर्व निरीक्षण
58.		3.1*	उच्चतर मूल्यों को स्वीकारने से अधिक व्यय
59.		3.3**	फील्ड क्षेत्र भत्ते का अनियमित भुगतान
60.		3.4**	पट्टे वाली भूमि पर निर्मित घरों को अनियमित किराये से मुक्त करना
61.		3.5*	केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो में अग्नि-शमन कर्मचारियों की कमी
62.		3.6**	सूखी घास के लेखांकन में हुए अनियमितता के कारण ₹1.19 करोड़ की हानि
63.		3.8***	वैध - निविदा की अस्वीकृति के कारण से परिहार्य व्यय
64.		3.9*	गेहुं पीसने वाले अनुबंध में निदेशित धारा को समावेश नहीं किए जाने के कारण से हुई हानि
65.		3.10**	टीपर्स का अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति
66.		3.11**	किराये पर लिए हुए सिविल परिवहन ठेकेदारों को अनियमित भुगतान
67.		3.13*	विदेशी विक्रेता से दोषपूर्ण पूर्जों की अधिप्राप्ति
68.		3.14***	लेखा परीक्षा की आपत्ति पर वसूलियाँ और बचतें
69.		4.1**	बिजली बिलों का अधिक भुगतान
70.		5.1**	पुल ढह जाने से हुई हानि
71.		5.2**	संस्वीकृति के बारह वर्षों के उपरांत भी पुल की अपूर्णता
72.	2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 16	2.1*	सरकारी भूमि के पट्टे के नवीनीकरण से राजस्व की हानि
73.		2.2*	रक्षा भूमि की गैरकानूनी बिक्री
74.		2.3*	अहमदनगर छावनी बोर्ड में प्रवेश्य वाहनों पर लाइसेंस फीस न लेने से हानि
75.		2.5***	स्वदेशी डिजाइन/निर्मित गोलाबारूद की हानि
76.		3.1***	आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के लाभार्थ रक्षा सम्पत्तियों एवं मानवशक्ति का अनधिकृत उपयोग

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
77.		3.2*	फिल्ड गनों के लिए मोडुलर चार्ज प्रणाली के विकास पर निष्फल व्यय
78.		3.3**	रक्षा भूमि के व्यवसायिक दोहन से सुरक्षा करने में मुख्यालय दक्षिणी कमान की विफलता
79.		3.4*	छावनी बोर्ड पुणे को संरक्षण प्रभागों का अधिक भुगतान
80.		3.5**	गोला बारूद की अधिक आवश्यकता का निर्धारण
81.		3.6***	यथोचित एल-1 दरों की अस्वीकृति के कारण फालतू व्यय
82.		3.7***	लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियां, बचतें एवं खातों में समायोजन किया जाना
83.		4.1*	गैरीसन इंजीनियर कैम्पटी द्वारा जल-प्रभार का भुगतानाधिक्य
84.		4.2**	गैरीसन इंजीनियर, हिसार द्वारा जल-प्रभार का अधिक भुगतान
85.		4.3**	घटिया बंकरों का निर्माण
86.		4.4*	ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान
87.		5.2***	आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान करना
88.		7**	अनुसंधान और विकास स्थापना (इंजीनियर्स) में परियोजना प्रबन्धन
89.	2012-13 का प्रतिवेदन संख्या 18	समस्त प्रतिवेदन*	रक्षा सेवाओं में चिकित्सा स्थापना की निष्पादन लेखापरीक्षा

* कार्यवाही नोट जो लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित है लेकिन मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा की अभियुक्तियों के प्रकाश में निर्णीत किया जाना शेष है-37

** लेखापरीक्षा द्वारा ए.टी.एनस के विधिवत परीक्षा के उपरांत अंतिम रूप दी गई ए.टी.एन. जो कि मंत्रालय से प्रतिक्रित है-38

*** प्रथम बार भी प्राप्त नहीं हुई कार्यवाइयों की टिप्पणियां -13

@ प्राप्त आंशिक ए.टी.एन -01

परिशिष्ट- II

(पैराग्राफ 6.1.4.1 में संदर्भित)

आयुध फैक्ट्रियों में वर्ष 2011-12 के लिए स्पिलओवर मुद्दों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	फैक्ट्री का नाम	उत्पादन लागत ¹	स्पिलओवर मुद्दे					योग
			थलसेना	नौसेना	वायु सेना	गृह मंत्रालय राज्य पुलिस सहित	अनुसंधान एवं विकास /अन्य रक्षा डिपो	
1.	वाहन फैक्ट्री जबलपुर	1433.67	854.92	शून्य	शून्य	0.99	शून्य	855.91 ²
2.	आयुध फैक्ट्री बडमाल	605.74	281.68	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	281.68 ³
3.	आयुध फैक्ट्री खामरिया	1183.09	278.16	1.24	29.79	शून्य	शून्य	309.19 ⁴
4.	गन कौरिज फैक्ट्री जबलपुर	525.94	87.74	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	87.74 ⁵
5.	गन सैल फैक्ट्री कोसीपूर	342.78	16.10	शून्य	शून्य	शून्य	0.86	16.96 ⁶
6.	आयुध वस्त्र फैक्ट्री शाहजहाँपुर	297.06	29.64	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	29.64 ⁷
		4388.28	1548.24	1.24	29.79	0.99	0.86	1581.12

¹ उत्पादन लागत के आकड़े भारत की आयुध एवं उपस्कर फैक्ट्रियों के वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक लेखे के खण्ड -2 से लिए गए हैं।

² वाहन फैक्ट्री जबलपुर की वर्ष 2011-12 की उत्पादन स्थिति प्रतिवेदन।

³ ओ.एफ.बी.एल. का पत्रांक 7501/ए.क्यू./सी.ए./एल.ए. पार्टी- II दिनांक 16 मार्च 2013।

⁴ फरवरी/मार्च 2012 के दौरान पी.इश्यू वाऊर रजिस्टर के अभिलेख से लिये गये आकड़े एवं ओ.एफ.खामरिया के नोमिनल इश्यू वाऊर रजिस्टर।

⁵ जी.सी.एफ. जबलपुर के पी.पी.सी.पैकेज से लिए गये आकड़े।

⁶ फरवरी/मार्च 2012 को निर्गमित इश्यू वाऊर के अभिलेख से लिये गये आकड़े एवं जी.एस.एफ. कोसीपूर से सम्बन्धित निरीक्षण।

⁷ 31-03-2012 को पी. इश्यू वाऊर के अभिलेख से लिये गये आकड़े एवं ओ.सी.एफ. शाहजहाँपुर के आप्रतिदेय सामग्री प्रवेश पत्र रजिस्टर।

परिशिष्ट- III

(पैराग्राफ 6.1.6 में संदर्भित)

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष श्रमिक प्रभार एवं पर्यवेक्षण प्रभार का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रभाग	वर्ष	प्रत्यक्ष श्रम	अप्रत्यक्ष श्रम	अप्रत्यक्ष श्रम से प्रत्यक्ष श्रम का प्रतिशत	कुल श्रम प्रभार	पर्यवेक्षण प्रभार	पर्यवेक्षण प्रभार से कुल श्रम प्रभार का प्रतिशत	पर्यवेक्षण प्रभार से प्रत्यक्ष श्रम प्रभार का प्रतिशत
सामग्री एवं घटक	2007-08	116	125	108	241	143	59	123
	2008-09	137	190	139	327	205	63	150
	2009-10	198	193	97	391	267	68	135
	2010-11	221	159	72	380	249	66	113
	2011-12 ⁸	250	212	85	462	321	70	128
हथियार वाहन एवं उपस्कर	2007-08	188	185	98	373	236	63	126
	2008-09	224	292	130	516	342	66	153
	2009-10	298	312	105	610	433	71	145
	2010-11	355	250	70	605	419	69	118
	2011-12	417	348	83	765	495	65	119
गोलाबारूद एवं विस्फोटक	2007-08	168	156	93	324	246	76	146
	2008-09	205	250	122	455	380	84	185
	2009-10	299	243	81	542	477	88	160
	2010-11	349	194	56	543	489	90	140
	2011-12	396	318	80	714	560	79	141
कवचित वाहन	2007-08	73	63	86	136	98	72	134
	2008-09	97	101	104	198	172	87	177
	2009-10	137	100	73	237	229	97	167
	2010-11	162	100	62	262	210	80	130
	2011-12	191	146	76	337	267	79	140
आयुध उपस्कर	2007-08	111	54	49	165	53	32	48
	2008-09	136	93	68	229	99	43	73
	2009-10	186	117	63	303	102	34	55
	2010-11	233	66	28	299	114	38	49
	2011-12	266	125	47	391	156	40	59
कुल	2007-08	655	583	89	1238	776	63	118
	2008-09	800	926	116	1726	1199	69	150
	2009-10	1118	965	86	2083	1508	72	135
	2010-11	1320	769	58	2086	1480	71	112
	2011-12	1520	1149	76	2669	1799	67	118

⁸ आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियों का वर्ष 2011-12 का वार्षिक उत्पादन लेखा

परिशिष्ट- IV

पैराग्राफ 6.1.12 में संदर्भित

फैक्ट्री द्वारा असामान्य स्टॉक होल्डिंग दर्शाने वाली विवरणिका

क्रम संख्या	फैक्ट्री का नाम	भण्डार का 2011-12 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खपत	प्रतिदिन की खपत	31 मार्च 2012 को स्टोर इन हेड	2010-11	2011-12	विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1.	आयुध फैक्ट्री कानपुर	215.80	0.599	199.68	333.10	120	213
2.	आयुध फैक्ट्री अम्बाझारी	349.09	0.969	242.49	250.06	120	130
3.	आयुध फैक्ट्री त्रिचि	68.87	0.191	43.18	225.71	120	106
4.	आयुध फैक्ट्री खमरिया	899	2.497	550.73	220.53	120	101
5.	आप्टो इलक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून	365.12	1.014	266.11	262.37	180	82
6.	गन एवं तोप फैक्ट्री कोसीपोर	230.58	0.640	128.37	200.42	120	80
7.	आयुध फैक्ट्री चांदा	1156.93	3.213	642.47	199.91	120	80
8.	मशीनी औजार प्रारूप फैक्ट्री अम्बरनाथ	47.13	0.130	25.20	192.48	120	72
9.	आयुध फैक्ट्री मेंडक	410.59	1.140	286.80	251.46	180	71
10.	आयुध फैक्ट्री बोलांगीर	509.89	1.416	270.78	191.18	120	71
11.	आयुध फैक्ट्री वारांगंवा	250.66	0.696	130.73	187.75	120	68
12.	कोरडाइट फैक्ट्री अरवन्काडू	44.61	0.123	23.10	186.41	120	66

(लेखापरीक्षा द्वारा आयुध फैक्ट्रियों के वर्ष 2011-12 के वार्षिक उत्पादन खातों तथा वार्षिक स्टोर खातों में से अत्याधिक स्टॉक होल्डिंग का ब्यौरा)